महानगर नई दिल्ली गुरुवार 17 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी की

अब फैसले का इंतजार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली और फैसला बाद में सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर छह अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं।

संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए संबंधित पक्षों को 'मोल्डिंग ऑफ रिलीफ' (राहत में बदलाव) के मुद्दे पर लिखित दलील दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी हैं। इस मामले बाकी पेज 8 पर

इस मुद्दे पर 17 नवंबर से पहले ही फैसले की उम्मीद है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई इस दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
पीठ ने पक्षों को 'मोल्डिंग ऑफ रिलीफ' (राहत में बदलाव) के मुद्दे पर लिखित दलील के लिए तीन दिन का समय दिया।
पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर छह अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की।

पांच सदस्यीय संविधान पीठ

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई | न्यायमूर्ति एसए बोबडे | न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड | न्यायमूर्ति अशोक भूषण | न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर

वकील ने जन्मस्थल वाला नक्शा फाड़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में मुसलिम पक्षकारों की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने बुधवार को संविधान पीठ के समक्ष भगवान राम के सही जन्मस्थल को दर्शाने वाला सचित्र नक्शा फाड़ दिया।

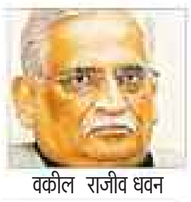
वकील राजीव धवन

अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा अयोध्या में विवादित स्थल पर भगवान राम के जन्मस्थल को दर्शाने वाले नक्शे का हवाला दिए जाने पर राजीव धवन ने आपत्ति की थी। इस पर धवन ने पीठ से पूछा कि उन्हें इसका क्या करना चाहिए, पीठ ने कहा कि वह इसके टुकड़े कर सकते हैं। इस पर राजीव धवन ने उपलब्ध कराया गया सचित्र नक्शा फाड़ दिया। सिंह ने बहस के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख किया।

धवन ने पूर्व आइपीएस अधिकारी किशोर कुनाल द्वारा लिखित पुस्तक के हवाले से सिंह के प्रयास का विरोध किया।

पीठ ने सिंह को अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहते हुए टिप्पणी की, 'धवन जी, हमने आपकी आपत्ति का संज्ञान ले लिया है।'

मध्यस्थता समिति ने रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (भाषा)।

ऐसा समझा जाता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता समिति ने बुधवार को न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी। इसमें सूत्रों के अनुसार हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच 'एक तरह का समझौता' है।

मध्यस्थता समिति से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति और कुछ अन्य हिंदू पक्षकार भूमि विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के समर्थन में हैं। मध्यस्थता समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला कर रहे हैं। इसमें आध्यात्मिक गुरु व आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रख्यात मध्यस्थ श्रीराम पंचू शामिल हैं।

रविशंकर ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर जो भरोसा जताया, उसके लिए मैं उसका आभार जताता हूं। मैं ईमानदार और अथक भागीदारी के लिए सभी पक्षकारों को धन्यवाद देता हूं। मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया भाईचारे और बाकी पेज 8 पर

निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास (दाएं) और जमाते उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सुहैब कासमी कोर्ट परिसर में।

पीठ के न्यायाधीश आज चैम्बर में बैठेंगे

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (भाषा)।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में लंबी सुनवाई पूरी होने के एक दिन बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सदस्य 'चैम्बर में' बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर बाकी पेज 8 पर

सावरकर के संस्कार राष्ट्र निर्माण का आधार : मोदी

अकोला/जालना।16 अक्तूबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के संस्कार राष्ट्र-निर्माण का आधार हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि बाबासाहेब आंबेडकर को दशकों तक भारत रत्न से वंचित रखा गया।

मोदी के इस बयान के एक दिन पहले ही भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने 21 अक्तूबर को प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई थी।

महाराष्ट्र में अगले हफ्ते होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री अकोला और जालना जिलों में रैलियों को संबोधित बाकी पेज 8 पर

धनशोधन मामला : चिदंबरम को ईडी ने गिरफ्तार किया, पेशी आज

जनसत्ता संवाददाता/एजंसी
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ और न्यायिक हिरासत में आठ सप्ताह बिता चुके पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक संबंधित धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व वित्त मंत्री को नए सिरे से झटका लगा है। इस बीच सीबीआइ के सूत्रों ने कहा कि जांच एजंसी भ्रष्टाचार के मामले में एक आरोपपत्र दाखिल कर सकती है जिसमें चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के नाम आ सकते हैं।

चिदंबरम की गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष याचिका दाखिल कर 74 वर्षीय कांग्रेस नेता से पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत की मांग की। अदालत ने ईडी के मामले में चिदंबरम के खिलाफ पेशी वारंट जारी करते हुए बाकी पेज 8 पर

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत चिदंबरम की गिरफ्तारी की है

आतंकियों ने फल विक्रेता और मजदूर की हत्या की

श्रीनगर, 16 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार को आतंकवादियों ने पंजाब के एक फल विक्रेता और छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। शाम को त्रेंज इलाके में हुए आतंकवादी हमले में पंजाब के एक फल विक्रेता की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया।

इससे पहले आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर व पुलवामा में प्रवासी मजदूर को मार डाला। पुलिस ने बताया कि तीन दिन के अंदर यह तीसरी घटना है जब किसी गैर कश्मीरी की हत्या आतंकियों ने की है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि त्रेंज में 3-4 आतंकवादियों ने शाम करीब साढ़े सात बजे चरणजीत सिह और संजीव को गोली मार दी। उन्होंने कहा कि दोनों को नाजुक हालत में पुलवामा के जिला अस्पताल ले जाया गया। चरणजीत सिंह बाकी पेज 8 पर

अनंतनाग : मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए

श्रीनगर, 16 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुधवार को तीन आतंकवादी मारे गए।

अधिकारियों ने बताया कि जिला पुलिस की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात को अनंतनाग के पाजलपुरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। उन्होंने बताया कि तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस दल ने सुरक्षा बलों के साथ क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि तीनों आतंकवादी कहां छिपे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल एक मकान की ओर बढ़े। मकान मालिक ने इस बात से इनकार किया कि मकान में कोई छिपा हुआ है। लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हुए जवानों ने बाकी पेज 8 पर

'संचार पर पाबंदी आदेश पेश करे प्रशासन'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से बुधवार को कहा कि वह उन आदेशों को पेश करे जिनके आधार पर राज्य में संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए गए। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में ये प्रतिबंध लगाए गए थे। जम्मू-कश्मीर में आवाजाही पर प्रतिबंध और संचार बाधित होने के मामले संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने बाकी पेज 8 पर

वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2019

भुखमरी में पाक-बांग्लादेश से पीछे भारत

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (भाषा)।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआइ) 2019 में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर है जबकि उसके पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश की रैंकिंग उससे बेहतर है।

भुखमरी व कुपोषण पर नजर रखने वाले जीएचआइ की वेबसाइट में बुधवार को बताया गया कि बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत समेत 17 देश पांच से कम जीएचआइ अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। आयरलैंड की एजंसी 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' और जर्मनी के संगठन 'वेल्ट हंगर हिल्फे' द्वारा संयुक्त रूप से तैयार रिपोर्ट में बाकी पेज 8 पर

भारत में भुखमरी के स्तर को 'गंभीर' बताया गया है, इस बार 117 देशों में भारत102वें स्थान पर है।
कद के हिसाब से भारत में बच्चों का वजन कम होने की दर रिपोर्ट में शामिल देशों में सबसे ज्यादा है।
छह से 23 महीने के बच्चों में से भारत में केवल 9.6 फीसद बच्चों को 'न्यूनतम स्वीकार्य आहार' मिला।

फरवरी तक संदिग्ध सूची में रहेगा पाक : एफएटीएफ

इस्लामाबाद, 16 अक्तूबर (भाषा)।

बहुपक्षीय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को मनी लांडरिंग और आतंकवादियों के वित्त पोषण के मुद्दे पर फरवरी 2020 तक 'संदिग्ध देशों की सूची' में बनाए रखने का निर्णय किया है। पाकिस्तान को इस अवधि में इस दिशा में ठोस प्रगति करने का निर्देश है। समझा जाता है कि पेरिस में एफएटीएफ की बैठक में चीन, तुर्की और मलेशिया-तीन देशों के समर्थन के चलते पाकिस्तान काली सूची में रखे जाने से फिलहाल बच गया है।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान सरकार बाकी पेज 8 पर

'मनमोहन-राजन कार्यकाल बैंकों का सबसे बुरा दौर था'

न्यूयॉर्क, 16 अक्तूबर (भाषा)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के दौर को जिम्मेदार ठहाराया।

उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह और राजन का कार्यकाल सरकारी बैंकों के लिए सबसे बुरा दौर था। सीतारमण ने मंगलवार को कोलंबिया यूनिवर्सिटी बाकी पेज 8 पर

वित्त मंत्री ने कहा, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में वह राजन का ही कार्यकाल था, जब साठगांठ करने वाले नेताओं के फोन भर से कर्ज दिया गया।

दरअसल

सेबों पर काली स्याही में आतंकियों के समर्थन में लिखे मिले नारे | खुलासा | संदेशों की वजह से लोग इन सेबों को खरीदने से कर रहे हैं मना

कश्मीरी सेबों पर लिखे भारत विरोधी नारे

जम्मू, 16 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू- कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद से ही आतंकवादी दहशत फैलाने और घाटी का माहौल खराब करने के नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को दहशतगर्दों ने कशमीरी सेब पर भारत विरोधी नारे लिख डाले।

दरअसल कठुआ जिले में फल विक्रेताओं द्वारा खरीदे गए कश्मीरी सेब पर 'हमें चाहिए आजादी', 'आइ लव बुरहान वानी', 'जाकिर मूसा वापस आओ' आदि जैसे संदेश देखने को मिले। फल विक्रेताओं ने थोक बाजार से खरीदे गए सेब के डिब्बे खोले तो सेबों पर काली स्याही से ये संदेश लिखे मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फल विक्रेताओं ने कशमीरी सेब के बहिष्कार की चेतावनी दी है। फल विक्रेताओं का कहना है कि अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रही तो वह कशमीरी सेब की खरीद का बहिष्कार करेंगे क्योंकि संदेशों की वजह से लोग इन्हें खरीदने से इनकार कर रहे हैं।

कठुआ थोक बाजार के अध्यक्ष रोहित गुप्ता के नेतृत्व में फल विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी नारे लगाए। गुप्ता ने कहा, 'ये डिब्बे कश्मीर से आए थे और संदेश अंग्रेजी और उर्दू में लिखे थे।' उन्होंने मांग की कि सरकार और पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जिनका हाथ इसके पीछे है।

वहीं पुलिस उपाधीक्षक माजिद ने कहा, 'हमने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।' सेबों पर 'भारत वापस जाओ-भारत वापस जाओ', 'मेरी जान तेरी जान इमरान खान' और 'पाकिस्तान-पाकिस्तान' जैसे संदेश भी लिखे थे।

घाटी के फल विक्रेता उतरे विरोध में-*दहशतगर्दी*-नए-नए तरीके ढूंढ रहे आतंकी

कैसे-कैसे नारे

कश्मीरी सेबों पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद', 'मेरी जान तेरी जान इमरान खान', आदि नारे पढ़ने को मिले। सेबों पर 'वी वांट फ्रीडम', 'आइ लव बुरहान वानी' और जाकिर मूसा से संबंधित नारे भी लिखे थे। फल विक्रेताओं ने सेब के डिब्बे खोले तो काली स्याही से ये संदेश सेबों पर लिखे मिले।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Sandeepa Dhingeya W/o Praveen Kumar R/o-9/3160 Gali No.4, Dharampura Gandhi Nagar Delhi-31, inform that name of mine hasbeen wrongly written as Sandeepa in my minor son Vasu(14-Years) & minor daughter Ridhima(10-Years) & Hansika(10-Years) Birth Certificate & My Voter ID. The actual name of mine is Sandeepa Dhingeya which may be amended accordingly. 0040516224-1

I,Sandeep Vashist S/o Sh.Rajinder Prasad R/o-House.No.702, VPO-Jharsa, New Unitech Cyber Park, Sector-39,Gurugram, Haryana, have changed my name to Sandeep Vashisht for all future purpose. 0040516261-5

I,Amarpreet Kaur W/o Davinder Singh Bindra R/o-D-228,Sector-47 Noida-201301.,in my passport,my husband name is wrongly,mentioned as Davinder Singh but,correct name is Davinder Singh Bindra. 0040516261-1

I, Zulfiqar R/o C-81 Gali No. 11/6 C - Block Chauhan Banger Delhi 110053 have changed my name to Mohammed Zulfiqar 0070678971-1

I, Vijay Veer Singh, Son of (Late) Shri Chhote Lal Rana, resident of SP-15 A WAC(U) Subroto Park Delhi Cantt-110010 have changed my Name from Vijay Veer Singh to Vijay Veer Singh Rana vide Affidavit No. IN-DL56114004445941R DATED 16/09/2019 at Delhi Cantt. 0070678973-1

I, Vijay Kumar S/O Amar Singh R/O D-1c,62-B, Janakpuri, New Delhi-110058. Changed My Name To Vijay Kumar Mankotia. 0040516299-8

I, Tausif Khan s/o Imtiyaz Khan H.No-254, Dabauli, West Kanpur Nagar, U.P-208022 have changed my name to Tousif Khan Permanently. 0040516234-4

I, TENZIN KYIZOM SHERPA D/o Mr.Sonam Dorjee R/o-93, IInd-floor, Humayunpur-Village, Safdarjung-Enclave, New-Delhi-110029,have changed my name,from TENZIN KYI-ZOM SHERPA to TENZIN KYI-ZOM,for all purposes. 0040516299-2

I, Surjeet Singh Nagar S/o Shadi Ram Nagar R/o-150-B, HariNagar, Ashram, Shri.SHiv-Kutia-Mandir, Jangpura, Delhi-110014. changed my name to Sirjeet Singh Nagar. 0040516246-3

I, Sudhir Agarwal S/O Uggar Sain Agarwal R/O 64,Top-Floor, Engineers Enclave, Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name To Sudhir Kumar Agarwal. 0040516246-9

I, Shubham S/o Suresh Kumar R/o F-156, First Floor, Vijay Vihar, Rohini Phase-II, Delhi Changed Name to Shubham Aggarwal. 0040516234-3

I, Shakur S/O Riyast Hussan R/O Shanti Farm Vill-Chandan Hula, Mehrauli, New Delhi-110030 Have Change My Name To Sakur. 0040516246-6

I, Seema Luhera W/o Shiv Narayan R/o H. No.8480, Arya Nagar, Pahar Ganj Delhi-110055 have changed my name to Seema. 0040516192-1

I, Savita W/o Sh. Vikram R/o F-442, 1st Floor, Sudershan Park, New Delhi-110015, have changed my name to Harpreet Kaur for all purposes. 0040516194-1

I, Sarfraz S/O Mohd Arif H.No-15, Rashid-Market Extn, Krishna-Nagar, Delhi-110051. Changed My Name To Mohammad Shahfraz Kazamir. 0040516299-5

I, Ruhina Parveen Choudhry W/O Tayyab Chaudhary R/O-H-49/14, Galib Appt, 3rd Floor, Batla House, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025. changed My Name To Ruhina Parveen. 0040516299-9

I, Ritu Lumba D/o-Late Col.Dholpat Rai Suri W/o Lt.Col.Harnarindar Singh R/o-D-327 Defence-Colony, New-Delhi-110024,have changed my name to Ritu Singh.for all future purposes. 0040516299-1

I, Ritika Kumari D/o. Sh. Bantoo Singh R/o. C-99, Bindapur, Pocket-4, J.J. Colony, Chanakya Place, New Delhi-110059 have changed my Name to Ritika 0040516203-1

I, Renu Gupta W/O-Vishal Gupta R/O-209 Sukhdev-Vihar New-Delhi-110025, have changed my name to Renu Jaiswal.,for all purposes. 0040516263-4

I Anwar Malik S/o Noor Mohammad, residing at H.No.-873, Pocket-D, Dilshad Garden, Old Seelampur, East Delhi, Delhi-110095 have changed the name of my minor daughter Chand Malik aged 15 years and she shall hereafter be known as Chandni Malik. 0040516190-2

I, Madhu Kumari changed my name to Madhu Devi with affidavit dated 14-Oct-19 Sworn before notary Madan Lal Gupta, Delhi 00130012994-1

व्यक्तिगत

I, Rekha Devi Agarwal W/O Sudhir Kumar Agarwal R/O 64, Top-Floor, Engineers Enclave, Pitampura, Delhi-110034.Changed My Name To Rekha Agarwal. 0040516246-10

I, Raman s/o-Krishan Kumar R/o-Plot.No-15/16, T/F, Front-Side LHS R.K-Block, Gali.No-21, Mohan-Garden, Uttam-Nagar, Delhi-110059.,have changed my name to Raman Upadyay Permanently. 0040516299-4

I, Rajni Agarwal W/O Vikash Garg X-3368 Gali No-2 Raghubar-Pura No2 Gandhi-Nagar Delhi 110031, CHANGED My Name To Sapna Garg. 0040516234-9

I, Praveen Chawla s/o Sh Ramesh Chawla, R/O E-82, 3rd Floor, Gali No. 6, South Anarkali Extension, New Delhi 110051, have changed my name to Pravin Chawla for all future purposes and Praveen Chawla and Pravin Chawla are the name of same and one person. 0040516245-1

I, Payal Mishra D/o Ram Krishan Mishra R/o-C-803, Pristine-Avenue Geotech Gaur City-2, Greater-Noida West, UP-201009 have changed my name to Payal Singh. 0040516263-2

I, Nibedita Mishra W/O Nigamananda Satapathy,R/O-Plot.No 41, Flat.No.Gf-1, NitiKhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.201014, changed My Name To Nibedita Satapathy. 0040516309-2

I, Neeraj S/o Dharam Pal Singh R/o-1/3032, Indira-Pyao Wali-Gali, Ram Nagar Extn., Delhi-110032. have changed my name to Neeraj Choudhary. 0040516246-2

I, Neelam Rani W/O Sudhir Kumar R/O Khno.1155, Kushak No.02, Streetno.02, Village Kadipur, Delhi-110036. Changed My Name To Neelam Chauhan. 0040516246-8

I, Neelam Rani W/O Sudhir Kumar R/O Khno.1155, Kushak No.02, Streetno.02, Village Kadipur, Delhi-110036. Changed My Name To Neelam Chauhan. 0040516234-8

I, Muskan Naudiyal D/o Sh.Bishwa Prakash Nauriyal R/o-D-36/746, Chhatterpur Pahari, 100-Foot Road, Chhatterpur, New Delhi-110074,have Changed My name to Muskan Nauriyal 0040516195-1

I, Kusum Lata W/O Bal Ram R/O-R-15, 2nd-Floor, Inderpuri, New Delhi-110012. Changed My Name To Kusum Gupta. 0040516299-7

I, Mukti Bhardwaj Soti D\o Ishwar Chander Bhardwaj R/o A-50, Gulmohar Park New Delhi-110049, have changed my name to Mukti Bhardwaj for all Future Purposes. 0040516209-1

I, Mohd Ovais S/o Mohd Nasir R/o 1230 Rakab Ganj, Behind Delite Cinema, Darya Ganj Delhi-110002 have changed my name to Mohd Owais for all purposes. 0040516197-1

I, Mohammed Sulaiman S/O Md Jan R/O-C-2/18, Safdarjung Development Area, Hauz-Khas, N.Delhi-110016 Have Change My Name To Hafiz Mohammed Suleman. 0040516246-7

I, MOHAMMAD ZAKI QURESHI S/o Mohammad Shafi R/o-C-828,S/F,Gali.No.4, Chauhan-Bangar, Delhi-110053,have changed my name to pplicant's Name MOHAMMAD ZAKI.for all purposes. 0040516275-5

I, Lalit Kumar Marwah S/O Shadi Lal Marwah, flat.no-340, Sector-5, DDA SFS-flats, pock-et-1, Dwarka, Delhi-110075. Have changed my minor son's name from Haradika Marwah to Hardik Marwah. 0040516299-3

I, Lalbachn R/o Lalbachan R/o House No-34, Near Kalandi Public School, Vinay Nager, Faridabad, have changed my minor son's name from Sahani Deelip Lalbachn to Deelip Sahani for all purposes. 0040516201-1

I, Kusum Lata, W/O Narendra Kumar Gupta R/O B-904, Amrapali Apartment,Sector-3, Vaishali,Ghaziabad- 201010, have changed my name to Kusum Gupta for all purposes. 0040516171-1

I, Kumari Ritu Singh W/o Chandrakant Chauhan R/o E-122 Pandav Nagar Delhi-110092 have changed my name to Ritu Singh. 0040516246-5

I, Javed Alam S/o Natthe Khan, R/o-H.No.D-16, Gali.No.25B, Molarband-Extn.Badarpur, Jaitpur, New Delhi-110044.have changed my name to Javed Alam,from Munna Khan,for all purpose. 0040516275-2

I, Jasmeet Kaur Bedi D/o-Harjinder Singh Bedi R/o-D-12/58/1, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have changed my name after marriage to Jasmeet Kaur W/o-Harpreet Singh, for all purposes. 0040516227-1

I Nand Lal Upadhyaya S/O Trilochan Upadhyay R/O-A-242, Pankha-Road, JJ Colony, Uttam-Nagar, N.Delhi-110059. Changed my Name to Nand Lal Upadhyay. 0040516234-6

I Harmeet Singh S/O Raghbir Singh Chawla R/O (73A-&-73B) Gurunanak Vihar, Nilothi-Extn. Delhi-110041, Changed my Name to Harmeet Singh Chawla. 0040516234-7

I, Hitherto known as Pooja Barsaley W/o Mithun Barsaley R/o-J-2/9C Near Radha Madhav Mandir, Krishna Nagar Delhi-110051, have changed my name & shall hereafter be known as Prerna Barsaley. 0040516224-2

I, Harshita Misra D/O Amba Dutt Misra R/O-52, Dayanand Vihar, Delhi-110092.,changed My Name To Harshita Mishra. 0040516299-6

I, Hamzah Suhail S/O Suhail Ahmad Khan born on 12/12/2003, residing at 541R/479A Rifa colony, campbell road, have changed my name to Hamzah Suhail Khan vide affidavit dated 14/10/2019 at Lucknow. 0050156613-3

I, Gyasuddin Khan S/o Natthe Khan R/o-R-87/B, Jogabai-Extn. Jamia-Nagar, New Delhi-110025.have changed my name to Gyasuddin,from Genda Khan,for all purpose. 0040516275-3

I, Gani Lal S/o Radhey Shah R/o A-457, Mandawali Fazalpur, Durga Marg, Delhi-110092, inform that Dharm Kant and Gani Lal are one and same person, that is me. 0040516230-1

I, Eidan Begam, W/o Javed Alam R/o-H.No.D-16, Gali.No.25B, Molarband-Extn.Badarpur, Jaitpur, New Delhi-110044.have changed my name to Eidan Begam,from Jubeda Begam,for all purpose. 0040516275-1

I, Dileep Singh S/O Harendra Singh R/O-Rc-173, Bharat-Nagar, Khora-Colony, Ghaziabad, U.P.201001, Changed My Name To Dilip Singh. 0040516309-3

I, Devansh R/o 13/c humayun-pur safdarjung enclave have changed my name to Devansh kumar 0070678974-1

I, Ashish S/o Hansraj R/o C-170, Camp No. 4, Jwalapuri, have changed my name to Ashish Sirowa for all purposes. 0040516202-1

I, Anju W/o Suresh Kumar R/o-H.No.277, Ahir Mohalla, Nangloi, Nilothi, Delhi-41, have changed to my name Neha for, all Purposes. 0040516234-2

I, Anil Kumar Gupta S/O-Rajeshwer Prasad Gupta, R/O-Flat.No.A-550, Dharam-Vihar, Plot.No-2, Sector-10, Dwarka, N.Delhi-110075. Changed My Name To Anil Kumar. 0040516309-1

I, Akhil S/O-Raj Singh R/O-Plot.No.69, Flat.No.Mg-4, Ved-Enclave, Sector-5,Rajinder-Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, U.P-201005, Changed My Name To Akhil Singh. 0040516309-4

I, Ajay Singh S/o Onkar Chand R/o-575 DDA Flats Pocket-13 Phase-1, Dwarka Delhi-110045, have Changed My Name from Ajay Singh to Ajay Singh Pathania for all future Purposes 0040516186-1

I, AZMAT NISHA JUMMO W/o Mohammad Zaki R/o-C-828, S/F, GaliNo.4, Chauhan-Bangar, Delhi-110053,have changed my name to AZMAT NISHA.for all purposes. 0040516275-4

I hitherto known as Puran Bahadur S/o-Bhuvan Lal R/O-1523A/13,Second-Floor, Gali.No-13,Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 Have Changed My Name and shall hereafter be known as Puran Tajpuriya. 0040516263-3

I Sunil Kumar Arora S/O.Bal Krishan Arora R/O.11/45 B, Tilak-Nagar, New Delhi-110018 have changed my name to Sunil Arora.,for all purposes. 0040516234-10

I Ritu Gupta w/o Vikas Gupta r/o 1/3561-B Gali no-4 Ram Nagar Extn Shahdara Delhi-110032 have changed the name of our minor daughter Bhavya Mittal aged 14years9month and she here-after be known as Mahira Gupta. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040516261-3

I Rita W/O. Sunil Arora R/O.11/45 B, Tilak-Nagar, New Delhi-110018. have changed my name to Rita Arora, for all purposes. 0040516234-1

I Rekha W/O Shailesh Pahuja R/O C4a/42c Janak Puri New Delhi 110058 Have Changed My Name To Rekha Pahuja For All Purposes 0040516223-1

I Ravi Kant S/o Sukhbir R/o A-1/26 Rajendra Park, Nangloi, Delhi 110041, have changed my name to Ravikant Malik 0040516223-4

I Rajeev Gain S/O Mojid Gaine R/O-A-56, Near-Shamshan Ghat,Dabri-Extn., Dabri, New-Delhi-110045, Have Changed my Name to Rajeev Gaine. 0040516263-1

I Purushottam Upadhyaya S/O Nandlal Upadhyay R/O-A-242, Pankha Road, JJ. Colony, Uttamnagar, New Delhi-110059. Changed my Name to Purushottam Upadhyay. 0040516234-5

I Pradeep Reddy S/O Sh.Adla Prabhakar Reddy R/O-H-29-1389/7 Road.no.9 Kakatiya-Nagar Neredmet Cyberabad-1 Telangana have changed my name to Adla Pradeep Reddy,for all purposes 0040516263-5

I, Anita Dalal W/o Vishesh Kumar R/o-A-12, Nangal Dewat, Vasant Vihar, New Delhi-110070, have changed my name to Anita Tokas. 0040516246-1

व्यक्तिगत

I Punam D/o Ram Parsad Date of Birth 1.5.1989 R/O D-75 A Mansa Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi 110059 Have Changed My Name to Poonam 0040516223-2

I Neelam W/O. Ashok Kumar Dalal R/O.B-502, Munirka-Apartment, plot no.11, sector-9, Dwarka, New Delhi-110075 have changed my name to Neelam Dalal for all purposes. 0040516246-4

I, Anshika Agarwal W/O Sandeep Sharma, R/O-Flat.No. 1109, Gaur Heights, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010, have Changed My Name To Anshika Sharma. 0040515944-4

खोया+पाया

Lost my original Marksheet of main B.Sc Part-1, Part-2 & Part-3, Exam-Year-2004, 2006 & 2007, Roll-No.4210231, 6220404 & 7230404 Passout from V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur, U.P. Finder may Contact-Priti Kumari at B-4/468, Second Floor, Sector-8, Rohini, Delhi-110085. 0040516196-1

I, AKANSHA Verma S/o Anil Verma R/o Rs-7-A-13 galaxy no-3 puran nagar palam colony N.D-75 have lost my original certificate class -10th year -2015 Rollno -8718330 CBSE Delhi. 0040516263-8

I, Chiranji Lal S/o Ram Narayan R/o P1/28 Sultanpuri Delhi, have lost ORIGINAL CBSE Xth Certificate and Marksheet Roll No-6165282 Year 2000. 0040516200-1

I, Kareena Malhotra D/o Kewal Malhotra R/o-A-51 Kiran-Garden, G.F Uttam Nagar, Delhi-59, have lost my original certificate class-10th (2016) Rollno-8179544 class-12th (2018) Rollno-9175879 CBSE-Delhi. 0040516263-7

It is notified for the informa-tion that my Original Qualifying Examination Certificate of Main, Secondary Examination of Year 1993 and Roll No. 6408268, Senior Secondary Examination of Year 1995 and Roll No. 6660273 issued by CBSE has been actually lost. Anuj Gupta, 3831/8, Kanhaiya Nagar, Tri Nagar, Delhi-110035. 9811102735. 0040516229-1

I, Sumit S/o Subhash chand R/o E' 571 St.no-19 Ashok-Nagar Delhi-93 have lost my original-certificate Class-10th year-2014 Rollno-8627033 CBSE-Delhi. 0040516263-9

It is notified for the informa-tion that my Original Certificate of main Secondary Exam Year-2014, Roll no. 8651068, Passout from CBSE, Delhi, has been actually lost. Kanchan at House No-20/H, Street no.2, Sadatpur Extn., Delhi-110094. 0040516207-1

Lost my original 12th class certificate Roll.No.667693,Year 2008,from CBSE Delhi.Finder pls contact:Poonam D/o-Ram Chander Saini R/o-R.K.Puri, J-93,Azad Basti,Mohammad Pur,New Delhi-110066. 0040516261-4

I, SAURAV Sharma s/o Rakesh kumar R/o 22/2A Patparganj-village Mayur-Vihar ph-1 Delhi-91, have lost my original certificate class -10th (2010) Rollno-6124275 Cbse-Delhi class-12th (2012) Rollno-5628201 CBSE-Allahabad. 0040516263-10

Lost my original certificate of class 10th Roll.No. 6338145 Year- 2007 and 12th Roll. No.6621481 year-2009 from CBSE.Finder pls contact: Tara S/o Ram Lakhan,Trilok Puri,23 Block, Main Road,New Delhi. 0040514656-1

PUBLIC NOTICE

Public Notice is given to the general public that my clients namely Mohd. Deen S/o Mohd. Ibrahim and Smt. Shahina W/o Mohd. Deen both R/o H.No.4054, 2nd Floor Gali Mustafa Beg, Ajmeri Gate, Delhi-110006 have disowned and disinherited and severed their all relations with their Daughter namely Safiya D/o Mohd. Deen, due to her illegal demand for marrying with one Sh. Faizan S/o Najbuddin R/o 2709, Mohala Nihariya, Delhi-110006.
Mohd. Nadeem Khan (Advocate)
Ch.No.618, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be it known that our client Sh. Kishore Kant Manga and Smt. Anita Manga R/o 4/290, IIIrd Floor, Subhash Nagar, New Delhi 110027, has severed all his their relations from their daughter Smt. Divya W/o Sh. Dilpreet Singh R/o WZ-26, Sant Nagar, Tilak Nagar, New Delhi 110018 for their mali-cious activities, indecent behaviour, abuse and disobedience. Our client and his wife shall not be liable for any acts, deeds or things done by Ms. Divya and her husband Sh. Dilpreet Singh. They both shall nei-ther inherit any right title or interest in any of the movable and/ or immovable assets of our clients acquired till date and in future also.
Sd/-
(Narendra Kalra, Advocate)
Ch. No. 34, Tehsil Building,
Tis Hazari Court, Delhi

General Public is hereby informed that the Original Sale deed dated 8.10.1997 with respect to Plot no. S-1, II floor admeasuring 908 Sq.ft built upon Plot no. 3, block A, sector 7, DHA Colony, Surya Nagar, Ghaziabad, U.P. registered on 8.10.1997 vide Reh no. 1,Bld no.1146 page no. 190 addl book no. 1 Bld no. 1185 Page no. 41141 No. 7285 executed between M/s Raisoni Engineers Pvt. Ltd. through Sh. Punit Rai AND Sh. Pradeep Kumar was deposited with my client Bank of Baroda for creating the Equitable Mortgage. The Said Original Sale Deed is not traceable and has been lost. In this regard a lost report being General Diary no. 340 dated 24.9.2019 at PS Loni Road, Ghaziabad has also been registered. In view of the above, my client calls upon anybody who finds the said Original Documents of the property or is in possession thereof to handover the documents to my client or its branch office situated at Rampur, Saryanagar, Ghaziabad U.P.
For Bank of Baroda
Abhindra Mohan Nayak (Advocate)
A-53 Sector 17 Noida, M. 9910150088

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमति सुनंदा देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश सिंघानी निवासी 206, गली नम्बर-11, मुनिरका गाँव, थाना गढ़, नई दिल्ली-110067, ने अपने पुत्र अभिषेक व उसकी पत्नी मीना तथा पुत्री संगीता को अपनी सम्पत्ति अब से तमाम सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और उनसे सम्पत्ति संबंधी व सामान्य व्यवहार का लिये में मुवक्किला के उत्तरदायी नहीं रहे हैं। अतः भविष्य में वे अपने हर कृत्य कार्यों एवं लेनदेन के लिए खुद जिम्मेदार होंगे और मेरी मुवक्किला व अन्य परिवारजनों की कोई जवाबदेही व जिम्मेदारी रहेगी नहीं होगी।
B.K. YADAV - ADVOCATE
Ch. No. 576, Western Wing,
Tis Hazari Court, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. R. Kumar alias Lala Sh. S. R. Jain vide E-402, Sector 11, Rohini, Delhi being the lawful, registered and absolute owner of ground floor and upper floor of property bearing no. F 20120, Sector 11, Rohini, Delhi-85, having purchased it from Sh. Jaswant Singh, registered owner Smt. Kamlesh, Wife of Jaswant Singh. This property have my client intends to sell Upper Ground Floor of this property to Sh. Sunil Jain s/o Sh. Gagar Chand Jain vide 206, Prashant Vihar, Delhi. If anybody is having any claim in this property or having any objection in this sale, he/ she can file his claim/ objection within 10 days. After this no claim/ objection shall be entertained and my client shall be free to sell this property.
Sudesh Kumar Goyal (Advocate)
Ch. No. 8, New Kachehri Block, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

My ~~client Sh. Lorik Yadav S/o~~ Late Sh. Sakhi Chand Yadav and his wife Smt. Rasoo Devi resident of TA-58 & 59, Gali No.4, Tuglakabad Extension, New Delhi 110019 have severed all relations and disown their son namely Ajay Yadav and his wife namely Himansha Yadav from their all movable and immovable properties due to their disobedience if anybody deals with them will do so at his/her/their own risk, cost and consequences. My clients shall not be responsible for their any acts and deeds.
Sd/-
Dilip Gupta (Advocate)
Ch. No. 125, Saket Court,
New Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client SMT. SANJEEDA BEGUM WIFE OF LATE ABDUL RAZIQ RESIDENT OF X-42/B, DDA FLATS, NEAR MASJID, NEW RANJEET NAGAR, CENTRAL DELHI, DELHI-110008 have disowned and severed all her relation with her son namely ABDUL KHALID AND HIS WIFE GULAFSHA NAAZ AND THEIR SON FAHAD and debarred them from her movable and immovable properties/assets due to their mis behaviour and going against my clients. Any body dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.
Sd/-
SURENDER KUMAR (ADVOCATE)
SHOP NO. 6, RU BLOCK, PITAMPURA,
DELHI-88

PUBLIC NOTICE

Be it known to public at large that my clients "Shri Ashok Kumar son of Late Shri Kalu Ram, his wife Sunita and younger son namely Vijay Kumar, all residents of H. NO. 551, Prajapati Moholla, Naib Sarai, New Delhi – 110067" had disassociated and severed their all connections from "AJAY KUMAR Son of Shri Ashok Kumar and his wife namely PAYAL both residents of H. NO. 551, Prajapati Moholla, Naib Sarai, New Delhi – 110067. My clients further disown and disinherit them from all movable and immovable properties of Shri Ashok Kumar. Anyone dealing with them shall be doing at his/her own risk and consequences and my clients shall not be responsible for it. Notified accordingly.
GAURAV GOGIA ADVOCATE
Chamber No. 66, Saket Court Complex,
New Delhi - 110017

PUBLIC NOTICE

This ~~is to inform the general public~~ that my client Mr. Ramesh Peter S/o Late Shri Ram Sawroop R/o Flat No. 306, Sector-3, Pocket-16, Adarsh Apartment, DDA Flats, Dwarka, New Delhi-110075 has severed all his relations from his son namely Sujoy Peter S/o Shri Ramesh Peter and his daughter in-law namely Alice Peter W/o Mr. Sujoy Peter due to their misdeed & misconduct and has debarred/disowned them from all his movable & immovable properties. My dlients shall not be responsible for any act & omissions of his above named son & daughter in-law and whoever deals with them shall do so at his own risks & responsibilities.
Sd/- Arvind Gupta (Advocate)
Chamber No. 318, Advocates
Chamber Block, Dwarka Courts,
Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients S. Suresh Kumar s/o late Sh. Ram Sarup and his wife Mrs. Krishna, both r/o 365 Gali No. 8 Sanjay Colony, Narela, Delhi-110040 have disowned and debarred their son **Atul Kumar** and his wife **Mrs. Sheetal** from all their self-acquired movable and immovable properties/assets and severed all their relations & ties with them due to their misbehavior/misconduct towards my clients. If anybody deals with them in any manner will do so at his/ her/ their own risk and responsibilities. My clients shall not be held responsible & liable for any kind of acts, deeds and things done by them.
Sd/-
NAVNEET PANWAR (Advocate)
BCD Enrl. No. D-1517/03

PUBLIC NOTICE

Be it know to all that my client Sh. Anil Kochar S/o Late Sh. Sunder Das Kochar R/o 2424, 2nd Floor, Hudson Lane, G.T.B Nagar, Delhi has severed all relations from Sh. Siddharth Kochar (Son), Ms. Kanika Kochar (Daughter-in-Law) & Baby Ishaan (Grand daughter) & has also debarred / disowned them from all movable / immovable properties which belong to my client. Any person dealing with above said persons shall do so at his own risk and consequences and my client shall not be responsible for any of their act/ conduct.
S.K. Gautam (Advocate)
Ch. No. 200, Patiala House Courts, New Delhi

PUBLIC NOTICE

"Public in general, is hereby informed that my client Sh. Parminder Singh Bedi S/o Sh. Inderjit singh Bedi R/o KG-I/288 MIG Flat Vikas Puri New Delhi- 18, has severed all his relations and connection with his wife Suman Bedi and children's Kanwaljeet singh, Simran Kaur Bedi and Harmanjeet Singh and debarred them from all his movable and immovable properties as they have proved to be most disrespectful, Disobedient, harmful, tortures and not caring toward my client, My client shall not be Responsible for their activities"
Sd/-
Kamal Jeet Singh (Advocate)
Office: 3/118, First Floor,
Subhash Nagar,
New Delhi- 110027

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL CONCERNED that my clients Smt. Rekha Gupta, Smt. Meena Gupta, Sh. Praveen Kumar, Sh. Vijay Kumar Gupta and Sh. Arun Gupta are the only "LRs" of Late Smt. Sumitra Devi as per the surviving member certificate issued by the competent authority. Any person having any type of objection in this respect may inform in writing at the address mention below within 7 days from today, failing which it shall be presumed that all the above said persons are the only surviving "LRs" of Late Smt. Sumitra Devi.
Sd/-
AMIT KR. GAHLOT (ADVOCATE)
D-281/04
CH. NO. G-724, KKD COURT,
DELHI

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that Clix Housing Finance Private Limited is going to create simple mortgage over property FF (LHS) bearing no. RZ795A, Gali No. 20, Khasra No. 443, situated at Village Tugalkabad Extension, Delhi 110019. In previous sale deed dated 11.11.1989 the area of the subject property wrongly mentioned as 500 Sq. Yds. instead of 200 Sq. Yds due to typographical errors. In case if any person / Financial Institute / Bank / Authority / Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.
AVNISH SHUKLA (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court,
Delhi-110032.
9871603366, 9717476101.

PUBLIC NOTICE

THE GENERAL PUBLIC IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT MR. **BHUPENDER NATH** SON OF LATE SHRI CHAMAN LAL RESIDENT OF BA-17, WEST SHALIMAR BAGH, DELHI-110088, is the only son of his father SHRI CHAMAN LAL SON OF LATE SHRI NATHOLI RAM and he have no objection with his deceased father's Will dated 05/09/2007, in which he has forwarded the Free hold Property No. BA-17, West Shalimar Bagh, Delhi, to his grand son MR. JATIN SORI SON OF MR. BHUPENDER NATH and there is no other legal heir except my client.
DHIRAJ KUMAR BASRA (Advocate)
Enrl. No. D-1799/2011

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client SH. HIRA SINGH S/o Sh. Paley Ram and SMT. RATI KAUR W/o Sh. Hira Singh R/o RZ-24-A/F, Street No. 16, Indra Park, Palam Colony, N. Delhi-110045 have severed all their relations with their son SH. NARENDER SINGH and his wife SMT. NISHA. My clients debars/disowns them from their all movable and immovable properties with immediate effects. Anybody dealing with them shall be doing so entirely at his/her/their own risk and consequences.
Sd/-
A. K. SINGH (Advocate)
Enrol. No. D/630/2004

PUBLIC NOTICE

Sale of Freehold Residential FLAT BEARING NO. SF/18, VARDAN APARTMENT, ABHAY KHAND- 3, INDIRAPURAM, GHAZIABAD, U.P.

Notice is hereby given for information to the General Public that my client LIC Housing Finance Ltd had disbursed a loan to Mrs.Rashmi Gupta & Mr.Manvendra Kumar,vide loan a/c no. 14010062806 & 14010061938 against the mortgage of the Residential FLAT BEARING NO.SF/18, VARDAN APARTMENT,ABHAY KHAND-3,INDIRAPURAM, GHAZIABAD, U.P. It has come to notice that the original property paper(s) i.e.Sale Deed dated 30/03/ 2010, registered vide no. 8641,vol no.15-101,page 131-190 in favour of Mrs. Rashmi Gupta & Mr. Manvendra Kumar have been misplaced. It is hereby appealed to the general public that whosoever finds the sale deed mentioned hereinabove may kindly return the same to the LIC Housing Finance Ltd. Lakshmi Insurance Bldg.Asaf Ali Road, Delhi-110002.
MANISHA CHAUDHARY, ADVOCATE
JUS LEGALIS,
210, VARDHMAN STAR CITY MALL (NEAR RAMPHAL CHOWK), SECT-7 DWARKA, NEW DELHI-110075
011-45606363, 9899006723

भगवान बुद्ध के धर्मस्थलों से जोड़ेगा रेल बुद्ध सर्किट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

भारत व नेपाल में भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े धर्मस्थलों तक श्रद्धालुओं को 'बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन' पहुंचाएगी। इस रेल सर्किट की पहली ट्रेन शनिवार, 19 अक्तूबर को दिल्ली से रवाना होगी और यात्रा 26 अक्तूबर तक चलेगी। यह टूर पैकेज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइआरसीटीसी) ने तैयार किया है। इस यात्रा के लिए एक दंपति को प्रथम श्रेणी के लिए 1,23,900 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि एसी 2 में प्रति दंपति भुगतान 1,01,430 रुपए होगा।

पैकेज में भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थली से लेकर उनके जीवनकाल से जुड़े हर स्थल तक ले जाया जाएगा। यह अब तक रेल मंत्रालय द्वारा तैयार की गई पहली ट्रेन है। यह ट्रेन यात्रियों को बोध गया, राजगीर, नालंदा, सारनाथ, वाराणसी, लुंबिनी, कुशीनगर और आगरा लेकर जाएगी। रेलवे के मुताबिक इन स्थलों का महत्त्व महापरिनिर्वाण सूत्र में देखा जा सकता है, जहां भगवान बुद्ध के अनुयायियों से कहा गया है कि वे इन स्थलों का तीर्थ कर श्रेष्ठ पुर्नजन्म प्राप्त कर सकते हैं। इन धर्मस्थलों पर जाने के लिए रेलवे की तरफ से ही गाड़ियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी और सभी स्थलों में प्रवेश का शुल्क भी पैकेज में ही शामिल किया गया है।

पीएमसी बैंक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट घोटाले में घिरी पीएमसी बैंक के करीब 15 लाख ग्राहकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हो गया। पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में 4355 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके तहत बैंक से छह महीने की अवधि में 40,000 रुपए तक ही धन निकाले जाने की सीमा निर्धारित किए जाने के बाद से ग्राहकों में खलबली मची हुई है और उनमें हताशा है।

न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने कहा कि वह इस याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी। दिल्ली के रहने वाले बेजान कुमार मिश्र ने यह याचिका दायर की है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि कुछ 'निर्लज्ज व्यक्तियों' की कारगुजारियां की वजह से नागरिकों का धन फंस जाने जैसे वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में बैंक और सहकारी जमा राशियों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

असम में विदेशी हिरासत केंद्र में 'बांग्लादेशी' की मौत, होगी जांच

तेजपुर (असम), 16 अक्तूबर (भाषा)।

असम सरकार ने तेजपुर जिले स्थित विदेशी हिरासत केंद्र में कैदी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। तेजपुर जेल सहहिरासत केंद्र के अधीक्षक मृणमय दावका ने बुधवार को बताया कि दुलाल पाल नामक कैदी के पुत्र ने पिता का शव तब तक लेने से मना कर दिया है जब तक उसके पिता को भारतीय नागरिक घोषित नहीं कर दिया जाता। विदेशी न्यायाधिकरण ने दुलाल पाल को 2017 में बांग्लादेशी घोषित किया था।उपायुक्त मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 65 वर्षीय पाल को गुवाहाटी मेडिकल कालेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मौत हो गई।

वेटिकन ने प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली केरल की नन की अपील खारिज की

कोच्चि (केरल), 16 अक्तूबर (भाषा)।

वेटिकन ने 'फ्रांसिस्कन क्लेरिस्ट कोंग्रेगेशन' (एफसीसी) के फैसले के खिलाफ दायर केरल की नन की अपील खारिज कर दी है। एफसीसी ने उन्हें जीवनशैली को लेकर संतोषजनक जवाब दे पाने में नाका

मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम-34.2 डि.से. सूर्योदय- 6:23
न्यूनतम- 21.8 डि.से. सूर्यास्त- 17:51

अलग-अलग आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी, कहा

प्रदूषण पर हवा में चल रहे तुक्के

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

प्रदूषण के अलग-अलग आंकड़ों पर बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर हवा में केवल तुक्के चल रहे हैं। उनका इशारा हाल में सामने आए उन आंकड़ों की तरफ था जिसमें दिल्ली के प्रदूषण को ही स्तर बढ़ने की एक प्रमुख वजह बताया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर भी प्रदूषण है लेकिन बीते दिनों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। अगर दिल्ली का ही प्रदूषण है तो केंद्र सरकार को तथ्यों व आंकड़ों के आधार पर इसकी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर तक दिल्ली में ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन जैसे ही आसपास के राज्यों में पराली जलने की घटनाएं सामने आने लगीं, तभी से प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। इस प्रदूषण की जांच के लिए दिल्ली के पास मशीनें नहीं हैं। दिल्ली सरकार ऐसी मशीनों को लाने की तैयारी कर रही है ताकि प्रदूषण के सही कारणों का पता लगाया जा सके। इस समय प्रदूषण की निगरानी केंद्र सरकार के तंत्र से हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार मानती है कि दूसरे राज्यों की पराली जलने की घटनाओं का केवल 10 फीसद ही असर है, तो केंद्र सरकार को 90 फीसद प्रदूषण के सही कारण स्पष्ट करना चाहिए। बीते दिन में दिल्ली में कोई अतिरिक्त वाहन नहीं बढ़े हैं और धूल कण भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन इस समय अगस्त-सितंबर वाली स्थिति दिल्ली में नहीं रही है।

इन माह में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गिर रहा था और यह 25 फीसद तक कम दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर की प्रदूषण की वजह से हर साल दिल्ली में ऐसे गंभीर हालात बनते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार व आसपास के राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। जब तक सभी राज्य इस पर मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक दिल्ली को हर साल होने वाले इस प्रदूषण से बचाना संभव नहीं है। इस मामले में अनुमान के आधार पर रिपोर्ट जारी करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार व जनता इस प्रदूषण से लड़ने के लिए हर संभव तैयारियां कर रही हैं और बीते दिनों में इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।

अब 300 के पार

दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषण की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता तालिका में दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 का आंकड़ा पार कर गया। दक्षिणी दिल्ली से सटे इलाकों में यह प्रदूषण का स्तर अधिक देखने को मिला। बवाना में यह स्तर बीते दिन 304 तक पहुंचा था, जो बुधवार को बढ़कर 344 तक पहुंच गया। इसी प्रकार आनंद विहार, सिरीफोर्ट, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, द्वारका जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है।

पराली बहाना, पर्यावरण पर नहीं हुआ कोई काम : गोयल

भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा प्रदूषण के मामले में पराली दिल्ली सरकार का बहाना है। सरकार ने पर्यावरण क्षेत्र में काम किया होता, तो बीते चार साल तक जनता को परेशानी नहीं उठानी होती। जल्द ही प्रदूषण पर सरकार की असफलताओं की पोल भाजपा नेता जनता के बीच जाकर खोलेंग। सम-विषम की व्यवस्था एक नाटक है और इससे पूर्व भी यह मुहिम असफल रही है।

दिल्ली सरकार की योजनाओं का लोगों को नहीं मिला लाभ : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। दिल्ली सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में योजना मद की 27 हजार करोड़ की राशि में से अब तक 6380 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। दिल्ली भाजपा के विधायकों ने दिल्ली सरकार के कामकाज की यह रिपोर्ट तैयार की है। भाजपा विधायकों के मुताबिक, सरकार ने अब तक केवल 23.63 फीसद धनराशि ही खर्च की है और इस जांच में 'आप' सरकार 33 फीसद अंक से भी पास नहीं हो पाई है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने यह जानकारी दिल्ली सरकार की ही वेबसाइट से ही जुटाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं और हर क्षेत्र के लिए भारी-भरकम बजट आबंटित किया था, लेकिन दिल्ली सरकार सभी मदों में उपलब्ध कराई गई धनराशि का इस्तेमाल नहीं कर पाई है। अभी सरकार के पास 76 फीसद पैसा बचा हुआ है और इस वित्त वर्ष में सरकार अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। इस प्रेसवार्ता में विधायक ओम प्रकाश शर्मा, जगदीश प्रधान, कपिल मिश्रा, अनिल वाजपेयी, देवेंद्र सेहरावत और मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा भी उपस्थित थे।

भाजपा के मुताबिक, दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन के क्षेत्र पर अधिक काम होने का दावा करती है, लेकिन इन क्षेत्रों पर धन आबंटन सरकार के काम की रफ्तार को बता रहा है। इस वर्ष ही सरकार ने 2890 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 2916 करोड़ किया था जबकि हकीकत यह है कि सरकार ने अब तक केवल 578 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं।

निगम ने 50 मशीनों को दिखाई हरी झंडी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बेड़े में शहरी विकास कोष से शामिल 70 करोड़ की लागत की मशीनें शामिल हो गईं। पटपड़गंज स्थित पूर्वी दिल्ली निगम मुख्यालय से बुधवार को इन 50 मशीनों को हरी झंडी देकर सड़क पर रवाना किया गया। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से ठोस कचरा प्रबंधन और बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूर्वी निगम को अत्याधुनिक मशीनें खरीदने के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। इससे वाटर स्प्रींकलर मशीन, सुपर सकर, सक्शन एवं जेटिंग और ऑटो माउंटेड लिटर पिक्कर आदि मशीनें खरीदी गई हैं। रवानगी के समय सांसद मनोज तिवारी और गौतम गंभीर विशेष अतिथि के साथ

मेयर अंजू कमलकांत, उपमेयर संजय गोयल, स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप कपूर, नेता सदन निर्मल जैन सहित अन्य सारे अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे।

दिल्ली भर में मुफ्त कैंसर जांच शिविर लगाएगी भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

कैंसर की बीमारी में जनता को घर के नजदीक ही उपचार मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भर में कैंसर शिविर आयोजित करेगी। बुधवार को प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने इसकी शुरुआत की। प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ ने गीता कॉलोनी में इसका पहला शिविर लगाया।

सिद्धार्थन ने कहा कि कैंसर एक जानलेवा रोग है लेकिन समय पर इलाज मिलने पर किसी की जान को बचाया जा सकता है। इसके लिए भाजपा ने यह पहल की है। इसके लिए एक मोबाइल वैन तैयार की गई है। जो विभिन्न इलाकों में जाकर मरीजों को उपचार देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में दवा व डॉक्टर नहीं हैं। इस वजह से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अभय वर्मा, डॉ मोनिका पंत, कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल, चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक डॉ. वी.के. मोंगा व सहप्रीारी डॉ. अनिल गोयल समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए पहल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

दिल्ली में सरकारी जमीनों पर सरकार की निगरानी बढ़ेगी। बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस बाबत मुख्य सचिव को आदेश जारी किए हैं। दिल्ली की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए यह पहल की गई है।

उपराज्यपाल ने बताया कि क्षेत्रीय उपायुक्त अपने क्षेत्र में ग्रामसभा जमीन को चिह्नित करेंगे और अतिक्रमण वाली सभी जगहों की एक विस्तृत सूची तैयार करें। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को राजस्व दस्तावेजों का ऑनलाइन करने का काम तेजी से करने के आदेश दिए हैं। इस पर मंडलायुक्त व डीडीए अधिकारी मिलकर काम करेंगे।

स्पा केंद्रों पर निगरानी होगी सख्त, बनेगी विशेष टीम

दिल्ली में चल रहे स्पा सेंटर पर निगरानी और सख्त होगी। इसके लिए मुख्स सचिव विजय देव जल्द ही एक विशेष टीम बनाएंगे। इस टास्क फोर्स की अगुआई गृह सचिव को सौंपी गई है। पुलिस समेत स्थानीय निकायों को इस टीम में शामिल किया जाएगा। उपराज्यपाल ने आदेश दिए हैं कि अवैध तरीके से चल रहे इन स्पा सेंटर पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इस मामले में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

Chief Guest

Anurag Singh Thakur
Minister of State for Finance
Government of India

ASSOCHAM
INDIA

6th National Summit
NON-BANKING FINANCE COMPANIES
"Contributing To Building A 5 Trillion Dollar Economy"
17th October 2019, New Delhi

"The goal to make India a $5 trillion economy by 2024 is challenging, but can surely be achieved"
– Narendra Modi, Prime Minister

"NBFCs comprise a vital and innovative link for credit access to under-served geographies and customer segments, therefore their growth is imperative for socio-economic development."

B. K. Goenka
President, ASSOCHAM

EMINENT SPEAKERS

- Ajit Pai, Head of Economics & Finance, NITI Aayog
- Dr. Rathin Roy, Director, National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)
- Sunil Kanoria, Past President, ASSOCHAM and Vice Chairman, Srei Infrastructure Finance Ltd.
- Umesh Govind Revankar, MD & CEO Shriram Transport Finance Company Ltd.
- Venkatraman G, CEO, TVS Credit Services Ltd.
- Jayesh Kumar, Chief Economist, Manappuram Finance Ltd.
- Nitin Jain, Partner, PwC
- Raman Aggarwal, Chairman, ASSOCHAM National Council for NBFCs & Co-Chairman, Finance Industry Development Council (FIDC)
- Arun Jain, Co-Chairman, ASSOCHAM National Council for NBFCs & CMD, V.S. Infrastructure Capital Ltd.
- Amit Saxena, Co-Chairman, ASSOCHAM National Council for NBFCs & MD & CEO, E-Kosh Finance Ltd.
- Dr. Charan Singh, Chairman, ASSOCHAM National Council for Banking & Non- Executive Chairman, Punjab & Sind Bank
- Mahesh Thakkar, Director General, Finance Industry Development Council (FIDC)
- Pradeep Goel, CMD, Prudent ARC Ltd.
- Anil Goel, Founder and Chairman, AAA Insolvency Professionals LLP
- Neeraj Sharma, MD & CEO, Indian School Finance Company Private Ltd. (ISFC)
- Pratapsingh Nathani, Founder & Dy. MD, Beacon Trusteeship Ltd.
- Aastha, Partner, Argus Partners
- Manish Kaneria, MD and COO, RBSA Advisors
- Rajan Dogra, CA & Ex-Director, Vijaya Bank
- Col. Sarpreet Benipal, Chief Corporate Affairs Officer Home Credit India Finance

Key areas of discussion • What should $5 Trillion Goal mean for 'Aam Admi'? • Is Increased Regulation the Way Forward? • Liquidity Crunch for NBFCs : Reasons & Way Forward • Resolution of NBFCs through IBC • NBFC regulations : 'One Size Fits All' may not work • NBFC, Banks, Tech & Eco-System to come together for the underserved

Platinum Partners: WELSPUN GROUP Leading Tomorrow Together; Hiranandani; TCI
Presenting Partner: SREI
Associate Partners: SHRIRAM; MANAPPURAM FINANCE LIMITED
Knowledge Partner: pwc
Exclusive Media Partner: ZEE BUSINESS
Logo Partners: PRUDENT ARC LIMITED; TVS CREDIT; argus partners; isfc; RBSA; BEACON; AAA Insolvency; Moneyplus
In Association with: FIDC Finance Industry Development Council

Kushagra Joshi: 08447365357, E-mail: kushagra.joshi@assocham.com • Vivek Tiwari: 08130849452, E-mail: vivek.tiwari@assocham.com

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India
5, Sardar Patel Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021. INDIA • Ph: 011-46550555 (Hunting Line • Fax: 011-23017008, 23017009 • www.assocham.org
Follow us on:

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	33.9 डि.से.	33.9 डि.से.	34.0 डि.से.	34.4 डि.से.
न्यूनतम	21.2 डि.से.	21.2 डि.से.	20.0 डि.से.	22.3 डि.से.

सफदरजंग अस्पताल का डॉक्टर बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर ने पढ़ाई कराने के बहाने एक महिला एमआर से बलात्कार किया और फिर अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उसे पांच महीने से ब्लेकमेल करता रहा। इस जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने अस्पताल में दवाओं की कंपनी का प्रचार करने के लिए आने वाली पीड़िता एमआर को कई प्रलोभन दिए। महिला की शिकायत पर सफदरजंग थाना पुलिस ने सोमवार को पहले मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने डॉक्टर के दोनों मोबाइलों को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। जिला पुलिस उपायुक्त देवेंद्र आर्य ने गिरफ्तारी की पुष्टि की।

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक 25 साल की पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह एक दवा कंपनी में फील्ड सेल्स प्रबंधक का काम करती है। इस काम में उसे अक्सर सफदरजंग अस्पताल जाना होता था जबकि आरोपी डॉक्टर रवि प्रकाश वर्मा अस्पताल में सर्जरी विभाग में जूनियर रेजिडेंट है और एमसीएच की पढ़ाई कर रहा है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह दवाओं के प्रचार के सिलसिले में डॉक्टर से मिलती थी। अस्पताल में हुई कई मुलाकातों के बाद दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों फोन पर बात करने लगे। एक दिन आरोपी डॉक्टर ने युवती को सरकारी नौकरी की तैयारी करने की सलाह दी क्योंकि युवती ने बी फार्मा की पढ़ाई की हुई थी। आरोपी डॉक्टर ने कहा कि वह युवती को पढ़ाई की तैयारी करवा देगा। 10 मई को युवती पढ़ाई के लिए डॉक्टर के अर्जुन नगर स्थित घर पर गई थी, जहां पढ़ाई के दौरान आरोपी डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को दे दिया। उसे पीने के बाद युवती बेहोश हो गई। आरोपी डॉक्टर ने इस बात का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बेहोशी में युवती के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए।

आरोपी डॉक्टर रवि प्रकाश वर्मा अस्पताल में सर्जरी विभाग में जूनियर रेजिडेंट है

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह दवाओं के प्रचार के सिलसिले में डॉक्टर से मिलती थी

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी डॉक्टर पिछले पांच महीने से उसे अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। आरोपी उसे धमकी देकर अपने घर बुलाता था और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने परेशान होने के बाद उसने अपने घर में वारदात के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस को आरोपी के बारे में शिकायत दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दोनों के मोबाइल फोन को फोरेसिंक जांच के लिए भेज दिया है।

पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

वजीराबाद में मंगलवाल देर पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। स्पेशल सेल और बदमाशों के साथ हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरे बदमाश ने आत्मसमर्पण किया। दोनों बदमाशों के पास से दो पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान उत्तरप्रदेश के बिजनौर निवासी रवि और मुस्तकीम के रूप में हुई है। पुलिस को लंबे समय से दोनों की तलाश थी।

स्पेशल सेल के उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार शाम सूचना मिली कि शातिर बदमश रवि और मुस्तकीम देर रात वजीराबाद इलाके में आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मुस्तैद हो गई। टीम को रात करीब सवा दस बजे वजारीबाद-बुराड़ी रोड पर मोटरसाइकिल सवार दो लोग आते दिखे। रुकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जिसमें बदमाश रवि (26) के पैर में गोली लगी। रवि को गोली लगने के बाद पुलिस ने मुस्तकीम (51) को भी दबोच लिया। घायल बदमाश रवि को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों पर लूटपाट के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

आपसी रंजिश में गोली मारने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

बाहरी-उत्तरी जिले के भलस्वा डेयरी में मंगलवार देर रात को फतेह सिंह उर्फ सोनू और आदर्श को गोली मारने के मामले में पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की पहचान मुकेश उर्फ बोना, राजेंद्र मोहित उर्फ विक्की, मोहन उर्फ शशी पहलवान, मयंक और राहुल उर्फ लक्कड़ के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल दो पिस्तौल बरामद की है। पुलिस को आरोपियों के एक और साथी की तलाश है। जिले के उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि भलस्वा डेयरी में पीसीआर को फतेह सिंह उर्फ सोनू को गोली मारने की सूचना मिली थी।

खबरों में शहर

एक मिस कॉल पर मिलेगा 'आप' मोबाइल ऐप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर

आम आदमी पार्टी से नए लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी का मोबाइल ऐप तैयार है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐप जारी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी आम नागरिक एक मिस कॉल से इस ऐप से जुड़ सकता है। उन्होंने बताया कि पार्टी ऐप के लिए 9871010101 पर मिस कॉल करने पर इस ऐप का लिंक लोगों को भेज दिया जाएगा। इस ऐप का प्रयोग पार्टी अपनी गतिविधियों व पार्टी के खिलाफ चल रहे प्रचार से लड़ने के लिए करेगी। अरविंद केजरीवाल डॉट इन वेबसाइट पर जाकर कोई भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। इसमें जनता की जानकारी के लिए पार्टी के उदय से लेकर अब तक कहानी भी बताई गई है। इसे फोटो व वीडियो से समझा जा सकता है।

आरटीआइ कानून में संशोधन इसे पीछे ले जाने वाला कदम : लोकुर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर ने कहा कि सूचना के अधिकार कानून में हुआ संशोधन इसे पीछे ले जाना वाला कदम साबित होगा। वे सूचना के अधिकार कानून के 14 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक परिचर्चा में बोल रहे थे। इसका आयोजन बुधवार को सतर्क नागरिक सगठन (एसएनएस) ने किया था। जनसभा में सतर्क नागरिक संगठन की अंजलि भारद्वाज ने कहा -कई आयोगों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इसके बावजूद सरकार सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ठोस कदम उठाने में विफल रही है।

गांधी संकल्प यात्रा के दौरान बांटे कपड़े के थैले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

अशोक विहार के जेलर वाला बाग सेवा बस्ती में गांधी संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कपड़े के थैले वितरित किए। साथ ही लोगों को वातावरण को स्वच्छ रखने, जल संरक्षण और एकल प्रयोग प्लास्टिक को इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित किया गया। इस यात्रा के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश गर्ग ने बताया कि गांधी के जीवन से प्रेरित होकर यह गांधी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। गांधी सच्चाई और अहिंसा के पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके विचार आज भी हमारे मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं। इस यात्रा में सतीश गर्ग के साथ जिला अध्यक्ष रोशन कंसल, उपमहापौर योगेश वर्मा, जिला महामंत्री वीरेंद्र गोयल, जिला उपाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, पूर्व विधायक डॉ महेंद्र नागपाल आदि कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।

ग्रेप लागू हुए दो दिन हुए, प्रदूषण में नहीं आई कमी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 16 अक्तूबर।

तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू कर दिया गया है। इसके दायरे में निमार्णाधीन परियोजनाओं को पर्यावरणीय नियमों का कड़े रूप से पालन कराना जरूरी है। हालांकि ग्रेप लागू हुए दो दिन हो गए है लेकिन प्रदूषण स्तर में कमी नहीं देखी गई। बुधवार को शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर को पार कर गया है। वह लाल श्रेणी में पहुंच गया। यह शहर के चार अलग-अलग स्थानों पर लगे संयत्रों से मिले आकड़ों में स्पष्ट हो रहा है। सेक्टर -62 में एक्यूआई का स्तर 320 दर्ज किया गया। वहीं, सेक्टर-125 में 313 , सेक्टर-01 में 316 व सेक्टर-116 में सर्वाधिक 326 दर्ज किया गया। यह सभी आंकड़े लाल श्रेणी (रेड जोन) के हैं। प्रदूषण में कमी नहीं आने की बड़ी वजह नियमों की अनदेखी को भी माना जा रहा है। नियमों का कड़े रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।

मजिस्ट्रेट का फोन झपटने वाले आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

महानगर मजिस्ट्रेट का फोन छीनने वाले झपटमार 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। इस मामले में उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस ने दो बदमाशों और चोरी का सामान खरीदने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी किया आइफोन, होंडा सिटी कार, एक्टिवा स्कूटर और आठ हजार रुपए बरामद किए गए हैं। सोमवार रात अपने घर के पास टहल रहे मजिस्ट्रेट से मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने फोन झपट लिया था।

उत्तरी जिला की पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज ने बताया कि इस गिरोह का भंडाफोड़ रूपनगर और भारतनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से किया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान करण उर्फ राजू, हरीम उर्फ राजू, दुर्गा प्रसाद और मुजम्मिल अहमद के रूप में हुई है।

उपायुक्त ने बताया कि सोमवार रात आठ बजे कमलानगर इलाके में अपने घर के पास टहल रहे मजिस्ट्रेट का मोबाइल मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने झपट लिया गया था। रूपनगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले के बाद पुलिस बदमाशों की पहचान कराने के बाद जगह-जगह दबिश दे रही थी तभी बुधवार सुबह साढ़े तीन बजे करण और रहीम को दबोच लिया गया। दोनों को जिस स्कूटर के साथ पकड़ा गया उसे भलस्वा डेयरी इलाके से चोरी किया गया था। आरोपी पेशेवर झपटमार हैं लेकिन पुलिस इन्हें लंबे समय से गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

पूछताछ में पता चला कि वे लोग चोरी के मोबाइल फोन आजादपुर के दुर्गा प्रसाद के हाथों बेचता है। पुलिस ने दुर्गा को भी पकड़ लिया है। दुर्गा ने बताया कि उसने फोन दस हजार रुपए में मुजम्मिल को बेच दिया था। पुलिस ने दबिश देते हुए मुजम्मिल को भी दबोच लिया। उसके पास से चोरी किया गया आइफोन बरामद कर लिया गया है।

विरोध के स्वर

वाम दलों ने देश में गहराते आर्थिक संकट और आम जनजीवन में बढ़ती बदहाली के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर वामदलों की ओर से दस अक्तूबर को शुरू हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के अंतिम चरण में बुधवार को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन की अगुआई माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा के महासचिव डी राजा ने की।

फोटो : अरुष चोपड़ा

गढ़वाली-कुमाऊंनी अकादमी का गठन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

दिल्ली सरकार ने गढ़वाली-कुमाऊंनी और जौनसारी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक और अकादमी बनाई है। कला, संस्कृति और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस अकादमी के गठन की गोषणा की। मशहूर गायक व कलाकार हीरा सिंह राणा को इस अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह अकादमी उत्तराखंड की कला और संस्कृति को बढ़ावा देगी।

कला, संस्कृति और भाषा मंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। यहां पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर निवास करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में निवास करते हैं। हम उन लोगों को एक ऐसा मंच मुहैया कराना चाहते हैं जहां वे अपनी कला और संस्कृति से रू-ब-रू हो सकें। साथ ही दिल्ली के लोग भी उत्तराखंड की संस्कृति से अच्छी तरह परिचित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि नई अकादमी गढ़वाली-कुमाऊंनी और जौनसारी भाषा और संस्कृति में बेहतरीन काम करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न तरह के पुरस्कार शूरू करेगी।

जजपा नेता दुष्यंत चौटाला का एलान

सत्ता में आए तो कैंसर का इलाज मुफ्त होगा

फरीदाबाद, 16 अक्तूबर (जनसत्ता)।

प्रदेश में जननायक जनता पार्टी (जजपा) की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार, किसानों को फसलों के सही दाम के साथ कर्जमाफी का तोहफा, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का मुफ्त इलाज और पीने के लिए आरओ का पानी उपलब्ध होगा। ये एलान पलवल में जजपा प्रत्याशी गयालाल चांट की आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जजपा नेता एवं पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने किया। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी का मिशन कांग्रेस व भाजपा की लूट-खसूट की राजनीति करने वालों से पीछा छुड़वा कर प्रदेश का विकास करना है।

रैली को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर पीने के लिए साफ पेयजल का इंतजाम सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने यह भी एलान किया कि गरीबों की जेब पर बीमारियां के इलाज का बोझ न पड़े इसके लिए स्वास्थ्य के अधिकार का कानून लागू करेंगे। इस अधिकार के तहत लोगों को अस्पतालों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे बल्कि सरकार निशुल्क इनका इलाज करेगी।

हर 20 गांवों पर एक मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की जाएगी जो गांव-गांव घूमकर लोगों का इलाज करेगी। बुजुर्गों के लिए 5100 रुपए पेंशन, किसानों के लिए लाभकारी समर्थन मूल्य के साथ-साथ मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन, कर्ज माफी समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जो जेजेपी सत्ता में आते ही प्रदेश की खुशहाली के लिए लागू करेगी।

वहीं, प्रदेश के युवाओं की नौकरियों के लिए 75 फीसद रोजगार की गारंटी रोजगार मेरा अधिकार को पहली कलम से लागू किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने पलवल वासियों से कहा कि वे मुख्यमंत्री से पूछें कि यमुना नदी पर पुल क्यों नहीं बनाया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने यहां यमुना नदी पर पक्के पुल के निर्माण की कई बार घोषणा की थी।

अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र को सशक्त बनाने वाले विज्ञान का लगेगा उत्सव

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 16 अक्तूबर।

भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आइआइएसएफ) 2019 का आयोजन पांच से आठ नवंबर तक कोलकाता में किया जा रहा है। आइआइएसएफ के पांचवे संस्करण का विषय राइजन इंडिया, यानी अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र को सशक्त बनाने वाला विज्ञान है। इसके तहत राष्ट्रीय मध्यम अवधि पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्लूएफ) और विज्ञान प्रसार (वीपी) 18 अक्तूबर को नोएडा के सेक्टर-62 में स्कूल-कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के लिए ओपन डे-आउटरीच प्रोग्राम ऑन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। यह जानकारी बुधवार को एनसीएमआरडब्लूएफ नोएडा के प्रमुख डॉ ई. एन. राजागोपाल ने दी।

पांच से आठ नवंबर तक चलेगा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव

उन्होने बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों की विविधता और संख्या के संदर्भ में युवा वैज्ञानिकों का सम्मेलन एक बड़ा आयोजन है, जहां करीब 1500 युवा वैज्ञानिक और शोधकर्ता अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न विषय विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही अपने पोस्टर और दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकेंगे। ओपन डे आउटरीच कार्यक्रम में सेक्टर-62 स्थित केंद्र में नोएडा सहित एनसीआर से छात्रों और शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है, जहां सुबह 10:30 बजे से दो घंटे तक शोध गतिविधियों एवं सुविधाओं को लोकप्रिय व्याख्यान, वैज्ञानिकों के साथ बातचीत और विज्ञान वृत्तचित्र फिल्मों के जरिए विद्यार्थियों को दिखाया जाएगा। छात्रों को मौसम की भविष्यवाणी और मॉडलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले सुपर कंप्यूटर समेत अन्य उन्नत तकनीकों की यात्रा पर ले जाया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद

ई-प्रोक्योरमेंट सूचना (1st Call)

ई-निविदा प्रार्थना संख्या - RCD/DHANBAD/1655/2019-20
दिनांक – 15.10.2019

1.	कार्य का नाम	"योजना मद अन्तर्गत भूली मोड़ से आस मोड़ पथ (बारोपुर के नजदीक) के पक्के किरणीकरण में" Bor Cel पुल निर्माण कार्य (पहुँच पथ निर्माण सहित), वर्ष 2019-20"
2.	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	रुपये 1,50,84,900/- (एक करोड़, पचास लाख, चौरासी हजार, नौ सौ रुपये) मात्र।
3.	कार्य समाप्ति की अवधि	12 (बारह) माह।
4.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	18.11.2019 (12:00 बजे दिन तक)
5.	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय	25.10.2019 (10:30 बजे पूर्वाह्न)
6.	निविदा प्रस्तावित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद।
7.	प्रोक्युरमेंट अधिकारी का सम्पर्क नम्बर	06432-275640
8.	ई-प्रोक्युरमेंट सेल का हेल्पलाईन नम्बर	0651-2446007

अतिरिक्त जानकारी के लिए वेबसाइट http://jharkhandtenders.gov.in पर देखें।

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद

PR 219954 Road (19-20)_D

कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय
नगर पंचायत कोडरमा

अति अल्पकालिन ई – निविदा आमंत्रण संख्या – 08/2019-20 दिनांक 16.10.2019

क्र0 सं0	वार्ड सं0	कार्य का नाम	निविदा की राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1		Construction of Multi Purpose Cultural Complex, in ward 01, Under Nagar Panchayat Koderma.	34477200.00	689544.00	10000.00	4 Months
A		Date of Publication of Tender on website		17-10-2019		
B		Last Date / Time for receipt bid on online		30-10-2019		
C		Date of Hard copy receiving		31-10-2019		
D		Date of opening Tender		01-11-2019		
E		Name & Address of office inviting tender		Executive Officer Nagar Panchayat Koderma		
F		Helpline No.		8271829022		

नोट – उक्त कार्य की निविदा की राशि में GST दर सम्मिलित नहीं है।

जिसे अब तक ना रगड़े, वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं।

ह0/-
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत कोडरमा

PR 220004 Urban Development (19-20) D

10 साल पुराने और खुले में रखे डीजल जेनरेटरों को प्रतिबंधित करने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 16 अक्तूबर।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) से सभी तरह के बजाए 10 साल पुराने और खुले में लगे डीजल जेनरेटरों पर रोक लगाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बुधवार को ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। दूसरी तरफ, प्राधिकरण की टीमों ने एक बार इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक, खुले में शौच, मलबा व गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया है।

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने ईपीसीए अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधिमंडल की नोएडा इकाई के अध्यक्ष नरेश कुच्छल ने कहा 15 अक्तूबर से दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के डीजल जनरेटर समेत लकड़ी व कोयले के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले इस कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने उद्योगों और बाजारों की विद्युत अव्यवस्था को दिक्कत की बड़ी वजह बताई है। नो पावर कट जोन में होने के बावजूद नोएडा में प्रतिमाह 45-60 घंटे नहीं रहती है। ऐसे में जेनरेटर के बगैर काम करना संभव नहीं है। ऐसे हालात में बाजारों में लूट और छीना-झपटी की घटनाएं बढ़ सकती हैं और कानून व्यवस्था खराब होने का खतरा बढ़ेगा।

प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता चंद्रप्रकाश गौड़ ने कहा कि पोर्टेबल जनरेटरों को पीएनजी से चलाना संभव नहीं है। गैस आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था मौजूद होने से साफ इनकार किया है।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

इंडिया हैबीटाट सेंटर : प्रकाशक-प्रकाशन पर चर्चा, गुलमोहर सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

विविध

इंडिया हेबीटाट सेंटर : फिल्म-पाथेर पंचाली का प्रदर्शन, स्टेन सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

आस फाउंडेशन : करवा चौथ पर कार्यक्रम, होटल सिटी पार्क, पितमपुरा, दोपहर तीन बजे से।

'मोदी ने पाक को दिखाया 56 इंच का सीना'

जनसत्ता संवाददाता
फरीदाबाद, 16 अक्तूबर।

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीते 70 सालों में कई प्रधानमंत्री और सरकारें आईं लेकिन आतंकवाद की जड़ अनुच्छेद 370 को हटाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। शाह ने कहा कि आप लोगों ने 300 से ज्यादा वोट देकर मोदी को हिम्मत दी और मोदी ने एक झटके में इसे उखाड़ फेंका। पाकिस्तान को दिखा दिया कि मोदी का सीना 56 इंच का है और वे अपनी जनता की ताकत पर कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जब दुनिया के देशों में जाते हैं तो लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मोदी से मिलने में अपनी शान समझते हैं। अमित शाह ने यह बात तिगांव विधानसभा क्षेत्र की एक चुनावी सभा मे की। उनके साथ उद्योग मंत्री विपुल गोयल और जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी भाजपा उम्मीदवार राजेश नागर को जिताने की अपील की।

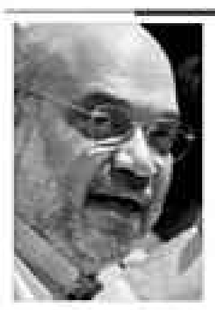

शाह ने कहा कि पाकिस्तान को दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है और वे अपनी जनता की ताकत पर कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं।

कांग्रेस की सोच पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि दुनिया के देशों में जब मोदी- मोदी के नारे लग रहे होते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देश हित में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो ये लोग विरोध करते हैं। इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को पहुंचता है।

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने तिगांव में हरियाणा की जनता से वायदा करते हुए कहा कि हम हरियाणा को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे। आने वाला वक्त हरियाणा के लिए स्वर्णिम होगा।

खट्टर सरकार की तारीफ करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में भ्रष्टाचार और गुंडाराज था। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती वीरों की धरती है। धारा 370 हटाने की सबसे ज्यादा खुशी मैं हरियाणा के लोगों में देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहां के जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी है।

कश्मीर में लगातार 73वें दिन जनजीवन प्रभावित

श्रीनगर, 16 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से कश्मीर में लगातार 73वें दिन बुधवार को भी मुख्य बाजार बंद रहने और सार्वजनिक वाहनों के सड़कों से नदारद रहने के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने बताया कि शहरों और घाटी के अन्य हिस्सों में निजी वाहनों को बिना किसी रुकावट के सड़कों पर चलते देखा गया।

कश्मीर के कुल इलाकों में ऑटो रिक्शा और जिले के भीतर चलने वाली कुछ कैब को सड़कों पर देखा गया लेकिन अन्य सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहे। मुख्य बाजार और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वाणिज्यिक केंद्र लाल चौक समेत कुछ इलाकों में सुबह कुछ घंटे दुकानें खुली रहीं। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल और कॉलेज खुले रहे लेकिन अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर उन्हें स्कूल-कॉलेज नहीं भेजा।

कश्मीर में सोमवार को मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गईं।

संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने की संभावना

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो सकता है और इसके एक महीने चलने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने बुधवार को यह संकेत दिया। सत्र के संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन शीतकालीन सत्र की तारीखों पर फैसला करने के लिए हुई संसदीय मामलों पर कैबिनेट की समिति (सीसीपीए) की बैठक के बाद सूत्रों ने 18 नवंबर से इसके शुरू होने के संकेत दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक हुई जो इस समिति के प्रमुख हैं। (भाषा)

SASKEN

Sasken Technologies Limited

Corporate Identity Number (CIN): L72100KA1989PLC014226
Registered Office: 139/25, Ring Road, Domlur, Bengaluru - 560 071. Phone: +91 80 6694 3000; Fax: +91 80 2535 1133
E-mail: investor@sasken.com; Website: www.sasken.com; Contact Person: Mr. S. Prasad, Associate Vice President & Company Secretary

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER DATED SEPTEMBER 30, 2019 ("LOF") FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF SASKEN TECHNOLOGIES LIMITED FOR THE BUY-BACK OF EQUITY SHARES THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUY-BACK REGULATIONS").

This corrigendum to LOF (**"Corrigendum"**) is in continuation of and should be read in conjunction with the LOF issued in connection with the Buy-back of Equity Shares of the Company. Capitalized terms used in this Corrigendum and not defined herein shall have the same meaning as ascribed to it in the LOF.

SEBI - Mumbai Office and Stock Exchanges have declared trading holiday on Monday, October 21, 2019 on account of General Assembly Election in Maharashtra. Accordingly, in compliance with Buy-Back Regulations, the Buy-back Closing date is extended by one working day i.e. from Thursday, October 24, 2019 to Friday, October 25, 2019.

The Equity Shareholders of the Company are, therefore, requested to note the amendments to the Schedule of Activities, as contained on page 2 of the LOF, as detailed hereunder:

1. REVISED SCHEDULE OF ACTIVITIES

Activity	Day, Date (as per LOF)	Revised Day, Date
Buy-back opened on / Buy-back Opening Date	**Friday, October 11, 2019**	**Friday, October 11, 2019**
Buy-back closes on / Buy-back Closing Date	**Thursday, October 24, 2019**	**Friday, October 25, 2019**
Date of verification by Registrar to Buy-back	Monday, November 4, 2019	Tuesday, November 5, 2019
Date of intimation to the Designated Stock Exchange regarding acceptance or non-acceptance of tendered Equity Shares by the Registrar and Manager to the Buy-back	Monday, November 4, 2019	Tuesday, November 5, 2019
Last date of settlement of bids on the Stock Exchange	Tuesday, November 5, 2019	Wednesday, November 6, 2019
Last date of return of unaccepted demat shares by Designated Stock Exchange to Seller Member / Broker	Tuesday, November 5, 2019	Wednesday, November 6, 2019
Last date of extinguishment of Equity Shares bought back	Tuesday, November 12, 2019	Wednesday, November 13, 2019

Note: Where fixed dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective fixed dates.

2. Across the LOF, the closing date for the Buy-back mentioned as **Thursday, October 24, 2019** stands substituted and should be read as **Friday, October 25, 2019**.
3. The last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buy-back as specified in paragraph 20.21(v) on page 38 of the LOF, as **"Saturday, October 26, 2019"** stands substituted and should be read as **"Tuesday, October 29, 2019"**.
4. In Paragraph 20.22, the third paragraph as set out in the LOF, stands substituted and should be read as follows:
   EQUITY SHAREHOLDERS WHO DEMATERIALIZE THEIR EQUITY SHARES AFTER THE RECORD DATE (FRIDAY, JULY 5, 2019) AND TENDERS THEIR EQUITY SHARES IN THE BUY-BACK HAVE TO SEND A LETTER ALONG WITH TRANSACTION STATEMENT OF THE DEMAT ACCOUNT FROM WHERE THE EQUITY SHARES ARE TENDERED, TO THE REGISTRAR ON OR BEFORE FRIDAY, OCTOBER 25, 2019.

Except as detailed in this Corrigendum, the contents and other terms of the LOF remain unchanged. This Corrigendum will be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in).

DECLARATION BY THE DIRECTORS REGARDING AUTHENTICITY OF THE INFORMATION IN THIS CORRIGENDUM

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum and confirms that this Corrigendum contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Sasken Technologies Limited

Place: Bengaluru
Date: October 16, 2019

Rajiv C. Mody — Chairman & Managing Director (DIN: 00092037)
Neeta S. Reyankar — Whole time Director & CFO (DIN: 00145580)
S. Prasad — Associate Vice President & Company Secretary

न्यायाधीश को सुनवाई से दूर करने की कोशिश अपनी पसंद की पीठ चुनने का हथकंडा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ से एक न्यायाधीश को दूर रखने के प्रयासों की बुधवार को निंदा करते हुए कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि अपनी पसंद की पीठ चुनने का हथकंडा है और अगर इसे स्वीकार कर लिया गया तो यह 'संस्थान को नष्ट कर देगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पांच सदस्यीय संविधान पीठ से न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को अलग करने की मांग करने के पक्षकारों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया तो ''यह इतिहास का सबसे काला अध्याय होगा, क्योंकि न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए उस पर हमला किया जा रहा है।'' पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट भी हैं। शीर्ष अदालत पांच सदस्यीय पीठ से न्यायमूर्ति मिश्रा को अलग रखने की मांग करने वाली याचिका पर 23 अक्टूबर को आदेश सुनाएगी।

किसानों के कुछ संगठनों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यह अपनी पसंद की पीठ चुनने का प्रयास करने के अलावा और कुछ नहीं है। आप अपनी पसंद के व्यक्ति को पीठ में चाहते हैं। अगर हम आपके अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं और सुनवाई से अलग हो जाने के आपके नजरिए को स्वीकार कर लेते हैं तो यह संस्थान को नष्ट कर देगा। यह गंभीर मुद्दा है और इतिहास तय करेगा कि यहां तक वरिष्ठ अधिवक्ता भी इस प्रयास में शामिल थे।

दीवान ने कहा कि किसी न्यायाधीश को पक्षपात की किसी भी आशंका को खत्म करना चाहिए, अन्यथा जनता का भरोसा खत्म होगा और सुनवाई से अलग होने का उनका अनुरोध और कुछ नहीं बल्कि संस्थान की ईमानदारी को कायम रखना है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
वसूली विभाग, आंचलिक कार्यालय : दिल्ली
चौथा तल, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110125 फोन : 011-25716386, ई-मेल : fgmdelrd@pnb.co.in

आम जनता के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक कर्जदार के विरुद्ध नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर्जदारों / गारंटरों/बंधककर्ताओं (इसके बाद कर्जदारों जैसा उपयोग) से राशि की वसूली हेतु मांग सूचना जारी किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों जो कि नीचे दिए कर्जदारों को प्रदत्त ऋण/क्रेडिट सुविधाओं के संदर्भ में प्रतिभूतियों के रूप में गठित हैं, का कब्जा ले लिया है। जैसा कि, प्रत्याभूत परिसम्पत्ति की बिक्री, मांग सूचना के अनुसार कर्जदार से पंजाब नैशनल बैंक के देय सुनिश्चित ऋणों + भविष्य का ब्याज, बैंक द्वारा उस पर उठाई गयी लागत एवं प्रभार उसके बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर की वसूली के लिए **सार्वजनिक ई-नीलामी** के माध्यम से की जानी है। सर्वसाधारण को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। **बैंक सुरक्षित सम्पत्ति के लिए बोली करने के लिए स्वतंत्र होगा।**

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	कर्जदार एवं बैंक शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं उसमें वर्णित बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण – बंधककर्ता के नाम (सम्पत्ति के स्वामी) सहित	दावों की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) तथा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	उस खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से जमा की जानी है	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय / बोली वृद्धि	प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नम्बर / बकाया सरकारी देय, यदि कोई हो
1	मैसर्स यूनीवीन ग्लोबल प्रा. लि., पंजाब नेशनल बैंक, लॉर्ज कॉर्पोरेट शाखा टॉल्स्टॉय हाऊस, टॉल्स्टॉय मार्ग नई दिल्ली-110001	पीएनबी - 04.05.2016 रु. 5476.79 लाख, दिनांक 31.03.2016 तक, कॉर्पोरेशन बैंक - 09.05.2016 रु. 532.16 लाख, विजया बैंक - 24.05.2016 रु. 1898.38 लाख, दिनांक 31.03.2016 तक, ओबीसी- 04.05.16 रु. 1788.77 लाख, दिनांक 30.4.16 तक	रिहायशी मकान फ्लैट नं. डी-37, दयानंद कॉलोनी, दिल्ली-92, कवर्ड एरिया 164.4 / 6 वर्ग गज का सम्पत्ति अनुदान पत्र के नाम पर है। (निदेशक / गारंटर)	भौतिक	रु. 218.56 लाख / रु. 21.85 लाख 31-10-2019	Account No 21540029 00001338 (Unigreen Global Pvt Ltd EMD Dayanand Block Property) at Punjab National Bank Account at LCB Delhi IFSC code : PUNB0216400	29.10.2019 अपरा 02.00 बजे से अपरा 04.00 बजे	05.11.2019 अपरा 04.00 बजे से अपरा 05.00 बजे / रु. 1.00 लाख	प्राधिकृत अधिकारी : श्री के. एन भारद्वाज, मुख्य प्रबंधक, मो. नं.: 9926562534, 9566128262 नोडल अधिकारी: श्री रविन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, मो. 8130864663 / ज्ञात नहीं
2	मैसर्स एक्सक्लूसिव फाईबर्स लि. पंजाब नेशनल बैंक, लॉर्ज कॉर्पोरेट शाखा टॉल्स्टॉय हाऊस, टॉल्स्टॉय मार्ग नई दिल्ली-110001	रु. 967.39 लाख दिनांक 31-05-2019, मांग सूचना दिनांक 21.08.2019 के अनुसार	रिहायशी मकान डी-38, प्रथम एवं गेंदा फैक्टरी-1, नई दिल्ली-110040 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती मीनू अग्रवाल पत्नी स्व. राजीव अग्रवाल, रिद्धि अग्रवाल पुत्री स्व. राजीव अग्रवाल, जागृति अग्रवाल पुत्र स्व. राजीव अग्रवाल और किंजल अग्रवाल पुत्र स्व. राजीव अग्रवाल (सभी स्व. राजीव अग्रवाल के कानूनी अभिधारी) के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 614.06 लाख / रु. 61.41 लाख 14-11-2019	Account No 2164003171160 (NON CUSTOMER ACCOUNT) at Punjab national Bank Account at LCB Delhi IFSC code : PUNB0216400	30.10.2019 अपरा 02.00 बजे से अपरा 04.00 बजे	18.11.2019 अपरा 04.00 बजे से अपरा 05.00 बजे / रु. 1.00 लाख	प्राधिकृत अधिकारी : श्री के. एन भारद्वाज, मुख्य प्रबंधक, मो. नं.: 9926562534, 9566128262 नोडल अधिकारी: श्री रविन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक, मो. 8130864663 / ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के अतिरिक्त नियम एवं शर्तें :
बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है,आधार पर की जा रही है। (2) नीलामी बिक्री "ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" पोर्टल **www.pnbindia.biz** पर होगी। (3) इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वर्णित प्रत्येक सम्पत्तियों के सम्बन्ध अंकित नोडल अधिकारी से सम्पर्क करके एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से अंतिम तौर पर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो कि ई-विडिंग के लिए अनिवार्य है। (4) उपोद्घातकारी के चार डेमो आईडी कायम कराए किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा स्वीकार्य न पाए जाने की स्थिति में सभी बोलियों को निरस्त करने अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा। (5) नीलामी के अंतिम समय से अंतिम 5 मिनट में बोली लगाए जाने की स्थिति में अंतिम समय स्लाट की 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा। (6) बोलीदाता को अपने पैन कार्ड तथा आवासीय पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। ऐसे बोलीदाता भी, जोकि व्यक्ति नहीं है, ई-विडिंग हेतु उपयुक्त मैनडेट अपलोड करें। (7) सफल बोलीदाता को पहले जमा कराई गई धरोहर राशि सहित बोली राशि की 25% राशि तुरंत जमा करानी होगी। (8) सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि की तिथि से 30 दिन के भीतर बोली राशि की शेष 75% राशि जमा करानी होगी। (9) बोली राशि की 25% राशि तुरंत तथा निर्धारित अवधि के भीतर शेष 75% राशि जमा कराने में चूक की स्थिति में पहले जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। (10) समस्त वैधानिक देयताएं/अटेंडेन्ट खर्चेज/अन्य देय राशि, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि क्रेता को ही वहन करने होंगे। (11) यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए 15/30 दिन का नोटिस भी है। और अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइटस देखें तथा/अथवा उपरोक्त प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकित नोडल अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें : **www.pnbindia.biz ; www.pnbindia.in ; www.eprocure.gov.in**

दिनांक : 17.10.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी : पंजाब नैशनल बैंक

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
102, स्टेशन रोड, मुल्ला तालाब, एसआरएन, भदोही- 221401

विलीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत निम्न सूची में वर्णित उधारकर्ताओं व जमानतदारों को दिनांक 20.09.2019 को मांग नोटिस जारी किये थे तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिन के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत बैंक, निम्न सूची में वर्णित साम्पिक बंधक संपत्ति की नीलामी करने पर विचार कर सकता है, इसलिए बैंक, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उनसे मांग करता है कि वे अपने नाम के आगे उल्लिखित राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर बैंक में जमा करवाने का प्रबंध करें अन्यथा बैंक उनकी साम्पिक बंधक संपत्ति को बेचकर ऋण राशि वसूली करने हेतु स्वतंत्र है।

ऋणी / उधारकर्ता / जमानतदारों का नाम व पता	नोटिस की तारीख व राशि (भविष्य के ब्याज व अतिरिक्त खर्चे)	बंधक संपत्ति के विवरण
मे0 भदोही आयरन वुड्वर्क (ऋणी) भागीदार: 1. श्री सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्याम लाल, 2. श्रीमती रागिनी गुप्ता पत्नी सुरेश चन्द गुप्ता, बरसथी रोड, रामपुर, जिला: जौनपुर-222203. गारंटर : 1. श्री सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र श्याम लाल, 2. श्रीमती रागिनी गुप्ता पत्नी सुरेश चन्द गुप्ता, बरसथी रोड, रामपुर, जिला: जौनपुर-222203.	20.09.2019 सीमी-पीयूबी रु. 42,66,487.92/-	जमीन का क्षेत्रफल 0.038 हेक्टेयर, 380 वर्ग मीटर (वास्तविक साईट के मुताबिक 369.29 वर्ग मीटर) 0.186 हेक्टेयर के बाहर व तीन मंजिला इमारत नया प्लॉट नं. 377, अराजी नं. 881, 882, एच.आई. 883/1/2, 883/2/2 एमआई व 920, मौजा- महिमाहू, जिला- जौनपुर, पिन- 222203 में श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री श्याम लाल के नाम रजिस्ट्रि। चौहद्दी : उत्तर : रोड (रामपुर से निगोह), बरसथी रोड, दक्षिण: सरोजा देवी की जमीन, पूर्व : मुकेश तिवारी व अन्य की जमीन, पश्चिम : सरोजा देवी का मकान।

दिनांक : 16.10.2019, स्थान : भदोही — प्राधिकृत अधिकारी- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
शाखा : चित्रकूट धाम (सिंचाई विभाग के सामने मैत्री छाया कम्पलेक्स, कार्वी)

अधिग्रहण सूचना (स्थावर सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 (2002 का एक्ट 54) के अधीन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, निम्न उधारकर्ताओं एवं गारंटीकर्ताओं को उनके नाम के सामने दिये गये रकम तथा ब्याज की सूचना जारी करते हुए 60 दिनों के अन्दर उल्लिखित राशि तथा ब्याज के पुनःभुगतान हेतु सूचित किया था।

चूंकि उधारकर्ता इस रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहे, अतः उधारकर्ता/गारंटीकर्ता और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (अधिनियम) की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता/गारंटीकर्ता और विशिष्ट रूप से जनसाधारण को इसके द्वारा सावधान किया जाता है कि वह नीचे वर्णित संपत्ति के सम्बन्ध में व्यवहार न करें और संपत्ति में किसी भी प्रकार का व्यवहार इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटीकर्ता का नाम और पता	खाते का विवरण	प्रतिभूतियों के विवरण
श्री नरेन्द्र कुमार, 225, वार्ड नं. 4, लक्ष्मणपुरी, कार्वी, चित्रकूट-210205। गारंटर : श्रीमती सीमा देवी, 225, वार्ड नं. 4, लक्ष्मणपुरी, कार्वी, चित्रकूट-210205।	मांग सूचना दिनांक 03.10.2017 बकाया राशि रु. 4,40,834.18 + ब्याज एवं अन्य प्रभार 03.10.2017 से	सभी सम्पत्ति का भाग मकान नं. 323 सर्वे नं. में 923/2 का, वार्ड नं. 4 (पुराना), 6 (नया), स्थित मौजा- कार्वी सरकार, लक्ष्मणपुरी, जिला- चित्रकूट। चौहद्दी : उत्तर : रोड, दक्षिण : जी.जी.आई. कॉलेज की चौहद्दी, पूर्व : श्रीमती मैना देवी का प्लॉट, पश्चिम : जीवन दास व राम दास की जमीन।
श्री मृगेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री परमात्मा नन्द सिंह, रानीपुर भट्ट, सीतापुर, रामकृपा हॉस्पिटल के पास, कार्वी, चित्रकूट-210204। गारंटर : श्रीमती मीरा देवी पत्नी परमात्मा नन्द सिंह, रानीपुर भट्ट, सीतापुर, रामकृपा हॉस्पिटल के पास, कार्वी, चित्रकूट-210204।	मांग सूचना दिनांक 20.03.2018 बकाया राशि रु. 1,60,165.37 + ब्याज एवं अन्य प्रभार 20.03.2018 से	सभी सम्पत्ति का भाग मकान नं. 161, वार्ड नं. 10, सर्वे नं. में 305/161/1, क्षेत्रफल- 16.72, मोहल्ला राघवपुरी (सीतापुर), नगर पालिका परिषद, चित्रकूट धाम, तहसील- कार्वी, जिला- चित्रकूट। चौहद्दी : उत्तर : रास्ता के बाद श्री राम सेवक का मकान, दक्षिण : श्री जगदीश का मकान, पूर्व : रत्नावली मार्ग, पश्चिम : मकान नं. 161 का भाग।

दिनांक : 16.10.2018 स्थान : चित्रकूट धाम — प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, ''स्टार हाउस'', एच-2, कनाट सर्कस, मिडिल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाजा हाल के पास, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-28844099

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **मैसर्स डीसीपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक तथा गारंटर : श्री अजित कुमार जैन, श्रीमति साधना जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमति राशि जैन** से बैंक ऑफ इंडिया की **(बैंक ऑफ इंडिया) रुपये 2107.33 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार तथा (साउथ इंडियन बैंक) रुपये 1270.18 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया** राशि की वसूली हेतु दिनांक **20.11.2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए **1644.00 लाख** होगा और अग्रिम धनराशि रुपए **164.40 लाख** होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) भूमि और भवन जो कि प्लॉट नंबर 42, रोड नंबर 75, हंसराज मॉडल स्कूल के पास, पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 के पूर्वी हिस्से पर स्थित है तथा जो श्री अजीत कुमार जैन, श्रीमती साधना जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती राशी जैन के नाम पर है। (साउथ इंडियन बैंक के साथ पारी-पस्सू चार्ज) क्षेत्रफल - कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1050 वर्ग गज में से 525 वर्ग गज

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

दिनांक : 17.10.2019
स्थान : नई दिल्ली

सुश्री आरती अनुजा,
प्राधिकृत अधिकारी
फोन - 011-65029149, 011-25718546

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री / बोली केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया'' https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) **ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि- 19.11.2019 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।**
3) **संपत्ति का निरीक्षण करने की तिथि और समय- 16.11.2019 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे** तक उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए।
4) **नीलामी की तिथि और समय- 20.11.2019 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे** तक असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।
5) **नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, पर शुरू होगी।** उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे।
6) **इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (श्री विनोद चौहान - +919813887931)** से उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड नि: शुल्क प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
7) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। अधिकृत कार्यालय / सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
8) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी / बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और / या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
9) उपर्युक्त संपत्ति ऊपर उल्लिखित **आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य जो कि बैंक की वैबसाइट** पर उल्लिखित हैं, से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-नीलामी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों / विवरणों को ईएमडी के साथ जो कि बोली राशि का 10% है, एक लिफाफे में सुपर-लिपिबद्ध "सरफेसी एक्ट 2002 के तहत संपत्ति की खरीद के लिए नीलामी के लिए ईएमडी राशि", उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए तालिका में उल्लिखित खाते के नाम के साथ **19.11.2019** को या उससे पहले शाम 5 बजे तक जमा करना होगा: -
   ए. ईएमडी राशि एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से यूटीआर नंबर के साथ रसीद के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।ईएमडी राशि जमा करने हेतु **खाता सं.- 600320110000768** (BOI ZONAL OFF

जनसत्ता

17 अक्तूबर, 2019

कुपोषित विकास

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक ओर दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को पैमाना बना कर अलग-अलग देशों में विकास की चमकती तस्वीरें पेश की जा रही हैं और दूसरी ओर बड़ी तादाद में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से मंगलवार को जारी बाल पोषण संबंधी रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है कि विश्वभर में पांच साल से कम उम्र के लगभग सत्तर करोड़ बच्चों में से एक तिहाई बच्चे या तो कुपोषित हैं या फिर मोटापे से पीड़ित हैं। नतीजतन, इन बच्चों पर पूरे जीन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त रहने का खतरा बना रहेगा। 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन' रिपोर्ट की ताजा तस्वीर विकास के दावों की हकीकत बताने के लिए काफी है। सवाल है कि अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों के बरक्स अगर दुनिया के एक तिहाई बच्चे किसी न किसी बीमारी की चपेट में अपनी जिंदगी काटेंगे तो उस चमक को किस तरह देखा जाएगा! विकास के प्रचारित पैमानों में अगर बच्चों के पोषण पर केंद्रित कार्यक्रम दुनिया के देशों की प्राथमिकता में शुमार नहीं हुए तो सेहत की कसौटी पर आने वाली पीढ़ियों के व्यक्तित्व का अंदाजा भर लगाया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम स्वस्थ खानपान की लड़ाई हार रहे हैं। असल में एक नई समस्या यह खड़ी हो रही है कि कहीं जरूरत से ज्यादा और असंतुलित खानपान की वजह से बच्चों का वजन अत्यधिक है तो किसी परिवार में बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा है। दोनों ही स्थितियों को कुपोषण के ही रूप में देखा गया है। एक में बच्चे मोटापे से पीड़ित हो रहे हैं तो दूसरे में बच्चों का कद अपनी आयु के मुताबिक काफी छोटा है और वे अत्यंत दुबलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। कुपोषण, भोजन में पोषण तत्त्वों की कमी और मोटापा एक ही साथ आसपास और यहां तक कि कई बार एक परिवार में भी देखा जा सकता है। जहां विश्वभर में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में से करीब आधे बच्चों को भोजन में आवश्यक विटामिन और खनिज नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं लगभग दो अरब लोग हानिकारक खाद्य पदार्थों का जरूरत से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते मोटापे, हृदय संबंधी और मधुमेह की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं।

जहां तक भारत का सवाल है, यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यहां हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। जबकि देश में हर साल एक लाख करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो जाता है, यानी चालीस फीसद भोजन वार्षिक उत्पादन में बेकार हो जाता है। जाहिर है, पोषण का यह असंतुलन खानपान की स्थितियों से जुड़ा है, लेकिन दरअसल यह असंतुलित विकास नीतियों का नतीजा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पूरी दुनिया को अगले दशक के आखिर तक भुखमरी से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया गया है और संयुक्त राष्ट्र के इस लक्ष्य से भारत भी जुड़ा हुआ है। विकास के बरक्स व्यापक कुपोषण के विरोधाभास की यह हकीकत इक्कीसवीं सदी के उस दौर में भी कायम है, जब कई देश अपने सीमा-क्षेत्र में आम लोगों की जरूरतों और यहां तक कि बुनियादी समस्याओं से दो-चार होने के समांतर दुनिया में खुद को विकसित और ताकतवर देशों के साथ होड़ में होने का दावा कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि विकास के पैमानों में वे सवाल हाशिये पर छोड़ दिए जा रहे हैं, जिनके नतीजों में एक बड़ी आबादी अपने बच्चों का पेट तक ठीक से नहीं भर पा रही है।

बेलगाम लुटेरे

दिल्ली में लूटपाट, झपटमारी की वारदात जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। राजधानी का शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहां लुटेरों का आतंक न हो। सुबह, दोपहर, शाम हो या रात, झपटमार बेखौफ होकर अपने काम में लगे हैं। पिछले तीन-चार महीनों में तो ऐसे अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। घर के आसपास निकलने में भी लोग घबराने लगे हैं। इस तरह के अपराधों में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लुटेरों पर दिल्ली पुलिस का कोई बस नहीं रह गया। बढ़ते अपराध कानून-व्यवस्था की रखवाली दिल्ली पुलिस को कठघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। तीन हफ्ते के दौरान ही तीन बड़ी वारदातों ने दिल्ली पुलिस के सुरक्षा संबंधी दावों की कलई खोल कर रख दी है। सोमवार रात बाइक सवार लुटेरों ने दिल्ली के कमला नगर इलाके में एक जज का मोबाइल छीन लिया। इसी दिन द्वारका इलाके में एक विमान परिचारिका की चेन छीन ली गई। इससे पहले पिछले महीने की पच्चीस तारीख को साकेत कोर्ट की एक जज का लुटेरों ने तीन किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पर्स छीन लिया था और भाग निकले थे। यह घटना सरिता विहार इलाके के पास की थी। लेकिन पुलिस हरकत में तब आई जब हाल में राजनिवास जैसे कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में प्रधानमंत्री की भतीजी के साथ लूटपाट की घटना हो गई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि लूटपाट, झपटमारी जैसी घटनाएं बढ़ने के पीछे बड़ी वजह युवाओं की बेरोजगारी और पुलिस की निष्क्रियता है। काम-धंधा नहीं मिलने से नौजवान आपराधिक गतिविधियों में जल्द शामिल हो जाते हैं और उन्हें कमाई का यही सबसे आसान जरिया लगता है। फिर, पुलिस की नजर में इस तरह के अपराध शायद कोई बड़े अपराध नहीं, आम बात हैं। पुलिस के इसी रवैये से चोरों-झपटमारों के हौसले बुलंद होते हैं। ज्यादातर मामलों में तो पुलिस लूट, झपटमारी के मामले भी दर्ज नहीं करती। आम आदमी तो इस तरह की घटनाओं की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। उसे पता होता है कि इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस उसे किस कदर परेशान करेगी। जब पुलिस एक जज की लूटपाट की घटना को चोरी में दर्ज करने पर आमादा हो तो सहज ही कल्पना की जा सकती है कि आमजन के साथ क्या होता होगा। पिछले महीने सरिता विहार में जज के साथ लूटपाट की घटना के बाद यही हुआ था। पुलिस ने पहले चोरी की धारा में मामला दर्ज किया, लेकिन जज की आपत्ति के बाद उसे लूटपाट का मामला बनाया गया। इस मामले में पुलिस अभी तक किसी को नहीं पकड़ पाई है।

सवाल है लुटेरों के आगे पुलिस इतनी लाचार क्यों है? कड़ी सुरक्षा वाले इलाकों में जगह-जगह अवरोधक लगे होने और पुलिस गश्त के बावजूद लुटेरे बिना हेलमेट के कैसे सड़कों पर घूमते और वारदात को अंजाम देते रहते हैं? अगर कैमरे न लगे होते तो प्रधानमंत्री की भतीजी को लूटने वाले पकड़ में ही नहीं आ पाते। पुलिस पर लापरवाही के आरोप इसलिए भी लगते हैं कि वीआइपी मामलों को सुलझाने की दर जहां पनचानबे फीसद है, वहीं आम लोगों से जुड़ी वारदात के मामले में यह दर मात्र पचपन फीसद है। ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले पेशेवर गिरोहों से जुड़े होते हैं, लेकिन जहां तक सजा का सवाल है, पुलिस और न्याय प्रणाली की जटिलता और सबूतों के अभाव में बहुत ही कम अपराधियों को सजा हो पाती है। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस मुस्तैद हो और जिम्मेदारी से काम करे तो इस तरह की वारदात पर अंकुश लग सकता है।

कल्पमेधा

मनुष्य को अंधविश्वासजन्य नैतिकता से मुक्त होना चाहिए।
- बर्ट्रेंड रसेल

बिखरते परिवार और बुजुर्ग

ज्योति सिडाना

आज ज्यादातर बुजुर्ग घुट-घुट कर जीवन जीने को बाध्य हैं। यह आज के उपभोक्तावादी दौर का सबसे गंभीर परिणाम है। इसलिए परिवार में भय और हिंसा के पक्ष भी उभरे हैं। मनुष्य के मध्य संबंधों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है, वह अलगाव का शिकार है, क्योंकि अमानवीय परिवेश इतना सघन रूप धारण कर चुका है कि वह किसी से भी अपनी इच्छाओं को साझा नहीं कर सकता।

सामान्य रूप में वरिष्ठ नागरिक की अवधारणा को तीन आयामों से समझा जा सकता है। पहला जैवकीय, अर्थात उसकी आयु के आधार पर, दूसरा मनोवैज्ञानिक अर्थात व्यक्तित्व में शामिल स्थिरता के आधार पर और तीसरा सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम यानी उनके अनुभवों के आधार पर। ये तीनों पक्ष किसी भी बुजुर्ग के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसलिए ये समूह समाज के लिए एक उत्पादक इकाई बने रहते हैं। ये अपने अनुभवों को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नई पीढ़ी को इस आशा के साथ हस्तांतरित करते हैं कि अगर नई पीढ़ी उनके अनुभवों को अपने जीवन में प्रयुक्त करती चली जाएगी, तो उनके जीवन के जोखिम या खतरे कम होते जाएंगे। इसी वजह से इन्हें परिवार का मुखिया माना जाता है और परिवार में इनकी प्रतिष्ठा उच्च होती है।

लेकिन अब प्रौद्योगिकी, संस्कृति और गतिशीलता में परिवर्तन के कारण परिवार नाम की संस्था की संरचना तेजी से बदल रही है। इस कारण बुजुर्ग अलगाव, अकेलेपन और पृथक्करण का शिकार हो रहे हैं। परिवार के कई सदस्य स्थानिक गतिशीलता के कारण घर से अलग दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार में जो भूमिका यह पीढ़ी निभा रही थी, वही भूमिका अब पालना घर जैसी बाजार की संस्थाएं निभा रही हैं। परिवार में अब बच्चों के समाजीकरण का काम अब बाजार या तकनीक करने लगी है। संभवतः यही कारण है कि बच्चों में परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव और सदस्यों के प्रति दायित्व की भावना नहीं पनपती। इसलिए ये पीढ़ी सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षा का शिकार हो रही है। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और निजी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में परिवार की भूमिका अब कम महत्त्वपूर्ण हो गई है। इसके लिए दोष किसे दिया जाए, यह एक चिंतन का विषय हो सकता है?

परिवार समाज की नींव होता है, क्योंकि यह सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई है। पूर्व के समाजों में परिवार विस्तृत नातेदारी का एक हिस्सा हुआ करता था, जबकि आधुनिक समाजों में परिवार नातेदारों और संबद्ध समुदायों से कट गए हैं। इसके परिणामस्वरूप भावनात्मक तनाव परिवार का एक आवश्यक, लेकिन नकारात्मक अवयव बन कर उभरा है। यह भी सच है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं ने परंपरागत परिवारों के सामने अनेक संकट उत्पन्न किए हैं, जैसे तलाक की दर में वृद्धि, सहजीवन (लिव-इन-रिलेशनशिप), एकल अभिभावक परिवार, एक व्यक्ति परिवार इत्यादि। संभवतः ये परिवर्तन व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को व्यक्त करते हैं जो परंपरागत परिवारों को चुनौती देते नजर आते हैं। इन परिवर्तनों ने समाज में असुरक्षा, अस्थिरता, तनाव को बढ़ावा दिया है और अब ये परिवारों में भी प्रवेश कर चुके हैं।

आज ज्यादातर बुजुर्ग घुट-घुट कर जीवन जीने को बाध्य हैं। यह आज के उपभोक्तावादी दौर का सबसे गंभीर परिणाम है। इसलिए परिवार में भय और हिंसा के पक्ष भी उभरे हैं। मनुष्य के मध्य संबंधों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है, वह अलगाव का शिकार है, क्योंकि अमानवीय परिवेश इतना सघन रूप धारण कर चुका है कि वह किसी से भी अपनी इच्छाओं को साझा नहीं कर सकता। देखा जाए तो एक तरफ तो समाज में स्वतंत्रता बढ़ी है, परंतु पहले की तुलना में व्यक्ति आज अधिक जकड़न में है क्योंकि उसके पास स्वाभाविक और स्वतंत्र जीवन जीने का समय ही नहीं बचा है। अविश्वास, धोखा, स्वार्थपरकता, भावनाओं का व्यवसायीकरण, प्रसिद्धि के द्वारा स्वयं को स्थापित करने की कोशिशें जैसे घातक पक्ष अब जीवन में शामिल हो चुके हैं। इसलिए वह इतना एकाकी है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करता, उसकी आंतरिक शक्ति समाप्त हो चुकी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साल 2016 में देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ इक्कीस हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां ऐसे कुल चार हजार छह सौ चौरानवे मामले सामने आए। उसके बाद मध्यप्रदेश (3,877), तमिलनाडु (2,895) और आंध्र प्रदेश (2,243) का स्थान आता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या एक सौ चार करोड़ थी, जिनमें इक्यावन करोड़ पुरुष और तिरपन करोड़ महिलाएं थीं। इनकी देखभाल के लिए सरकार और स्वंयसेवी संगठनों की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसकी उन्हें जानकारी भी नहीं होती। हाल के एक अध्ययन में सामने आया कि देश में पैंसठ वर्ष की आयु से ज्यादा के उनतीस प्रतिशत लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि इनके बच्चे या तो विदेश में रहते हैं या नौकरी की वजह से दूसरे शहरों में रह रहे हैं। इनमें से बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है। ऐसे में ये बुजुर्ग घर में अकेले रहने के दौरान या अकेले बाहर निकलते वक्त अपराधियों के लिए आसान निशाना होते हैं। बुजुर्गों के साथ तेजी से बढ़ रही अपराध की घटनाएं इसी ओर संकेत करती नजर आती हैं।

परंपरागत परिवारों में वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा सदस्य को भावनात्मक समर्थन मिलता था। जब घर का कोई छोटा सदस्य या बच्चा अपने पेशे या नौकरी में निराशा और तनाव का सामना करता था तो बुजुर्ग उसके लिए सुरक्षा का कवच बन कर खड़े हो जाते थे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य नई या युवा पीढ़ी के लिए एक परामर्शदाता की भूमिका निभाते थे। लेकिन तेजी से बदलते परिवेश ने उनकी इस भूमिका को हाशिए पर ला दिया है। समाज वैज्ञानिक मिशेल बैरेट तर्क देती हैं कि परिवार की अवधारणा में ऐसे तत्व भी होते हैं जो उसे समाज विरोधी बनाते हैं, क्योंकि यह महिलाओं के शोषण की वैधता को स्थापित करता है और परिवार के परिवेश के बाहर महिला के जीवन की किसी भी संभावना को समाप्त करता है। अतः परिवार के इस चरित्र को बदलने की आवश्यकता है।

देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का परिवार से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था व्यक्तिवादी होती जा रही है, वैसे-वैसे परिवार में भी व्यक्तिवादिता का मूल्य बढ़ता जा रहा है। कृषि युग में संयुक्त परिवार थे, औद्योगिक युग में एकाकी परिवार, सेवा क्षेत्र के युग में एकल अभिभावक परिवार और डिंक परिवार (डबल इनकम नो किड्स) और उत्तर-औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एकल व्यक्ति परिवार अस्तित्व में आए हैं। परिणामस्वरूप समाज में सामूहिकता की समाप्ति या परिवार की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। जब परिवार संस्था ही समाप्ति के कगार पर खड़ी हो तो समाज या सामाजिक संघठन के विघटन को कैसे रोका जा सकता है? परिवार प्रणाली में होने वाले इस विघटन को रोकने के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को परिवार में शामिल किया जाए, लैंगिक समानता को स्थापित किया जाए, लड़के-लड़की को समान शिक्षा और मूल्य दिए जाएं, परिवार में संबंधों में ऊंच-नीच जैसे भेदभाव को समाप्त किया जाए, प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे का सम्मान करे, तकनीक या सोशल मीडिया पर निर्भरता को कम करके परिवार के सदस्यों को महत्त्व देने, भौतिक वस्तुओं की तुलना में मानवीय संबंधों को अधिक महत्त्व देने जैसे प्रयास जरूरी हैं।

अगर परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है और समाज मजबूत होता है तो राज्य भी मजबूत होता है। राज्य मजबूत होता है तो अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति सभी व्यवस्थाएं मजबूत होती चली जाती हैं। किसी भी राष्ट्र का मजबूत और कामयाब होना उसकी परिवार प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करता है और परिवार की मजबूती वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका पर आश्रित होती है। इसलिए इस विषय पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।

सिकुड़ती दुनिया

पूजा यादव

दुनिया मेरे आगे

आसपास एक नजर डालें तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक बीमार समय में जी रहे हैं। काफी दिनों बाद एक संबंधी के जाना हुआ तो शुरुआती कुछ मिनट आपस में बातचीत के बाद वहां मौजूद करीब दस लोगों में से ज्यादातर की नजर अपने स्मार्टफोन में डूब गई। बीच-बीच में भले ही वे औपचारिकता के लिए हां-हूं कर देते थे, लेकिन उनका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन में था। यहां तक कि बच्चे भी खेलने या बात करने के बजाय मोबाइल के स्क्रीन में कुछ देख कर हंस-खेल रहे थे। दरअसल, आजकल लोग अपने कामों में इतने अधिक व्यस्त हैं कि उनके पास ठीक से खाने-पीने तक का समय भी नहीं है। बच्चों पर गौर करें तो एक तरह से झटका लगता है, क्योंकि स्कूली और घर की पढ़ाई का बोझ उठा लेने के बाद बाकी वक्त वे स्मार्टफोन पर व्यस्त रहते हैं। यों आजकल लोगों का लगभग हर काम घर बैठे फोन या लैपटॉप पर ही हो जाता है। मां-पिता बिना कुछ सोचे-समझे अपने बच्चों के हाथों में फोन थमा देते हैं, यह जानते हुए भी कि इससे बच्चों का भविष्य खराब होगा। न केवल पढ़ाई-लिखाई बाधित होने, बल्कि सेहत और बनते हुए मन-मस्तिष्क में एक परोक्ष बाधा खड़ी करने के लिहाज से भी। बच्चों का छोटी उम्र में फोन का बेलगाम इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे उनकी आंखें तो कमजोर हो ही सकती हैं, कई बार इंटरनेट पर मौजूद कुछ अवांछित सामग्री भी हैं जो अगर बच्चों की नजर में आ जाती है तो उन्हें अपनी जद में ले लेती है।

सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों हैं। लेकिन इधर यह देखने में आ रहा है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के बजाय अपना बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करने लगे हैं। थोड़ा बारीक नजर डालें, तब पता चलता है कि जब से सोशल मीडिया का प्रयोग बेतहाशा बढ़ा है, तब से हमारे चारों तरफ मानसिक बीमारियां भी बढ़ गई हैं। हर वक्त स्मार्ट फोन के स्क्रीन में डूबे रहना कब एक लत बन जाता है, हमें इसका पता भी नहीं चलता। स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताने के कारण आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आई हैं, जिनसे पता चलता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया साइबर अपराध के लिए एक आसान जगह हो गई है। बच्चों की निजी जानकारियां, फोटो, वीडियो आदि चुरा लेना और उन्हें ब्लैकमेल करना या डराना-धमकाना एक आम बात होती जा रही है। ज्यादा उम्र के बच्चे और यहां तक कि उनके हमउम्र भी डराने-धमकाने के इस खेल में शामिल पाए जाने लगे हैं। इसके अलावा, युवा, अधेड़ और कई बार बुजुर्ग भी इसका शिकार होने से नहीं बच पाए हैं।

सच यह है कि इस तरह की व्यस्तता की वजह से सामाजिक जीवन में भी असहजता आई है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करने के बजाय शक करने लगे हैं। ऐसे तमाम मामले सामने आए, जिनमें सोशल मीडिया के मंचों पर फैली किसी गलतफहमी की वजह से दो लोग या समुदाय आमने-सामने खड़े हो गए। सच यह है कि गलत और भ्रामक सूचनाओं का प्रवाह सबको नुकसान पहुंचा रहा है। इनकी वजह से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से निकल कर दूसरी बेमानी गतिविधियों की ओर जाने लगता है। इस ओर शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता कि आजकल के बच्चे घर से बाहर निकल कर एक भी खेल नहीं खेलते और न ही अपने बंधे-बंधाए दायरे से निकल कर नए दोस्त बनाते हैं। दोस्त के नाम पर सोशल मीडिया के संपर्क के दोस्त ज्यादा होते हैं और असल जिंदगी में कम। यह समझना मुश्किल नहीं है कि सोशल मीडिया पर विकसित हुए दोस्ती के संबंध कितने उपयोगी साबित होते हैं।

इन दिनों हम जब भी हम बाहर जाते हैं तो अक्सर बच्चों को आइसक्रीम, कुल्फी, पिज्जा, बर्गर आदि की ओर ही भागते देखते हैं। बच्चों ने अब स्वाद के लिए खाना शुरू कर दिया है और पौष्टिक खाना कम कर दिया है। बल्कि वे यह सोच कर तो खाते ही नहीं कि उनके लिए क्या पौष्टिक खाना है और किससे उनकी सेहत बेहतर होगी। बच्चों के माता-पिता भी उन्हें चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा वगैरह खिलाते हैं और उनके साथ खुद भी खाते हैं। यह समझने की जरूरत नहीं लगती कि ऐसा करना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। वैसे भी खाने-पीने की चीजों में बहुत मिलावट की जाती है और स्वस्थ भोजन मिलना मुश्किल होता जा रहा है।

इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार या दूसरों की राह देखने के साथ-साथ अगर हम खुद ही पहल करें तो किसी साधन को अपने और इस दुनिया के लिए उपयोगी बना सकते हैं। इसकी उपयोगिता को ही देखते हुए अब चुनाव जैसी लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए भी सोशल मीडिया और इंटरनेट का सहारा लिया जाने लगा है, क्योंकि आज यह संचार का सबसे अहम जरिया बन चुका है। दरअसल, सोशल मीडिया का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो इसके फायदे भी हैं। जरूरत बस इसे ठीक से समझने की है।

चौपाल

पराली का धुआं

इन दिनों दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए फिर से चेतावनी आई है कि पंजाब और हरियाणा से हर साल की तरह पराली का धुआं आना शुरू हो गया है। इन राज्यों में किसानों ने धान की फसल के अवशेष यानी पराली जलानी शुरू कर दी है। इससे राजधानी के दो सौ किलोमीटर तक दायरे में लोगों के लिए सांस तक लेना दूभर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने तो हवा को शुद्ध रखने के लिए अगले महीने सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए ऑड-ईवन व्यवस्था फिर से लागू करने का एलान कर दिया है। हालांकि खेतों में पराली जलाना गैरकानूनी है, फिर भी किसान इस पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि किसानों के सामने भी मजबूरी है, उनके सामने पराली को नष्ट करने का कोई विकल्प या सुविधा नहीं है। अगर नहीं जलाएंगे तो अगली फसल कैसे लगाएंगे, यह बड़ी समस्या है। इसके लिए समाधान तो सरकारों को ही निकालना होगा। पराली जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है।

● *घनश्याम गुप्ता, बलिया*

सरकारी लापरवाही

आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के खेतों में पराली जलाई जा रही है और उसका धुआं दिल्ली की ओर आ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंडी गोबिंदगढ़, जलंधर, लुधियाना जैसे शहरों की हवा सबसे प्रदूषित आई है। पर अब सरकार के हाथ-पैर मारने और इस प्रदूषण को काबू करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब सरकार को सख्त होना चाहिए था, तब उसने सख्ती नहीं दिखाई। इसका नतीजा हम सब के सामने है। परंतु अब सरकार की प्रदूषित वायु को शुद्ध करने की गाड़ी आकर दीवाली के पटाखों पर रुकेगी। लेकिन क्या सिर्फ पटाखों को रोकने या उस पर समय का प्रतिबंध लगाने से वायु को साफ किया जा सकता है? अब सरकार यही कदम उठाएगी और ये भी भूल जाएगी कि तीन सौ पैंसठ दिन की समस्या को सिर्फ एक दिन के प्रतिबंध से काबू नहीं किया जा सकता।

● *जानवी बिट्टल, जलंधर*

बेकाबू जुबान

हमारे नेताओं की जुबान कितनी बेकाबू होती जा रही है, इसकी ताजी मिसाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से देखने को मिली जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 'मरी हुई चुहिया' कह डाला। इसके लिए खट्टर की जितनी निंदा की जाए, कम है। एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, क्योंकि वे एक राज्य के प्रमुख और प्रतिष्ठित पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजनीति में पक्ष-विपक्ष, विरोध-समर्थन सब होते हैं। मर्यादा में रह कर ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह को पहला मौका नहीं है जब खट्टर ने इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया हो। वे पहले भी धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर की महिलाओं को लेकर बेसिर-पैर के बयान दे चुके थे। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से किसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ एक महिला के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी करना निंदनीय है।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

गांगुली से उम्मीदें

हाल ही में भारतीय क्रिकेट की शीर्ष संस्था बीसीसीआई में व्यापक स्तर पर संगठनात्मक परिवर्तन हुआ है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बीसीसीआई का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं। आमतौर पर बीसीसीआइ जैसी बड़ी स्वायतशासी संस्थाओं में चुनावों को बड़ी महत्ता दी जाती है, क्योंकि इस संस्था से बड़े पदों पर विराजमान मान्यवरों के हित जुड़े होते हैं। गांगुली का बीसीसीआइ अध्यक्ष के तौर पर चुने जाना उस पारदर्शिता में एक बड़ा कदम है जिसकी तलाश में स्वयं बीसीसीआइ, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) पिछले डेढ़-दो साल से लगी थी। गांगुली के कार्यकाल की अवधि मात्र दस महीनों की है और इस अवधि में उन्हें बहुत सारा फैला हुआ काम निपटाना है। इस श्रेणी में क्रिकेट तंत्र का नवीनीकरण और सभी राज्य क्रिकेट संगठनों को एक साथ एक ही राह ले चलना प्रमुख सुधार हैं। सौरव गांगुली भारत के सफलतम कप्तानों में गिने जाते हैं। अब देखना होगा कि वे भारतीय क्रिकेट में एक प्रशासक के रूप में दूसरी पारी कैसे खेलते हैं!

● *केशव शर्मा, राजस्थान विवि, जयपुर*

कड़ी कार्रवाई हो

भारत को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्विट्जरलैंड से स्विस बैंक खातेदारों का ब्योरा मिला है। यह एक अच्छी खबर है। यह ब्योरा देश के लिए तभी सार्थक हो पाएगा जब स्विस बैंक में काले धन जमा करवाने वाले भारतीय सफेदपोश लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दशकों से आम सुनने में आता रहा है कि भारत के बड़े बड़े चेहरों ने अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करवाया हुआ है, लेकिन अब हकीकत सामने आ गई है। केंद्र सरकार को चाहिए कि यदि कानूनी तौर पर संभव हो तो स्विस बैंक में पैसा रखने वाले भारतीय लोगों के नाम व उनके खाते में जमा राशि को जल्द से जल्द सार्वजनिक कर दिया जाएं और इस पैसे को देश में वापस लाकर गरीब लोगों की भलाई व विकास पर खर्च किया जाए।

● *राजीव शर्मा, कोटकपुरा, पंजाब*

जानलेवा गड्ढे

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने राजधानी भोपाल की सड़कों का निरीक्षण किया और पाया कि बरसात के कारण सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने पंद्रह-बीस दिन में सड़कों की मरम्मत की बात भी कही। बारिश के कारण केवल भोपाल की नहीं, पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढों से युक्त गई हैं। हाल में होशंगाबाद में सड़क के गड्ढों ने पांच होनहार हॉकी खिलाड़ियों की जान ले ली। इंदौर के मुख्य मार्गों पर बड़े-बड़े गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। लेकिन कोई देखने-सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को चाहिए तत्काल सड़कों की मरम्मत करवाई जाए, ताकि जनता हादसों का शिकार न हो।

● *महेश नेनावा, इंदौर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

खेल कार्यक्रम

आइटीटीएफ महिला टेबल टेनिस विश्व कप	18-20 अक्तूबर
जापानी ग्रांप्री	20 अक्तूबर
डब्लूटीए एलीट ट्रॉफी	22-27 अक्तूबर
फीफा अंडर-17 विश्व कप	*26 अक्तूबर से*
मेक्सिकन ग्रांप्री	27 अक्तूबर

जन्मदिन

अनिल कुंबले	*17 अक्तूबर*
जयदेव उनादकट	18 अक्तूबर
नवजोत सिंह सिद्धू	20 अक्तूबर
साकेत मायनेनी	19 अक्तूबर
वीरेंद्र सहवाग	20 अक्तूबर

कंजूसी से रन खर्च कर ज्यादा विकेट चटकाने में भारतीय गेंदबाज फिसड्डी

संदीप भूषण

विश्लेषण

एक दशक से भारतीय टीम का क्रिकेट में दबदबा कायम है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी स्पिन गेंदबाजी के लिए मशहूर टीम में अब तेज गेंदबाज भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव या फिर ईशांत शर्मा, भारत के पास आज तेज गेंदबाजों की अच्छी लाइनअप है। आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी ताकतवर टीम के बल्लेबाज भी इन गेंदबाजों के सामने पानी भरते नजर आते हैं। लेकिन एक ही आंकड़ा है जो भारतीय गेंदबाजों को बेहतर से उम्दा की श्रेणी में आने से रोक रहा है। अभी टीम में निरंतर स्थान बनाने वाले गेंदबाजों में बुमराह को छोड़ दें तो बाकी गेंदबाजों का औसत लगभग 30 के आसपास है।

दरअसल, किसी भी गेंदबाज का औसत यह तय करता है कि वह कितने कम रन खर्च कर टीम को विकेट दिलाता है। आंकड़ों को देखें तो विदेशी गेंदबाज इस मामले में बेहतरीन हैं। यही कारण है कि जिन टीमों के गेंदबाजों का औसत बेहतर है उनकी जीत के औसत में भी अंतर है। भारतीय गेंदबाजों में बुमराह का औसत उम्दा है। उन्होंने अब तक कुल 12 टैस्ट मैचों की 24 पारियों में 19.24 के औसत से 62 विकेट लिए हैं। वहीं एक दिवसीय मैचों में उनका औसत 21.88 है। टी-20 मैचों में उन्होंने 20.17 के औसत से 51 विकेट लिए हैं। वहीं अन्य गेंदबाजों की बात करें तो वो बुमराह के कहीं करीब भी नहीं दिखते।

ईशांत शर्मा के औसत की बात करें तो उन्होंने टैस्ट में 33.62 के औसत से 280 विकेट चटकाए हैं। वहीं एक दिवसीय मैचों में उनका औसत 30.98 है। भुवनेश्वर कुमार भी भारत के सफल गेंदबाजों में से एक हैं लेकिन औसत के मामले में वे भी ज्यादा बेहतर नहीं कर पाए हैं। टैस्ट में उनका औसत 26.1 है तो एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 34.61 के औसत से विकेट प्राप्त किए हैं। तेज गेंदबाजी हरफनमौला की श्रेणी में बेहतर कर रहे हार्दिक पंड्या का भी टैस्ट में औसत 31.06 और एक दिवसीय में 40.65 है। भारत को 1983 में पहला विश्व कप दिलाने का श्रेय जिस महान खिलाड़ी को जाता है वे हैं कपिल देव। वे अपने समय के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार थे लेकिन टैस्ट में 434 विकेट लेने के दौरान उनका औसत 29.64 ही रहा। एक दिवसीय मैचों में उनके 253 विकेट हैं लेकिन वे भी 27.45 के औसत से ही।

विदेशी गेंदबाजों का औसत बेहतर

विदेशी गेंदबाजों का औसत भारतीय तेज गेंदबाजों से कहीं बेहतर है। आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 21.45 के औसत से टैस्ट मैचों में कुल 123 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के युवा गेंदबाज कागिसो रबादा का औसत 22.40 है और उन्होंने महज 39 टैस्ट मैचों में ही 180 विकेट चटकाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के ही लुंगी एनगिडी का औसत तो और बेहतरीन है। अभी तक उन्हें सिर्फ चार मैच में खेलने का मौका मिला है लेकिन उन्होंने 19.53 के औसत से 15 विकेट चटकाए हैं। एक दिवसीय मैच में भी 23.09 के औसत से उन्होंने 41 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। अभी हाल में ही इंग्लैंड टीम में जगह बनाने वाले जोफ्रा आर्चर का औसत भी कमाल का है। उन्होंने टैस्ट में 20.27 के औसत से कुल 22 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा वहीं एक दिवसीय मैचों में उनका औसत 24.73 है।

भारतीय गेंदबाजों का औसत

	टैस्ट	वनडे	टी-20
जसप्रीत बुमराह	19.24	21.88	20.18
ईशांत शर्मा	26.65	30.97	27.45
भुवनेश्वर कुमार	26.01	34.61	25.00
हार्दिक पंड्या	31.06	40.65	25.68
मोहम्मद शमी	28.45	24.71	31.25
उमेश यादव	32.33	33.63	24.33
जहीर खान	32.9	29.43	26.4
वेंकटेश प्रसाद	35.00	32.3	00.00
जवागल श्रीनाथ	30.5	28.1	00.00
कपिल देव	29.06	27.4	00.00

जसप्रीत बुमराह

जोफ्रा आर्चर
कपिल देव

पैट कुमिंस

ईशांत शर्मा

विश्व कप में भी विदेशी तेज गेंदबाज बेहतर

2019 विश्व कप में भी विकेट चटकाने वाले शीर्ष दस तेज गेंदबाजों में एकमात्र बुमराह ही शामिल हैं। उनके नाम नौ मैचों में कुल 18 विकेट हैं। वहीं, अन्य गेंदबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के लौकी फर्गुशन ने 19.47 के औसत से 21 विकेट अपने नाम किए। जोफ्रा आर्चर ने 23.05 के औसत से कुल 20 विकेट अपने नाम किए। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने 21.05 कुल 17 विकेट चटकाए। बांग्लादेश के मुस्तीफिजुर रहमान ने 24.20 के औसत से कुल 20 विकेट अपनी झोली में डाले।

भारतीय घूंसों का बढ़ता दबदबा

आत्माराम भाटी

समीक्षा

विश्व मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा अब बढ़ने लगा है। पिछले महीने रूस में हुई प्रतियोगिता में पहली बार किसी भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने रजत पदक जीता। अमित पंघाल ने यह कारनामा किया। वहीं मनीष कौशिक ने कांस्य पदक जीतकर विजेंदर (2009), विकास कृष्ण (2011), शिव थापा (2015) और गौरव विधूड़ी (2017) की बराबरी की। यह 2019 में उनका पांचवां पदक था। भारतीय मुक्केबाजों के इस प्रदर्शन से यह साबित होने लगा है कि विश्व पटल पर उनका दबदबा बढ़ रहा है।

दूसरी तरफ महिला मुक्केबाजों ने तो कमाल ही कर दिया। उलान उदे (रूस) में हुई विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में एक रजत व तीन कांस्य पदक के साथ उन्होंने यहां तीसरा स्थान प्राप्त किया। खासकर मैरी कॉम ने तो भारतीय महिला मुक्केबाजी को पूरी दुनिया में सिरमौर बना रखा है। चार मुक्केबाज मैरी कॉम, मंजूरानी, लवलीना बोरगोहने और जमुना बोरो ने क्वार्टर फाइनल में अपने विरोधियों को धूल चटाते हुए धमाकेदार जीत के साथ सेमी फाइनल में प्रवेश कर कम से कम चार पदक देश के नाम पक्के कर लिए। पांचवीं मुक्केबाज कविता चहल क्वार्टर फाइनल की बाधा पार नहीं कर पाईं।

मैरी कॉम से इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। नए भार वर्ग (51 किलो) में वे तुर्की की यूरोपियन चैंपियन बुसेनाज कोकिरोग्लू से हार गईं और उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। इस कांस्य पदक के साथ कुल 8वें पदक को जीतने पर विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा सात पदक जीतने वाले क्यूबा के फेलिप्स सेवोन का रेकार्ड तोड़ने की उपलब्धि दर्ज हो गई। 48 किलो भार वर्ग में खेल रही मंजू रानी ने मैरी कॉम की कमी को फाइनल में पहुंच कर पूरा कर दिया। हालांकि मंजू को फाइनल में मेजबान देश की एकेतेरिना पेल्टसेवा के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करते हुए रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

इस प्रतियोगिता में सेमी फाइनल में पहुंचने वालीं अन्य दो मुक्केबाजों पिछली बार की कांस्य विजेता लवलीना बोरगोहने (69 किलो भार वर्ग) और पहली बार विश्व स्तर पर भाग लेने वाली जमुना बोरो (54 किलो भार वर्ग) ने क्वार्टर फाइनल में अपनी विरोधी पोलैंड की कैरोलिना कोस्जेवेस्का को 4-0 से तथा जर्मनी की उसार्ला गोटलोब को 4-1 से परास्त कर सेमी फाइनल में कदम रखा। लवलीना तथा जमुना बोरो कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा लेकिन इतना तो निश्चित हो गया है कि अब विश्व मुक्केबाजी में भारत का दबदबा और ज्यादा बनने लगा है। मैरी कॉम के बाद भी नई मुक्केबाज आगे बढ़ रही है।

अमित पंघाल

मंजू रानी

मैरी कॉम

मनीष कौशिक

पुरस्कार

एफसी बार्सीलोना के अर्जेंटीनी फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेस्सी बुधवार को बार्सीलोना (स्पेन) में छठे गोल्डन बूट पुरस्कार के साथ।

अब सबके लिए स्टेडियम यानी जी भरकर खेलो

सुरेश कौशिक

खुशखबरी

मैदान को चाहिए खिलाड़ी और खिलाड़ियों को चाहिए उच्चस्तरीय खेल सुविधाएं। देश भर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तो खूब हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा। इसी वजह से 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के लिए बनाए गए या नवीनीकरण किए स्टेडियम 'सफेद हाथी' बन कर रह गए। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बावजूद स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। खिलाड़ियों और खेल संघों की पहुंच के बाहर होने से इनका इस्तेमाल न के बराबर हो गया। रखरखाव पर खर्चा इतना होने लगा कि ये मुसीबत बन गए। सुविधाओं को बनाना या सुधारना तो समय की जरूरत होती है। पर अगर खिलाड़ी या खेल संघ उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाएं तो क्या फायदा?

लेकिन अब सोच बदली है। राष्ट्रीय और राज्य खेल संघों के साथ-साथ खिलाड़ी अब इन खेल सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे - वह भी बिना पैसा दिए। पहल होने वाली है दिल्ली के चार अंतरराष्ट्रीय स्तरीय स्टेडियमों से। ये हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डाक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज। पहली नवंबर से इन स्टेडियमों में मुफ्त में खेलने की आजादी होगी। इसके लिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी।

खेल मंत्रालय का यह कदम स्वागत योग्य है। इसके पीछे उसका मूल उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना है। साथ ही खिलाड़ी बिना किसी परेशानी के खेल सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इससे खेल को अपना करिअर बनाने वाले उत्साही युवा आकर्षित होंगे। फिटनेस के लिए खेलने वाले भी इससे जुड़ेंगे।

कुछ खेल संघों को छोड़ दिया जाए तो बाकी आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं हैं। लेकिन इस कदम से खेल संघों को भी फायदा होने वाला है। अब वे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए स्टेडियम का मुफ्त में उपयोग कर सकेंगे। प्रतियोगिता के दर्जे को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण उनकी मदद करेगा। राज्य खेल संघ भी अपनी लीग, प्रशिक्षण शिविर और ट्रेनिंग के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं।

इस कदम से दिल्ली की पुरानी खेल संस्कृति लौट सकती है। एक समय था जब नेशनल स्टेडियम (मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को पहले इसी नाम से जाना जाता था) दिल्ली की खेल गतिविधियों का केंद्र था। सन 70 के दशक में यहां खिलाड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ता था। एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, वालीबॉल, टेबल टेनिस, जिमनास्टिक और क्रिकेट जैसे खेलों के सम्मानित प्रशिक्षकों की नजर में खिलाड़ी अपना हुनर निखारते थे। द्रोणाचार्य गुरचरण सिंह की देखरेख में क्रिकेट चलता था। बाद में द्रोणाचार्य सुनीता शर्मा और एमपी सिंह ने इस मुहिम को चलाए रखा। इस सेंटर से कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर निकले।

ओलंपियन हरदयाल सिंह के कड़े अनुशासन के बीच हॉकी का अभ्यास चलता था। ट्रैक पर ढेरों एथलीट अपना पसीना बहाते थे। टेनिस भी चलती थी और तैराकी भी। मंजीत दुआ, मनमीत सिंह और इंदु पुरी सरीखे टेबल टेनिस खिलाड़ी इसी सेंटर की देन थे। पर अब वैसा नजारा नहीं रहा।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को खोल देने से सबसे ज्यादा फायदा फुटबॉल को होगा। खास तौर से फुटबॉल दिल्ली को अपनी लीग, टीमों की तैयारी और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की सहूलियत मिल सकती है। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय भी दिल्ली में है। इससे बड़ी प्रतियोगिताओं को करने का अवसर मिल सकता है। किराए पर स्टेडियम लेकर कई डिवीजन लीग आयोजित करने में भी उसे सालाना दस लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो और बैडमिंटन खिलाड़ियों को कौशल निखारने का मौका मिलेगा। कुश्ती की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं तो कई वर्षों से यहां पर हो रही हैं। निशानेबाजी में अपने निशानेबाज विश्व मानचित्र पर धमाका किए हुए हैं। कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में कोई भी बिना पैसा दिए अपनी कला में निखार ला सकता है।

सब जूनियर से सीनियर स्तर तक कई वर्गों में हॉकी टूर्नामेंट आयोजित कर जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसायटी खेल सेवा कर रही है।

अब यह जरूरी नहीं कि इन स्टेडियमों पर भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण दे सकते हैं। कोई भी कोच जिसके पास कम से कम दस ट्रेनी हों, इन स्टेडियमों पर कोचिंग देने के लिए समय ले सकता है। इससे प्रशिक्षकों को प्रतिभाएं उभारने में मदद मिलेगी।

वायु प्रदूषण रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं राज्य : एनजीटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

पराली जलाने पर रोक के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष जताते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि जिस तरह अन्य अपराधों पर नियंत्रण के लिए कानूनों को लागू किया जाता है उसी तरह राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण रोकने को लेकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एनजीटी ने कहा कि तथ्य यह है कि अधिकारियों के प्रयासों के बाद भी जमीनी स्तर पर पराली जलाई जा रही है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। निकाय ने कहा कि पराली जलाए जाने के लिए किसी अधिकारी को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है।

एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि अन्य

पीठ ने कहा कि पांच साल में भी राज्य सरकार किसानों को पराली जलाए बिना फसल बुवाई की तकनीक नहीं बता सकी तो यह अप्रिय स्थिति है।

अपराधों को रोकने के लिए कानून लागू किए जाने की तरह ही राज्य पर प्रदूषण को रोकने के लिए कानून लागू करने की जिम्मेदारी है। राज्य ऐसा प्रभावी रूप से नहीं कर रहे हैं। राज्यों को पराली जलाए जाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अपने अधिकारियों की नाकामी पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

अधिकरण ने कहा कि जागरूकता पैदा करने की, प्रोत्साहन देने या दंडात्मक कार्रवाई करने की रणनीति हो सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य अपने कर्तव्य का पालन करने में नाकाम रहे हैं और इस आधार पर असहाय बताते हैं कि जो भी संभव कार्रवाई है, की गई है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले एनजीटी के एक पीठ ने कहा– वायु प्रदूषण का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण मुक्त वातावरण हर नागरिक का अधिकार है और हर राज्य का दायित्व है। केंद्र और राज्यों का यह रुख कि वे असहाय हैं, स्वीकार्य नहीं है।

पीठ ने चिंता जताते हुए कहा कि पांच साल में भी अगर राज्य सरकार किसानों को पराली जलाए बिना फसलों की बुवाई की तकनीक के बारे में नहीं बता सकी तो यह अप्रिय स्थिति है जिसे दूर करने की जरूरत है। पीठ ने राज्यों को सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।

अशोक तंवर का जजपा को समर्थन का एलान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अशोक तंवर ने हरियाणा चुनाव में जजपा के समर्थन का एलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्य की सभी 36 बिरादरी को साथ देना चाहिए। राज्य में मतदान से कुछ दिनों पहले दिल्ली में तंवर ने दुष्यंत की मौजूदगी में जजपा को समर्थन की घोषणा की। तंवर ने यह भी कहा कि वे जजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे।

इसी पांच अक्तूबर को तंवर ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी नेताओं की राजनीतिक हत्या की जा रही है और मेहनत करने वालों की उपेक्षा हो रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे तंवर विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले खुद को पद से हटाए जाने और टिकट वितरण में अपने समर्थकों की कथित अनदेखी के चलते नाराज थे। कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने 15 समर्थकों को विधान सभा टिकट देने की मांग की थी लेकिन उन्हें एक भी टिकट नहीं दिया गया।

समर्थन के लिए तंवर का धन्यवाद करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह साथ केवल विधानसभा चुनाव तक नहीं रहेगा बल्कि आगे भी देश भर में घूम–घूम कर सहयोग जुटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज लड़ाई केवल हरियाणा की नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की है जो अब थमने वाली नहीं है। दिल्ली में रविदास मंदिर का मुद्दा उठाते हुए चौटाला ने कहा कि संत रविदास मंदिर मामले में आज भी 96 लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं जिनमें से 55 अकेले हरियाणा से हैं।

केसी राममूर्ति का राज्यसभा से इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

राज्यसभा में कर्नाटक से कांग्रेस सदस्य केसी राममूर्ति ने बुधवार को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राममूर्ति के सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने की संभावना है।

हाल ही में कांग्रेस के दो राज्यसभा सदस्यों भुवनेश्वर कलिता और संजय सिंह ने भी उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही सपा के राज्यसभा सदस्यों नीरज शेखर, सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ ने भी उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बाद में वे भाजपा टिकट पर फिर से सदन के लिए निर्वाचित हुए। इससे राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। जून में तेदेपा के चार राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हो गए थे।

फरवरी तक संदिग्ध सूची में रहेगा पाक : एफएटीएफ

पेज 1 का बाकी

को निर्देश दिया कि वह इस अवधि में मनी लांडरिंग और आतंकवादियों को बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को पूरी तरह से रोकने के पुख्ता इंतजाम करे। एफएटीएफ का गठन 1989 में किया गया था ताकि वैश्विक बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता को बचाए रखा जा सके। पाकिस्तान के डान अखबार के मुताबिक मंगलवार को पेरिस में हुई ताजा बैठक में इस मामले में पाकिस्तान की ओर से किए गए उपायों की समीक्षा की गई। अखबार ने बुधवार को टीवी के हवाले से कहा कि पेरिस स्थित इस संगठन ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के वित्त पोषण और मनी लांडरिंग को रोकने के लिए अभी और भी उपाय करने का निर्देश दिया है ताकि इन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। एफएटीएफ पाकिस्तान के बारे में अंतिम निर्णय फरवरी, 2020 में लेगा है। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता उमर हमीद खान ने इन खबरों को खारिज किया कि एफएटीएफ ने उनके देश को संदिग्धों की सूची में बनाए रखा है।

पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अज़हर ने इससे पहले एफएटीएफ की बैठक में इस मंच की ओर से सुझाए गए उपायों पर अपने देश की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 27 में से 20 मुद्दों पर प्रगति की है। डान अखबार ने कहा है कि बैठक में चीन, तुर्की और मलेशिया ने इस दिशा में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। इस मंच पर कम से कम तीन देशों के समर्थन से कोई देश एफटीए की काली सूची में रखे जाने से बच सकता है। इस बैठक में 205 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्वबैंक और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। पाकिस्तान यदि संदिग्धों की सूची में बना रहा तो उसे मुद्राकोष, विश्व बैंक और यूरोपीय यूनियन आदि से वित्तीय सहायता मिलना मुश्किल हो जाएगा।

चिदंबरम के खिलाफ पहली नजर में ठोस मामला : सीबीआइ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ पहली नजर में ठोस मामला बनता है। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष सीबीआइ की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास इसकी पुख्ता सामग्री है कि चिदंबरम ने किस तरह गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास किए।

शीर्ष अदालत से जमानत का अनुरोध करते हुए चिदंबरम ने कहा कि सीबीआइ उन्हें अपमानित करने के लिए ही जेल में रखना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम इस समय भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। चिदंबरम ने याचिका में कहा कि उन्हें लगातार जेल में बंद रखना सजा के रूप में है और अज्ञात व अपुष्ट आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर केंद्र ने पांच राज्यों की बैठक बुलाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17 अक्तूबर को पांचों संबद्ध राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय आपात बैठक बुलाई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वायु प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकारों के स्तर पर अब तक किए गए उपायों की समीक्षा की जाएगी।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिव (पर्यावरण) को बुलाया गया है। सात अक्तूबर को जावडेकर ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को गंभीर स्थिति में पहुंचने से रोकने के लिए किए गए एहतियाती उपायों की जानकारी देते हुए कहा था कि जल्द ही संबद्ध राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी।

इस बीच दस अक्तूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) पर दिल्ली की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। एक्यूआई पर बुधवार को पीएम 2.5 का स्तर बहुत खराब श्रेणी में 131 अंक पर पहुंच गया। जबकि पीएम10 का स्तर खराब से थोड़ा बेहतर 241 अंक पर था। बैठक के लिए तय किए गए एजंडे में दिल्ली के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को अमल में लाने के लिए 27 सितंबर को हुई बैठक में किए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। इनमें पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं नहीं थमने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

विश्व खाद्य दिवस को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी : हर्षवर्धन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बुधवार को विश्व खाद्य दिवस 2019 के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए हमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेना होगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण लोगों को प्रेरित करके हम अधिकतम लोगों तक पहुंच सकते हैं। इस बार विश्व खाद्य दिवस का विषय भूख मुक्त विश्व के लिए स्वस्थ आहार है। इस अवसर पर हर्षवर्धन ने खाद्य सुरक्षा मित्र स्कीम का शुभारंभ किया और ईट राइट जैकेट व ईट राइट झोला भी जारी किया। इनका उद्देश्य खाद्य संरक्षा प्रशासन को सशक्त बनाकर ईट राइट इंडिया मूवमेंट में तेजी लाना है।

हर्षवर्धन ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के साथ ईट राइट मूवमेंट सफलता हासिल कर सकते हैं, अगर सही नीति अपनाई जाए और समाज के हरेक वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को महात्मा गांधी के संदेश के अनुसार कम भोजन करने, सुरक्षित भोजन करने और स्वस्थ भोजन करने व खाद्य को व्यर्थ किए जाने में कमी लाने की दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर जनआंदोलन के महत्त्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य संरक्षा और भोजन के व्यर्थ जाने के मुद्दे पर अनुकूल कार्रवाई करने के लिए संगठनों और व्यक्तियों को सकारात्मक प्रयास करने होंगे।

खाद्य सुरक्षा मित्र योजना लघु और मध्यम स्तर के खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन करने में मददगार होगी। लाइसेंसिंग और पंजीकरण, हाइजीन की रेटिंग और प्रशिक्षण में भी सहायक होगी। खाद्य सुरक्षा को सशक्त बनाने के अलावा यह युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी करेगी। विशेष रूप से खाद्य और पोषण के विषय के युवकों को इससे फायदा होगा। 15 खाद्य सुरक्षा मित्रों के पहले दल को प्रमाण पत्र दिए गए। बुधवार को शुरू की गई ईट राइट जैकेट का उपयोग फील्ड स्टॉफ करेगा। इस जैकेट पर सुंदर डिजाइन है। जिससे टैबलेट स्मार्ट फोन को रखा जा सके और यह पहचान के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकेगा। काम कर रहे फील्ड स्टॉफ को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा यह खाद्य संरक्षा प्रशासन कुशलता और पारदर्शिता लाएगा।

आतंकियों ने फल विक्रेता और मजदूर की हत्या की

पेज 1 का बाकी

की मौत हो गई जबकि संजीव की हालत नाजुक बताई गई है। छत्तीसगढ़ के बेसोली इलाके के रहने वाले सेठी कुमार सागर ईंट–भट्ठे में मजदूर थे। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि सागर जब एक व्यक्ति के साथ टहल रहे थे तभी काकपोरा रेलवे स्टेशन के पास निहामा इलाके में दो आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। उन्होंने बताया, 'कातिलों को पकड़ने के लिए हमने विभिन्न जगहों पर टीमें भेजी हैं।' उनके अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना में दो आतंकवादी शामिल थे। सोमवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शिरमाल गांव में राजस्थान के ट्रक ड्राइवर को दो आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल था।

अनंतनाग : मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए

पेज 1 का बाकी

अभियान शुरू किया। मकान में छिपे आतंकियों ने रात करीब ढाई बजे गोलियां चलाईं जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से भारी गोलीबारी होने के कारण पूरा मकान धराशाई हो गया। शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। तीनों आतंकियों में सबसे बड़े की पहचान नसीर गुलजार छद्रू उर्फ अबु हन्नान के तौर पर की गई है। वह अनंतनाग जिले के बिजबेहरा का रहने वाला था। वह पिछले साल सितंबर में लश्कर–ए–तैयबा में शामिल हुआ था। अन्य दो की पहचान जाहिद अहमद लोन और आकिब अहमद हजाम के रूप में हुई है। इनमें से लोन बिजबेहरा का रहने वाला था। वह जुलाई में आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था। हजाम कुलगाम जिले के रेधवानी का रहने वाला था। वह अप्रैल में आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था। तीनों आतंकियों की उम्र 25 साल से कम थी।

सावरकर के संस्कार राष्ट्र निर्माण का आधार : मोदी

पेज 1 का बाकी

कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी नहीं रह गई जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मोदी ने कहा 'मुझे नहीं पता कि इस पर हंसना चाहिए या रोना। यह साबित करता है कि आज की कांग्रेस वह नहीं है जो आजादी के लिए लड़ी थी।' मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को 'एक परिवार के प्रति समर्पण' में ही राष्ट्रवाद नजर आता है।

विपक्ष को डूब मरना चाहिए : मोदी ने कहा, 'वे (विपक्ष) कैसे कह सकते हैं कि जम्मू–कश्मीर का महाराष्ट्र के साथ कोई लेना–देना नहीं है। उन्हें इस तरह की सोच पर शर्म आनी चाहिए। क्या उन्हें कोई शर्म नहीं है? डूब मरो।' मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की आड़ में अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने का सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस और राकांपा प्रमुख शरद पवार की निंदा की।

धनशोधन मामला : चिदंबरम को ईडी ने गिरफ्तार किया, पेशी आज

पेज 1 का बाकी

कहा कि वह रिमांड की अर्जी पर गुरुवार को विचार करेगी, जब सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही है। अदालत ने जेल अधिकारियों को चिदंबरम को गुरुवार को दोपहर 3 बजे पेश करने का निर्देश दिया।

ईडी के अधिकारी ने कहा कि न्यायाधीश कुहाड़ ने एजंसी को चिदंबरम से जेल में पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दी जिसके बाद ईडी के जांच दल ने उचित प्रक्रिया का पालन किया। ईडी का तीन सदस्यीय दल सुबह 8:15 बजे तिहाड़ जेल पहुंचा और करीब दो घंटे तक परिसर में रहा जिस दौरान उन्होंने चिदंबरम से संक्षिप्त सवाल–जवाब किए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कहा कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की गई है। कानून के इसी प्रावधान के तहत उनका बयान भी दर्ज किया गया। ईडी ने राज्यसभा सदस्य चिदंबरम से इस मामले में पहले कई बार पूछताछ की है लेकिन उसने कभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। अदालत ने पहले आदेश दिया था कि एजंसी उन्हें गिरफ्तार करने जैसा कोई कदम नहीं उठाएगी।

सूत्रों ने संकेत दिया कि अगर अदालत ईडी को चिदंबरम को हिरासत में लेने की अनुमति दे देती है और उनसे पूरी तरह पूछताछ शुरू हो जाती है तो चिदंबरम का सामना अब कुछ नए सबूतों से कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कार्ति के एकाउंटेंट और अन्य लोगों के बयानों से उनका सामना कराया जा सकता है। समझा जाता है कि ईडी के जांच अधिकारी चिदंबरम से उनके परिवार से जुड़ी कुछ विदेशी संपत्तियों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं जिनमें एजंसी द्वारा जब्त की गई कार्ति के नाम वाली संपत्ति भी हैं। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में कार्ति की भारत, ब्रिटेन और स्पेन में 54 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को पीएमएलए के तहत जब्त किया था। एजंसी मामले में अपना पहला आरोपपत्र या अभियोजन शिकायत दाखिल करने की दिशा में काम कर रही है जिसमें चिदंबरम के बयान शामिल हो सकते हैं।

भुखमरी में पाक–बांग्लादेश से पीछे भारत

पेज 1 का बाकी

भारत में भुखमरी के स्तर को 'गंभीर' बताया गया है। भारत पिछले /इ /इसाल 119 देशों में 103वें स्थान और 2000 में 113 देशों में 83वें स्थान पर था। इस बार देश 117 देशों में 102वें स्थान पर रहा है। भारत के जीएचआइ अंक में गिरावट आई है। भारत का जीएचआइ अंक 2005 में 38.9, 2010 में 32 और 2010 से 2019 के बीच 32 से 30.3 अंक के बीच रहा।

जीएचआइ अंक की चार संकेतकों के आधार पर गणना की जाती है – अल्पपोषण, बच्चों के कद के हिसाब से कम वजन होना, बच्चों का वजन के हिसाब से कद कम होना और बाल मृत्युदर। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कद के हिसाब से कम वजन होने की भागीदारी 2008–2012 में 16.5 फीसद से बढ़कर 2014–18 में 20.8 फीसद हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि छह महीने से 23 महीने के सभी बच्चों में से केवल 9.6 फीसद बच्चों को 'न्यूनतम स्वीकार्य आहार' दिया गया। इसमें कहा गया है, 'भारत में कद से हिसाब से बच्चों का वजन कम होने की दर अत्यधिक है जो 20.8 फीसद है। यह दर इस रिपोर्ट में शामिल देशों में सबसे ज्यादा है।'

संघर्ष पीड़ित व जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझ रहे यमन और जिबूती जैसे देशों ने भी इस मामले में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपाल (73), श्रीलंका (66), बांग्लादेश (88), म्यांमा (69) और पाकिस्तान (94) जैसे भारत के पड़ोसी देश भी 'गंभीर' भुखमरी की श्रेणी में है लेकिन उन्होंने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस सूचकांक में चीन 25वें स्थान पर है और वहां भुखमरी का स्तर कम है जबकि श्रीलंका में भुखमरी की समस्या का स्तर 'मध्यम' है। भारत ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर, बच्चों का कद छोटा होना और अपर्याप्त भोजन के कारण होने वाला अल्पपोषण जैसे अन्य पैमानों पर सुधार किया है। रिपोर्ट में केंद्र के 'स्वच्छ भारत' कार्यक्रम जिक्र करते हुए कहा गया है कि खुले में शौच की समस्या अब भी है।

महाराष्ट्र : रैली के दौरान शिवसेना सांसद पर चाकू से हमला, घायल

मुंबई, 16 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में बुधवार को एक रैली के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने शिवसेना सांसद ओमराजे निंबालकर पर चाकू से वार किया। इस हमले में सांसद घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि जिस समय यह घटना हुई, तब निंबालकर कलंब तालुका के पडोली नैगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रैली के दौरान व्यक्ति निंबालकर से हाथ मिलाने के बहाने एक समूह के साथ उनके पास पहुंचा था। निंबालकर उस्मानाबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने बताया कि सांसद का अभिवादन करते समय व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला किया और फौरन वहां से फरार हो गया। निंबालकर के हाथ में जख्म हुआ हालांकि कलाई पर घड़ी बंधी होने के वह अधिक गहरा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि घटना के बाद निंबालकर को अस्पताल ले जाया गया। मामूली जख्म होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। उन्होंने बताया कि अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। सांसद के पिता व कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर की 3 जून, 2006 को मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे पर कलंबोली के पास कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व लोकसभा सांसद पद्म सिंह पाटिल इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।

अब फैसले का इंतजार

पेज 1 का बाकी

में दशहरा अवकाश के बाद 14 अक्तूबर से अंतिम चरण की सुनवाई शुरू हुई। अदालत के पहले के कार्यक्रम के तहत यह सुनवाई 18 अक्तूबर तक पूरी की जानी थी। लेकिन 14 अक्तूबर को सुनवाई शुरू होने पर अदालत ने कहा कि यह 17 अक्तूबर तक पूरी की जाएगी। लेकिन 15 अक्तूबर को पीठ ने यह समयसीमा घटाकर 16 अक्तूबर कर दी थी। इस मुद्दे पर 17 नवंबर से पहले ही फैसला आने की उम्मीद है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई इस दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस मामले में बुधवार की सुबह सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि वह पिछले 39 दिनों से अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा था कि इस मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए किसी भी पक्षकार को बुधवार के बाद अब और समय नहीं दिया जाएगा।

निचली अदालत में दायर हुए थे पांच विवाद :

शुरुआत में निचली अदालत में इस मसले पर पांच वाद दायर किए गए थे। पहला मुकदमा 'राम लला' के भक्त गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में दायर किया था। इसमें उन्होंने विवादित स्थल पर हिंदुओं के पूजा अर्चना का अधिकार लागू करने का अनुरोध किया था। उसी साल परमहंस रामचंद्र दास ने भी पूजा अर्चना जारी रखने और विवादित ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे ही मूर्तियां रखी रहने के लिए मुकदमा दायर किया था। लेकिन बाद में यह मुकदमा वापस ले लिया गया था। बाद में निर्मोही अखाड़े ने 1959 में 2.77 एकड़ विवादित स्थल के प्रबंधन और शेबैती अधिकार के लिए निचली अदालत में वाद दायर किया। इसके दो साल बाद 1961 में उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अदालत में पहुंच गया और उसने विवादित संपत्ति पर अपना मालिकाना हक होने का दावा किया। 'राम लला विराजमान' की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल और जन्म भूमि ने 1989 में मुकदमा दायर कर समूची संपत्ति पर अपना दावा किया और कहा कि इस भूमि का स्वरूप देवता का और एक 'न्यायिक व्यक्ति' जैसा है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना और इसे लेकर देश में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद में सारे मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्णय के लिए सौंप दिए गए थे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर, 2010 के फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों–सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला– के बीच बांटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने मई 2011 में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अयोध्या में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

'मनमोहन–राजन कार्यकाल बैंकों का सबसे बुरा दौर था'

पेज 1 का बाकी

के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में एक व्याख्यान में कहा कि सभी सार्वजनिक बैंकों को नया जीवन देना आज मेरा पहला कर्तव्य है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं रघुराम राजन का एक महान विद्वान के रूप में सम्मान करती हूं। उन्हें उस समय केंद्रीय बैंक में लिया गया जब भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के दौर में थी। आरबीआइ के पूर्व गवर्नर राजन की मोदी सरकार पर टिप्पणी को लेकर सीतारमण ने कहा कि राजन के दौर में ही बैंक कर्ज से जुड़ी काफी दिक्कतें थीं।

राजन ने हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान में कहा था कि पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसकी वजह किसी भी फैसले के लिए नेतृत्व पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी। साथ ही नेतृत्व के पास निरंतर, तार्किक दृष्टिकोण नहीं था कि कैसे आर्थिक वृद्धि हासिल की जाए।

वित्त मंत्री ने कहा, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में वह राजन का ही कार्यकाल था, जब साठगांठ करने वाले नेताओं के फोन भर से कर्ज दिया गया। इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए बैंक आज तक सरकारी पूंजी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, डॉ सिंह प्रधानमंत्री थे और मुझे भरोसा है कि डॉ. राजन इस बात से सहमत होंगे कि सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर निरंतर स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे।

सीतारमण ने कहा, मैं यहां किसी का मजाक नहीं बना रही हूं, लेकिन उनकी तरफ से आए बयान पर मैं प्रतिक्रिया देना चाहती थी। मुझे यकीन है कि राजन जो भी कहते हैं उसे सोच समझ कर कहते हैं। लेकिन मैं आज यहां ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि भारत के सार्वजनिक बैंक उतने बुरे दौर से नहीं गुजर रहे हैं जितने मनमोहन सिंह और राजन के दौर में गुजर रहे थे। उस समय हममें से कोई इस बात को नहीं जानता था। वित्त मंत्री ने कहा, मैं आभारी हूं कि राजन ने परिसंपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा की लेकिन मुझे खेद है कि क्या हम सब भी यह सोच सकते हैं कि आज हमारे बैंकों को क्या परेशानी है? यह कहां से विरासत में मिला है? इस कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत संदीप चक्रवर्ती ने भी शिरकत की। एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि अब नेतृत्व का केंद्रीकरण हो गया है, तो मैं कहना चाहती हूं कि बहुत लोकतांत्रिक नेतृत्व ने ही बहुत सारे भ्रष्टाचार को जन्म दिया है।

'संचार पर पाबंदी आदेश पेश करे प्रशासन'

पेज 1 का बाकी

राज्य प्रशासन से सवाल किया कि उसने संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश एवं अधिसूचनाएं उसके सामने पेश क्यों नहीं कीं। जम्मू–कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश महान्यायवादी तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एनवी रमण के अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि वे इन प्रतिबंधों से संबंधित प्रशासनिक आदेश केवल पीठ के अध्ययन के लिए शीर्ष अदालत में पेश करेंगे। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई शामिल हैं। मेहता ने पीठ ने कहा कि हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। राष्ट्रहित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों की अपील पर कोई नहीं बैठ सकता। केवल अदालत ही इसे देख सकती है और याचिकाकर्ता निश्चित ही इसे नहीं देख सकते हैं। मेहता ने पीठ को बताया कि जम्मू–कश्मीर में संचार पर लगाए गए प्रतिबंधों संबंधी परिस्थितियों में बदलाव आया है और वे इस मामले में ताजा जानकारी देते हुए शपथपत्र दायर करेंगे। पीठ ने जब घाटी में मोबाइल सेवाएं बहाल होने की मीडिया रिपोर्टों का जिक्र किया तो एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केवल पोस्टपेड मोबाइल चल रहे हैं लेकिन प्राधिकारियों ने मंगलवार को एसएमएस सेवाएं रोक दी थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही जम्मू–कश्मीर प्रशासन से सवाल किया कि मलेशिया में बसे प्रवासी भारतीय कारोबारी की हिरासत को चुनौती देने वाली उसकी पत्नी की याचिका पर उसने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया? अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान रद्द किए जाने के बाद से यह कारोबारी हिरासत में है।

पीठ के न्यायाधीश आज चैम्बर में बैठेंगे

पेज 1 का बाकी

कहा, 'यह ध्यान रखें कि गुरुवार 17

KRBL Limited

पंजीकृत कार्यालय: 5150, नाडोरी गेट, दिल्ली – 110006
CIN: L01110DL1993PLC052845
ईमेल: investor@krblindia.com, वेबसाइट: www.krblrice.com
फोन: +91-11-23958328, फैक्स: +91-11-23958327

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 एवं 33 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितम्बर 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही (Q2) और छमाही के लिए केआरबीएल लिमिटेड के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, स्वीकृत और अभिलेख होने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 4 नवम्बर 2019 को सी-32, फेज़ II, ओखला, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, में आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड- www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड- www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते केआरबीएल लिमिटेड
हस्ता/–
रमन सभ्रा
कंपनी सचिव

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16 अक्टूबर 2019

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
शेहरीति डेवलपमेन्टल प्रैक्टिसेस फाउण्डेशन (CIN: U74999DL2017NPL312407) जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-30, बेस्मेन्ट, ढांगपुरा एक्स्टे., नई दिल्ली-110014 में है, के मामले में।

..... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

शेहरीति डेवलपमेन्टल प्रैक्टिसेस फाउण्डेशन के लिये
हस्ता./-
निधि बत्रा
निदेशक
DIN: 06943273

तिथि: 14.10.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
सूचना
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
ऑडियोकोड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-16, 2रा तल, प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085, भारत में है, के मामले में

---आवेदक कम्पनी

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के क्षेत्राधिकार के भीतर "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 3 जून, 2019 को उसके पंजीकृत कार्यालय डी-16, 2रा तल प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085, भारत में आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
डी-16, 2रा तल, प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085, भारत

कृते एवं के लिए
ऑडियोकोड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हिलोल चटर्जी
(निदेशक) DIN: 07581543

तिथि: 18.10.2019
स्थान: दिल्ली

पता: टी-12/9ए, द ऑजोन अपार्टमेन्ट्स, साई धाम मंदिर के निकट, सेक्टर- 86, भोपानी, 143, फरीदाबाद-121002, हरियाणा, भारत, सिंधी सोसायटी, मुम्बई-400071

अमृत कॉर्प. लि.

CIN: L15141UP1940PLC000946
पंजी. कार्यालय: सीएम/28, प्रथम् तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.)
कॉर्पो. कार्यालय: अमृत कॉर्पोरेट सेन्टर, ए-95, सेक्टर 65, नोएडा-201309 (उ.प्र.)
Ph.: 0120-4506900; Fax: 0120-4506910
E-mail: info@amritcorp.com, Website: www.amritcorp.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("सूचीयन विनियमन") के विनियमन 29,33,47 तथा लागू होने वाले किसी अन्य विनियमन के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल तथा ऑडिट कमिटी की बैठकें **मंगलवार, 5 नवम्बर, 2019** को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार, परीक्षा एवं अनुमोदन किये जाएंगे।

उक्त सूचीयन विनियमन के विनियमन 47(2) के अनुसार यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् **www.amritcorp.com** के साथ ही साथ बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अमृत कॉर्प लि. के लिये
हस्ता./-
(पी.के. दास)
कम्पनी सचिव

तिथि: 15.10.2019
स्थान: गाजियाबाद

BOI

4/6डी, देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055

परिशिष्ट- IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार (1) मैसर्स सेन्ट्रल साईनटिफिक कं. (प्रोपराईटर श्रीमती साराब महाजन) और गारंटर (1) श्री भारत भूषण महाजन (मृतक) की ओर से श्री मनुज महाजन और (2) श्री मनुज महाजन को मांग सूचना दिनांकित 08.08.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 22,64,098.00 (रुपये बाईस लाख चौंसठ हजार अट्ठानवे मात्र) दिनांक 08.08.2019 तक और अदायगी की तिथि तक भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 11.10.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, 4/6डी, देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 के प्रभार वाली रु. 22,64,098.00 दिनांक 08.08.2019 तक और भविष्य का ब्याज, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश खोकि निर्मित अचल सम्पत्ति (दुकान) भूतल, सम्पत्ति नं. 9236 का हिस्सा, गली नं. 5, मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सरोज महाजन पत्नी श्री बी.डी. महाजन के नाम पर है।

दिनांक : 11.10.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय स्टेट बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)
एसएमई गाजियाबाद, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद-201001
फोनः 0120-2706546, 2700725, ईमेलः sbi.09298@sbi.co.in

कब्जा सूचना (नियम 8 (1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये

सूचित किया जाता है कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने मांग सूचना नीचे प्रत्येक खाता समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारक को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता एवं राशि के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागत तथा चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। सांकेतिक कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है।

ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि (धारा 13 (2) सूचना में वर्णित
ऋणधारकः मै. शीला इंडस्ट्रीज द्वारा उसके प्रॉप. श्रीमती शीला सिंह गारन्टरः श्री रवि प्रकाश सिंह	प्राथमिक प्रतिभूतिः प्रेषण में सामग्रियों तथा कच्चे माल के स्टॉक्स, प्रॉसेस में स्टॉक्स, तैयार सामग्री/कंन्यूमैबल्स स्टोर्स, पैकिंग सामग्री तथा स्पेयर्स तथा अन्य एसी चल सम्पत्तियां जिसमें बुक डेब्ट्स, विल्स दस्तावेजीय अथवा क्लीन, बकाया धन, बैंक की संतुष्टि के लिये किसी भी रूप में प्रक्रिया में वर्तमान एवं भविष्य दोनों के रिसीवेबल्स शामिल हैं, के साथ शॉप, गोदाम तथा अन्यत्र रखी गई फर्म की सम्पूर्ण चालू परिसम्पत्तियों का हापोथेकेशन। कोल्लेटरल ई-167, सेक्टर-17, (भूमि क्षेत्रफल-1351 वर्ग यार्डस) कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन का इक्विटेबल मार्टगैज। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट एनः ई 165, पश्चिमः 80 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट एनः ई 168, दक्षिणः प्लॉट एनः ई-166	रु. 2,60,36,504.94/- 29.06.2019 को तथा ब्याज एवं अन्य चार्जेज मांग सूचना तिथि 1.7.2019 कब्जा की तिथि 15.10.2019

तिथि: 17.10.2019
स्थान: गाजियाबाद

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

सिंडिकेट बैंक, पंजाबी बाग

बिल्डिंग नं. 2-3, सेन्ट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, दिल्ली-26
ईमेलः br.9011@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 9011/ सरफेसी/ / /2019 — तिथि: 1.10.2019

सेवा में,
1. श्रीमती रेणु, भसीनः सी-115, 1ला तल, मोती नगर, नई दिल्ली-110015
2. श्री संदीप भसीनः सी-115, 1ला तल, मोती नगर, नई दिल्ली-110015
स्युरिटीज
1. श्री करुण अरोड़ा, 175, एमआईजी फ्लैट्स, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005
प्रिय महोदय/ महोदया

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 800000/- की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	साख का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	90119830000037	5000000	4411270.27	30.09.2019
	कुल	5000000	4411270.27	

2. चूंकि आपने अपनी देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर वर्णित तिथि को आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
3. ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.10.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 4411270.27 (रुपये चौआलिस लाख ग्यारह हजार दो सौ सत्तर एवं पैसे सत्ताईस मात्र) की राशि बकाया है।
4. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।
5. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न सीमाऐं अधोलिखित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत है:
i) मकान सं. सी-90, II रा तल, शिवाजी पार्क, नई दिल्ली-110026 में आवासीय सम्पत्ति जो श्रीमती रेणु भसीन के स्वामित्व में है।
6. ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल हैं:
क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना,
ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।
7. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।
9. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
10. कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

तिथि: 1.10.2019
स्थान: नई दिल्ली

(प्राधिकृत अधिकारी)
सिंडिकेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेंटर (आरएसीपीसी), 59, कम्युनिटी सेंटर, निकट पीवीआर नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110028
दूरभाष : 011-47074302, 011-47027897
ई-मेल आईडी : agmracpcdel@sbi.co.in

कब्जा सूचना (सांकेतिक)

नियम 8(1) एवं (2) के तहत (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अधिनियम तथा नियम 3 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेंटर (आरएसीपीसी), 59, कम्युनिटी सेंटर, निकट पीवीआर नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110028 का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते निम्नलिखित कर्जदार श्री राजीव बतूरा पुत्र श्री कबीर चंद (कर्जदार) निवासी 943/2 अर्जुन नगर, सामने डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110003 तथा साथ ही 7309/5, प्रथम तल, शक्ति नगर, प्रेम नगर, गली नं. 1, दिल्ली-110007 को दिनांक 14.03.2019 को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 14.03.2019 तक ब्याज, अन्य व्ययों तथा प्रभारों सहित सूचना में लिखित राशि रु. 11,39,484/- (रुपये ग्यारह लाख उनतालीस हजार चार सौ चौरासी मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदार/जमानती तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 11 अक्टूबर, 2019 को कब्जा कर लिया है। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता/जमानती और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 14.03.2019 तक कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त सूचना में उल्लिखित राशि रु. 11,39,484/- (रुपये ग्यारह लाख उनतालीस हजार चार सौ चौरासी मात्र) और ब्याज तथा अन्य व्ययों तथा पुनर्भुगतान की यथाप्रयोज्य कम राशि, यदि कोई हो, के लिए भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेंटर (आरएसीपीसी), 59, कम्युनिटी सेंटर, निकट पीवीआर नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110028 के अभियोग का विषय होगा।

सम्पत्तियों की अनुसूची:

राजीव बतूरा पुत्र श्री कबीर चन्द के नाम से दिनांक 15.09.2006 को पुस्तक सं. 1 में पंजीकरण सं. 265 वॉल्यूम सं. 2651 में पृष्ठ सं. 139 से 141 के निगम सं. 7309/5, प्रथम तल, शक्ति नगर, प्रेम नगर, गली नं. 1, दिल्ली-110007 की गिरवीकृत सम्पत्ति का समस्त भाग।

तिथि : 17.10.2019
स्थान : दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत) शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

आरएएडी/कूरियर द्वारा

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

संदर्भः टीसीएफएसएल/सरफैसी/37/12/10/2019 — 12.10.2019

सेवा में,
1. श्रीमती पवन कपूर,
ऑटोमोबिल स्टर्लिंग के प्रॉपाईटर
डी-4, सेक्टर-8, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301,
साथ हीः फ्लैट नं. 6ए, टाटा अपार्टमेन्ट्स, 23, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011
एवं डी-230, सेक्टर 63, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301

– ऋणधारक एवं प्रतिभूति प्रदाता

1. श्री तरुण कपूर
6ए, टाटा अपार्टमेन्ट्स, 23, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011
साथ हीः जीपी 11 एचएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 18, गुड़गाँव 122001

– गारन्टर

1. हम, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड (टीसीएफएसएल) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में विधिवत पंजीकृत तथा निगमित हैं, हमारा पंजीकृत कार्यालय टावर ए, 11 वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 में है, एतदद्वारा आपको वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत निम्न सूचना सर्व कर रहे हैं।
2. आप, ऋणधारक ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये टीसीएफएसएल से सम्पर्क किया तथा यह प्रतिनिधित्व किया कि आप वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं तथा अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिये अच्छी स्थिति में हैं।
3. उस प्रतिनिधित्व तथा आप संबोध्य-व्यक्तियों द्वारा दी गई वारंटीज के आधार पर टीसी एफएसएल ने आप सं. 1 के स्वीकृति पत्र तिथि 13 मार्च 2018 के माध्यम से रु. 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र) ("ऋण/सुविधा") की साख सीमा के लिये चैनल फाइनांस फैसिलिटी स्वीकृत की जिसका समय-समय पर नवीकरण किया गये। जिसमें वृद्धि की गई तथा इस क्रम में अंतिम नवीकरण/वृद्धि स्वीकृति पत्र तिथि 18 अप्रैल, 2019 जिसका संदर्भ सं. सीएफ/सीएफ-महिन्द्रा/डेल/1990482 है, के माध्यम से की गई तथा रु. 2,80,00,000 (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र) की तदर्थ सुविधा स्वीकृत की गई।
4. उक्त स्वीकृति/तियों के अनुपालन में सुविधा/ओं के अंतर्गत हमने आपके द्वारा निर्देशित रूप से आप सं. 1 को उक्त राशि की प्रतिपूर्ति की सुविधा/ओं के अंतर्गत उक्त राशि की पुनर्अदायगी आप सं. 2 द्वारा प्रत्याभूत है। सुविधा/ओं के अंतर्गत उक्त राशि की पुनर्अदायगी यहां **अनुसूची क** में निर्दिष्ट ऋणधारक की वर्तमान तथा आगे के स्टॉक्स पर हाइपोथेकेशन द्वारा प्रतिभूत है।
5. अवसर दिये जाने के वावजूद आप संबोध्य-व्यक्ति सं. 1 लगातार रूप से अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक करते रहे हैं तथा आप ने उक्त सुविधा/ओं के अंतर्गत टीसीएफएसएल के बकाये ऋण के निष्पादन की अनदेखी की है। उसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा अधिनियम की धारा 2 (0) में परिभाषित रूप से टीसीएफएसएल ने 2 अक्टूबर, 2019 को आप संबोध्य-व्यक्ति सं. 1 की खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
6. 1 अक्टूबर, 2019 को सुविधा के अंतर्गत आप पर बकाया तथा देय राशि रु. 14,41,79,072/- (रुपये चौदह करोड़ इकतालिस लाख उन्यासी हजार बहत्तर मात्र) है जिसका विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। आप संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाये की सम्पूर्ण पुनर्अदायगी की तिथि तक अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अतिरिक्त/दंड ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
7. टीएफसीएसएल ऊपर पैराग्राफ 6 में वर्णित बकाया राशि के लिये अधिनियम की धारा 2 (जेड डी) के अंतर्गत परिभाषित रूप में एक प्रतिभूत क्रेडीटर है। इस परिस्थिति में टीसीएफएसएल अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करता है तथा टीसीएफएसएल के पक्ष में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर आप संबोध्य सं. 4 द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित को प्रवर्तित करता है।
8. अतः हम, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी इस सूचना द्वारा आप से अपेक्षा करते हैं कि इस सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर टीसीएफएसएल के प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें जिसमें विफल रहने पर प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में हम अपने किसी अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न उपायों का अवलम्बन करेंगे।
9. जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना आप हमारे हित के प्रतिकूल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को अंतरित करने अथवा टेनेन्सी या लाइसैंस या किसी अन्य अधिकारों के द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर किसी प्रकार के हितों अथवा अधिकारों का निर्माण करने अथवा किसी भी रूप में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय करने से वंचित हैं तथा यह उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के अंतर्गत भी निषिद्ध है। यह भी ध्यान रहे कि अधिनियम की धारा 29 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन का प्रयास करता है तो उसे एक वर्ष तक की कैद अथवा दंड अथवा दोनों सजा हो सकती है।
10. पुनः कृपया ध्यान रहे कि यदि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आप अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करने में विफल रहते हैं तो हम, प्रतिभूत क्रेडीटर अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आगे, आप अधिनियम की धारा की उप-धारा 7 के अंतर्गत इस सिलसिले में हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री से हमारे सम्पूर्ण बकाये की वसूली नहीं होती है तो आप शेष राशि का हमें भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बने रहेगें तथा वसूली के लिये हम उपयुक्त कार्रवाई करने का अपना अधिकार सु

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT IN COMPLIANCE WITH ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.

GREENPANEL

GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED

The Company (Corporate Identification Number U20100AS2017PLC018272) was incorporated on December 13, 2017 as a public limited company with the name "Greenpanel Industries Limited". The registered office of the Company is situated at Makum Road, P.O. Tinsukia, Assam –786125.

The main object under the Memorandum of Association of the Company is ***"To carry on business as manufacturers, traders, exporters, importers, dealers, wholesalers, retailers, service providers, commission agents, of medium density fibreboard (MDF), high density fibreboard (HDF), wooden flooring, plywood, particle board, doors, laminated wooden flooring, laminates of all sizes and descriptions, veneers, pre-laminated board, decorative laminates, decorative laminated sheets, high pressure laminates, post forming laminates, decorative veneers, ready to install doors, high-end doors, High-end Veneered Engineering Flooring and Pre-laminated Particle Board of all kinds and descriptions and other paper based, wood based and plastic based products of all kinds and descriptions and industrial laminated sheets, compact laminates of every descriptions, post formed panels, whether laminated or not, restroom cubicles, lockers and every type of partition systems and to act decorators and manufacturers and deal in housing furniture and fittings, interior decorators, commercial and industrial furniture and fittings and implements and tools of all descriptions and provide consultancy in total interior and exterior decoration and furniture solution."*** **There has been no change in the object clause of the Company till date.**

Capital Structure of the Company

PRE-SCHEME		POST SCHEME	
Particulars	Amount (in INR)	Particulars	Amount (in INR)
Authorized Capital		**Authorized Capital**	
1,00,00,000 equity shares of INR 1.00 each	1,00,00,000	15,00,00,000 equity shares of INR 1.00 each	15,00,00,000
Total	**1,00,00,000**	**Total**	**15,00,00,000**
Issued, Subscribed and Paid-Up		**Issued, Subscribed and Paid-Up**	
10,00,000 equity shares of INR 1.00 each	10,00,000	12,26,27,395 equity shares of INR 1.00 each	12,26,27,395
Total	**10,00,000**	**Total**	**12,26,27,395**

Shareholding pattern of the Promoter/Promoter Group

S. No.	Name of Promoter	Number of Equity Shares in Company	Percentage of paid up capital in Company
	PROMOTER		
1	Mr Shiv Prakash Mittal	-	-
2	Mr Shobhan Mittal	739,000	0.60
	PROMOTER GROUP		
3	Shiv Prakash Mittal and Shobhan Mittal on behalf of Trade Combines, partnership firm	11,702,380	9.54
4	Mr Rajesh Mittal	3,079,900	2.51
5	Mr Sanidhya Mittal	90,000	0.07
6	Ms. Santosh Mittal	1,165,900	0.95
7	Ms. Karuna Mittal	680,000	0.55
8	Ms. Chitwan Mittal	-	-
9	Master Aditya Mittal	-	-
10	Master Dev Mittal	-	-
11	Mr Saurabh Mittal	-	-
12	Ms. Usha Dhurka	-	-
13	Ms. Kiran Loyalka	-	-
14	Ms. Neera Devi Bharitia	-	-
15	Mr. Sharad Jaipuria	-	-
16	Ms. Anjali Jaipuria	-	-
17	Mr. Dilip Modi	-	-
18	Mr. Shreevats Jaipuria	-	-
19	Ms. Kusum Jalan	-	-
20	Ms. Rasika Kejariw	-	-
21	Mittalgreen Plantations LLP	-	-
22	Rajesh Mittal & Sons, HUF	-	-
23	Prime Holdings Private Limited	12,042,800	9.82
24	S. M. Management Private Limited	31,626,965	25.79
25	Vanashree Properties Private Limited	1,448,055	1.18
26	Niranjan Infrastructure Private Limited	-	-
27	RS Hemcon Limited	-	-
28	Showan Investment Private Limited	-	-
29	Brijbhumi Merchants Private Limited	-	-
30	Educational Innovations Private Limited	-	-
31	Brijbhumi Tradexin Private Limited	-	-
32	Mastermind Shoppers Private Limited	-	-
33	Dhalka Plywood Industries Private Limited	-	-
34	Bluesky Projects Private Limited	-	-
35	RKS Family Foundation	-	-
36	Trade Combines Pte Limited, Singapore	-	-
37	Greenlam Industries Limited	-	-
38	Himalaya Granites Limited	-	-
39	Greenply Leasing and Finance Private Limited	-	-
40	Prime Properties Private Limited	-	-
41	S. M. Safeinvest Private Limited	-	-

Top ten largest shareholders of the Company:

S. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares held	Percentage of total paid up capital
1	S. M. Management Pvt. Ltd.	3,16,26,965	25.79
2	Prime Holdings Pvt. Ltd.	1,20,42,800	9.82
3	Jwalamukhi Investment Holdings	1,17,87,720	9.61
4	Shiv Prakash Mittal and Shobhan Mittal on behalf of Trade Combines, partnership firm	1,17,02,380	9.54
5	HDFC Small Cap Fund	1,02,97,455	8.40
6	SBI Consumption Opportunities Fund	53,60,262	4.37
7	IDFC Sterling Value Fund	45,70,000	3.73
8	Tata India Consumer Fund	38,83,900	3.17
9	Westbridge Crossover Fund, LLC	36,39,875	2.97
10	Rajesh Mittal	30,79,900	2.51

Details of the Promoters:

Name, Designation and Address of the Promoters	Brief biography of the promoters
Name: Mr. Shiv Prakash Mittal **Designation:** Executive Chairman **Address:** Flat No.2NW, 5 Queens Park, Kolkata-700 019 **DIN:** 00337242 **Date of Birth:** April 7,1948	**Mr. Shiv Prakash Mittal,** holds a bachelor's degree in science from the University of Calcutta. He is one of the founders of Greenply Industries Limited. He was also associated with Kitply Industries Limited for 21 (twenty-one) years. He has over thirty years of experience in the fields of production and marketing in plywood, laminates, MDF and allied products
Name: Mr. Shobhan Mittal **Designation:** Managing Director and CEO **Address:** 46, Lakeshore View, Singapore-098401 **DIN:** 00347517 **Date of Birth:** August 19, 1980	**Mr. Shobhan Mittal** holds a bachelor degree in business administration and was Joint Managing Director & CEO of Greenply Industries Ltd. He possesses over 10 (ten) years of experience in business administration and marketing strategy. He was instrumental in setting-up of the MDF units of the Company at Pantnagar, Uttarakhand as well as at Chittoor, Andhra Pradesh. After successfully streamlining the Pantnagar unit, he is presently involved in the streamlining the operations of the Chittoor unit.

Business

The Company is a wood based interior infrastructure company, primarily engaged in the manufacture of an array of wood- based panel products which includes plywood, MDF boards and allied products. Company was incorporated in the year 2017.

Company's products and major brands are as follows:

Manufacturing Unit, Products and brand:

Manufacturing Unit	Product	Brand
Pantnagar, Uttarakhand	Plywood and allied products	Greenpanel
Pantnagar, Uttarakhand	MDF and allied products	Greenpanel
Chittoor, Andhra Pradesh	MDF and allied products	Greenpanel

The Company is exporting MDF and allied products through its wholly owned subsidiary, Greenpanel Singapore Pte. Limited, Singapore. The Company has pan-India brand presence, integrated facilities and dealer network. The products manufactured by the Company are sold across the country under the brand name of "Greenpanel". Company has a nationwide sales and dealer network in the form of its own marketing offices, dealers, sub-dealers and retailers. The sales and marketing teams periodically review new products, assesses market trends and develop and build business relations. Company has a pan-India marketing network. The dealer network comprises of a significant number of Plywood dealers/stockists and MDF boards dealers/stockists, through whom we have access to a network of Plywood and MDF boards sub-dealers and retailers. We believe this pan-India dealer network ensures that the products are easily available in almost any part of India.

We have a centralized ERP system, software system developed by SAP, which integrates the management and allocation of resources for all segments of the business operations ranging from human resources to quality control. For FY ended on March 31, 2019, the total revenue was INR 68,731.41 lakhs. We earned a profit after tax of INR 4412.75 lakhs for the FY ended on March 31, 2019.

Company's management:

Please see below a brief biography of the Directors:

1. **Mr. Shiv Prakash Mittal**, holds a bachelor's degree in science from the University of Calcutta. He is one of the founders of Greenply Industries Limited. He was also associated with Kitply Industries Limited for 21 (twenty-one) years. He has over thirty years of experience in the fields of production and marketing in plywood, laminates, MDF and allied products.
2. **Mr. Shobhan Mittal** holds a bachelor degree in business administration and was Joint Managing Director & CEO of Greenply Industries Ltd. He possesses over 10 (ten) years of experience in business administration and marketing strategy. He was instrumental in setting-up of the MDF units of the Company at Pantnagar, Uttarakhand as well as at Chittoor, Andhra Pradesh. After successfully streamlining the Pantnagar unit, he is presently involved in the streamlining the operations of the Chittoor unit.
3. **Mr. Salil Kumar Bhandari**, an FCA, graduated from Shri Ram College of Commerce, Delhi University and Diploma in Business Administration from the All India Council for Management Studies, Chennai. He is the Founder and Managing Partner of BGJC & Associates LLP, an audit and management consulting firm in New Delhi. Earlier he had held several positions in various organization e.g.:
   - Former President of the PHD Chamber of Commerce & Industry
   - Chairperson of Society for Integrated Development of Himalayas (SIDH) and Child Fund India
   - Member of Task Force – Commission on Centre State Relations, Govt. of India
   - Managing Committee member at ASSOCHAM
   - Member of Advisory Committee, Dept. of Company Affairs, Govt. of India

   Presently, Mr. Bhandari, besides being on the Board of Indian Institute of Management, Indore, also hold Directorship in several companies and their statutory committees.
4. **Mr. Mahesh Kumar Jiwrajka** belonged to the Indian Forest Service, Maharashtra Cadre (March 1, 1977 to March 31, 2009) and took voluntary retirement with effect from March 31, 2009. Amongst various positions, he also was the Inspector General of Forests & Head North-East Cell, Ministry of Environment & Forests, Government of India. In his many years of experience, besides handling various important issues dealing with various aspects of environment, he also held the following positions:
   - Member Secretary, High Power Committee for the North Eastern Region, Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India (1998 to 2016).
   - Member, Special Investigation Team, Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India (February 13, 2000 to 2016).
   - Member Secretary, Central Empowered Committee, Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India (May 9, 2002 to 2016).
   - Member, CAMPA, Constituted by the Hon'ble Supreme Court (May 2005 to 2016).
   - Presently, Mr. Jiwrajka is the proprietor of SRDA Advisory Services, specializing in financial, legal and environment consultancy.
5. **Ms. Sushmita Singha**, a post graduate in English from the Patna University, has done a Diploma in Urban Town Planning from the Human Settlement Management Institute, New Delhi, as well as a certification course in Enhancement of Managerial Capability from the Indian Institute of Management, Lucknow.

   Besides holding directorship in several companies and their committees, Ms. Sushmita Singha has also been actively involved in several social organizations and Government initiatives like:
   - Former Secretary General of the PHD Chamber of Commerce & Industry
   - Former Member of the UN Task Force-Millennium Development Committee for Water and Sanitation
   - Former Member of the Task Force on Tenancy Rights, Ministry of Urban Development, Government of India
   - Former Member of the National Tourism Advisory Council, Ministry of Tourism, Government of India
   - Former Member of State Supervisory Board, Department of Health, Government of Uttar Pradesh
   - Received awards from the Islamic Republic of Afghanistan as well as Sri Lanka
   - She is also on the Advisory Board of BJGC & Associates LLP.

   Presently, Ms. Sushmita Singha is associated with NGO's like My Anchor Foundation, Sapna NGO, and INTACH etc. in various capacity.
6. **Mr. Arun Kumar Saraf**, a Chartered Accountant by qualification has been practicing as a Tax Consultant for over 33 years. He had been managing Income Tax related matters for over 250 companies spread across Kolkata, Bangalore and Mumbai. Besides, he has also been appointed as an Additional Director in Loyalie IT-Solutions Private Limited.

Rationale of the Scheme:

(i) Enhanced strategic flexibility to build a viable platform solely focusing on each of the businesses.

(ii) Enable dedicated management focus, resources and skill set allocation to each business, which will in turn accelerate growth and unlock significant value for the shareholders of the Company.

(iii) Provide enhanced strategic flexibility in the operation of each of the aforementioned businesses.

(iv) Expanding the potential client / customer market for each business vertical.

(v) Access to various sources of funds and investments for the rapid growth of both the businesses.

(vi) The nature of technology, risk, competition and capital intensity involved in each of the undertakings of the Company is distinct from each other. Consequently, each undertaking of the Company is capable of addressing independent business opportunities, deploying different technologies and attracting different sets of investors, strategic partners, lenders and other stakeholders. Hence, as part of an overall business reorganisation plan, it is considered desirable and expedient to undertake the demerger.

Change in accounting policies in the last three years and their effect on profits and reserves (Financial statements should not be later than six months prior to the date of listing):

There has been no change in accounting policies of the Company in the last three years.

Details of its other group companies including their capital structure and financial statements:

The following table enumerates the group companies of the Company, brief description of the business and nature and extent of interest of the Promoters:

No.	Name of the Company	Country of Incorporation	Nature of business activity	Interest of Promoters
1.	Greenply Industries Limited	India	Manufacturing of Plywood and allied products	0.60%
2.	Greenlam Industries Limited	India	Manufacturing of Laminates	2.10%

1. **Greenply Industries Limited**

Capital structure

Particulars	Amount (in INR)
Authorized Capital	
16,00,00,000 equity shares of INR 1.00 each	16,00,00,000
Total	**16,00,00,000**
Issued, Subscribed and Paid-Up	
12,26,27,395 equity shares of INR 1.00 each	12,26,27,395
Total	**12,26,27,395**

Corporate Information

Greenply Industries Limited ("Greenply") was originally incorporated as "Mittal Laminates Private Limited" on November 28, 1990 under the Companies Act, 1956. Greenply was converted into a public limited company and the name was changed to Mittal Laminates Limited pursuant to a fresh certificate of incorporation dated November 1, 1994. The name was changed to "Greenply Industries Limited" pursuant to a fresh certificate of incorporation dated January 17, 1996 issued by the Registrar of Companies, Shillong. Its corporate identification number is L20211AS1990PLC003484. Its registered office is situated at Makum Road, Tinsukia, Assam - 786 125, Assam, India. Greenply is engaged in the business of manufacturing of Plywood and allied products.

Interest of the Promoters

As on March 31, 2019, Shobhan Mittal held 0.60% of the equity shares in Greenply.

Financial Information

The following information has been derived from the consolidated financial statements of Greenply for the last three financial years:

(Amount in Lakhs)

Particulars	As of March 31, 2019**	As of March 31, 2018*	As of March 31, 2017*
Equity Capital (face value Rs. 1/- per share)	1,226.27	1,226.27	1,226.27
Other Equity	32,296.12	86,524.27	76,039.84
Revenue from operations and other income	1,41,542.91	1,73,913.73	1,78,566.91
Profit/(Loss) after tax	7,967.16	11,062.71	12,544.37
Basic earnings per share (in Rs.)	6.50	9.02	10.29
Diluted earnings per share (in Rs.)	6.50	9.02	10.29
Net asset value per share (in Rs.)	27.34	71.56	63.01

*Financials stated herein are on pre-demerger basis and no effect to scheme of arrangement has been given.

** Financials for the year ended 31 March 2019 are on post-demerger basis i.e. after giving the effect of scheme of arrangement.

Greenply has raised INR 5,000 lakhs through Qualified Institutional Placement (QIP) in FY 16-17 at INR 257 per share by issuing 19,45,525 equity shares of face value of INR 1 each. Current market price is Rs. 156.05 as on October 14, 2019.

There are no pending litigations against Greenply which would have a material impact on the Company.

Greenply is not a sick company within the meaning of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1995 and no application has been made to the Registrar of Companies for striking off the name of Greenply.

There are common pursuits with the Company to the extent of manufacturing and selling of plywood and decorative veneers.

List of Directors of Greenply:

1. Rajesh Mittal
2. Sanidhya Mittal
3. Sunil Kumar Pal
4. Vinod Kumar Kothari
5. Anupam Kumar Mukerji
6. Sonali Bhagwati Dalal
7. Upendra Nath Chaliu

2. **Greenlam Industries Limited**

Capital structure

Particulars	Amount (in INR)
Authorized Capital	
3,00,00,000 equity shares of INR 5.00 each	15,00,00,000
Total	**15,00,00,000**
Issued, Subscribed and Paid-Up	
2,41,36,374 equity shares of INR 5.00 each	12,06,81,870
Total	**12,06,81,870**

Corporate Information

Greenlam Industries Limited ("Greenlam") was incorporated as a public limited company on August 12, 2013 under CA 2013 with the Registrar of Companies, Shillong. Its corporate identity number is L21016AS2013PLC011624. Its registered office is situated at Makum Road, Tinsukia, Assam-786 125, Assam, India.

Greenlam is engaged in the business of manufacturing of Laminates and allied products.

Interest of the Promoters

As on March 31, 2019, Shiv Prakash Mittal held 2.10% of the equity share capital in Greenlam.

Financial Information

The following information has been derived from the consolidated financial statements of Greenlam for the last three financial years:

(Amount in Lakhs)

Particulars	As of March 31, 2019	As of March 31, 2018	As of March 31, 2017
Equity Capital (face value Rs. 5/- per share)	1,206.82	1,206.82	1,206.82
Other Equity	47,634.39	34,406.48	28,607.30
Revenue from operations and other income	1,28,220.22	1,15,735.78	1,11,884.90
Profit/(Loss) after tax	7,711.23	6,461.73	4,987.05
Basic earnings per share (in Rs.)	31.95	26.77	20.68
Diluted earnings per share (in Rs.)	31.95	26.77	20.68
Net asset value per share (in Rs.)	177.50	147.55	123.53

There has been no public issue or rights issue of Greenlam in the preceding three years.

There are no pending litigations against Greenlam which would have a material impact on the Company.

Greenlam is not a sick company within the meaning of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1995. Further, no application has been made by Greenlam to the Registrar of Companies for striking off its name.

There are common pursuits between Greenlam and the Company to the extent of manufacturing and selling of decorative veneers.

List of Directors:

1. Shiv Prakash Mittal
2. Saurabh Mittal
3. Parul Mittal
4. Vijay Kumar Chopra
5. Sonali Bhagwati Dalal
6. Sandip Das

Related Party Transactions:

Name of the Related Party	Nature of Transaction	Amounts (in INR and in lakhs)
Greenlam Industries Limited	Sale of products	546.14
Greenlam Industries Limited	Purchase of products	137.38
Greenply Industries Limited	Sale of products	4,418.03

Outstanding litigations and defaults of the transferee entity, promoters, directors or any of the group companies:

Litigations against the Company

Type of Proceedings	Number of Cases	Amount involved, to the extent quantifiable (in INR and in lakhs)
Criminal	None	None
Material Civil Proceedings	None	None
Actions by regulatory/statutory authorities	None	None
Direct Tax	None	None
Indirect Tax	7	1020.07

Litigations by the Company

Type of Proceedings	Number of Cases	Amount involved, to the extent quantifiable (in INR and in lakhs)
Criminal	14	N/A
Material Civil Proceedings	None	None

There are no litigations involving the Company's Directors, Promoters, Subsidiaries.

Further, there are no litigations involving the Group Companies which have a material impact on the Company.

SEBI conducted an investigation into the trading activities of certain entities in illiquid stock options at BSE for the period April 1, 2014 to September 30, 2015. Basis this investigation it was observed that Ms. Santosh Mittal, wife of Mr. Shiv Prakash Mittal and part of Promoter Group, had indulged in execution of reversal trades in the stock options segment of BSE during the investigation period. Such trades were observed to be non-genuine in nature and created false or misleading appearance of trading in terms of artificial volumes in stock options and therefore alleged to be manipulative and deceptive in nature. In view of the same SEBI initiated adjudication proceedings against the noticee for violation of the provisions of Regulations 3(a), 3(b), 3(c), 3(d), 4 (1) and 4 (2a) of SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) Regulations, 2003. The Adjudicating Officer of SEBI after having considered all the facts and circumstances of the case, the material available on record, the factors mentioned in Section 15J of the SEBI Act imposed a penalty of Rs.5,00,000 (Rupees Five Lakh only) on the noticee viz. Ms. Santosh Mittal under the provisions of Section 15HA of the SEBI Act. The same has since been settled.

Particulars of high, low and average prices of the shares of the listed transferor entity during the preceding three years:

Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	From April 1, 2019 to October 14, 2019
High Price	302.25	388.95	321.95	171.00
Low Price	174.55	259.85	114.40	113.10
Average Price	255.61	301.85	191.13	152.46

(Source: www.nseindia.com)

Note:

1. Average price is average of daily average prices for the period.

2. High and low prices are based on high and low of the daily prices.

Any material development after the date of the balance sheet:

The Composite Scheme of Arrangement ("the Scheme") between Greenply and Greenpanel, and their respective shareholders and creditors has been approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Guwahati Bench, vide its order dated June 28, 2019.

The Company has alloted 12,26,27,395 equity shares of Re. 1 each (Indian Rupee one only) to the shareholders of Greenply whose names appear in the register of members of Greenply as on the record date i.e. 15 July 2019, 1 (one) equity share of Re. 1 (Indian Rupees one only) each, credited as fully paid up for every 1 (one) equity share of Re. 1 (Indian Rupees one only) each held by them in Greenply.

Mr. Arun Kumar Saraf was appointed as additional director on the board of director of the Company and Mr. Rajesh Mittal resigned as a director of the Company on August 14, 2019. Pursuant to the resolution passed at the 2nd annual general meeting of the shareholders of our Company held on September 28, 2019, Mr. Arun Kumar Saraf had been re-designated as an Independent Director of our Company.

Such other information as may be specified by the Board from time to time:

Not Applicable

Financial statements for the previous three years prior to the date of listing:

The Company was incorporated on December 13, 2017 hence we have included the financial statements for FY 18-19 which also includes financial numbers of FY 17-18.

Latest audited financial statements along with notes to accounts and any audit qualifications:

Please see below the financial statements for FY 2018-19.

The information memorandum will be available on our website (www.greenpanel.com) and on the websites of stock exchanges.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of **GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED** (hereinafter referred to as the "Holding Company") and its subsidiary (the Company and its subsidiary together referred to as "the Group") which comprise the consolidated balance sheet as at March 31, 2019, the consolidated statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), the consolidated statement of changes in equity and the consolidated cash flows statement for the year then ended and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of the other auditor on separate financial statements of the subsidiary referred to in the other matters section below, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Act read with relevant rules made thereunder, as amended and other accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2019, the consolidated total comprehensive income, consolidated changes in equity and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements* section of our report. We are independent of the Group in accordance with the *Code of Ethics* issued by the *Institute of Chartered Accountants of India* (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained, and the audit evidence obtained by the other auditor in terms of their report referred to in 'Other Matters' paragraph below is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the Management and those charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance, consolidated total comprehensive income, consolidated changes in equity and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under Section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the Companies included in the Group are responsible for maintenance of the adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other

continued on next page

...continued from previous page

irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the Companies included in the Group are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associate company to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the standalone/ consolidated financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities or business activities included in the consolidated financial statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

We did not audit the financial statements and other financial information, in respect of Greenpanel Singapore Pte. Limited subsidiary of the Company whose financial statements include total assets of INR 3,174.54 Lakhs as at March 31, 2019, total revenue of INR 7040.66 Lakhs and net cash inflows amounting to INR 29.00 lakhs for the year ended on that date. These financial statements and other information have been audited by other auditor, whose financial statements, other financial information and auditor's report have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amount and disclosure included in respect of the subsidiary and our report in terms of sub-section 3 of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary is based solely on the reports of the other auditor.

Our opinion on the consolidated financial statements above and our report on the Other Legal and Regulatory Requirement below, is not modified in respect of above matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditor.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit and on the considerations of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiary company referred to in the Other Matters paragraph above we report, to the extent applicable, that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books;

c) The consolidated balance sheet, the consolidated statement of profit and loss including (including statement of other comprehensive income), consolidated statement of changes in equity and the consolidated statement of cash flows dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements;

d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act read with relevant rules made thereunder, as amended and other accounting principles generally accepted in India.

e) On the basis of the written representations received from the directors of the Company as on March 31, 2019 taken on record by the Board of Directors of the Company and its subsidiary incorporated in India and the reports of the statutory auditor of its subsidiary company none of the directors of the Group incorporated in India is disqualified as on March 31, 2019 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Holding Company, refer to our separate report in "Annexure A" to this report.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the considerations of the reports of the other auditors on separate financial statements as also the other financial information of the subsidiary, as noted in the 'Other Matters' paragraph:

i. The consolidated financial statement disclose the impact of pending litigations as at March 31, 2019 on the consolidated financial position of the Group -Refer Note 37 (a) to the consolidated financial statements;

ii. Provision has been made in the consolidated financial statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts during the year ended March 31, 2019.

iii. There were no amounts required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company during the year ended March 31, 2019.

For **S.S. Kothari Mehta & Company**
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000756N

Sunil Wahal
Partner
Membership No. 87294

Place: New Delhi
Date: July 19, 2019

Annexure A to the Independent Auditor's Report to the members of GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED dated July 19, 2019 on its Consolidated Financial Statements.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act") as referred to in paragraph 2(f) of 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section.

Our reporting on the internal financial controls over financial reporting is not applicable in respect of one audited subsidiary incorporated outside India

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of **GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED** as of and for the year ended March 31, 2019, we have audited the Internal Financial Controls over Financial Reporting of **GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED** ("hereinafter referred to as the "Holding Company" or the "Company").

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, **as required under the Companies Act, 2013 ("the Act")**.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting based on our audit of the Company.

We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

a) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

b) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

c) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us the Holding Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report under Section 143(3) (i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting, does not consider the subsidiary of the Company as it is not incorporated in India.

Our audit report is not qualified in respect of above matter.

For **S. S. Kothari Mehta & Company**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000756N

Sunil Wahal
Partner
Membership No - 087294

Date: July 19, 2019
Place: New Delhi

Consolidated Balance Sheet as at 31 March 2019

₹ in Lakhs

	Note	31 March 2019	31 March 2018
Assets			
(1) Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	4	113,677.50	-
(b) Capital work-in-progress	5	379.33	-
(c) Other intangible assets	6	72.38	-
(d) Financial assets			
(i) Loans	8	1,233.69	-
(e) Other non-current assets	14	1,653.47	-
Total non-current assets		117,016.37	-
(2) Current assets			
(a) Inventories	10	13,446.36	-
(b) Financial assets			
(i) Trade receivables	11	4,561.86	-
(ii) Cash and cash equivalents	12	1,956.59	5.07
(iii) Other bank balances	13	28.54	-
(iv) Loans	8	32.32	-
(v) Derivatives	24	10.39	-
(vi) Other financial assets	15	2,918.69	-
(c) Other current assets	16	5,824.21	-
Total current assets		28,778.96	5.07
Total assets		145,795.33	5.07
Equity and liabilities			
Equity			
(a) Equity share capital	17	-	10.00
(b) Equity share capital suspense	17A	1,226.27	-
(c) Other equity	18	63,323.53	(5.19)
Total equity		64,549.80	4.81
Liabilities			
(1) Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	19	45,966.53	-
(ii) Other financial liabilities	20	1,253.00	-
(b) Provisions	21	798.82	-
(c) Deferred tax liabilities (net)	35	1,205.30	-
(d) Other non-current liabilities	22	4,520.95	-
Total non-current liabilities		53,745.60	-
(2) Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	19	4,541.70	-
(ii) Trade payables	23		
total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		9.81	-
total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		8,156.08	0.25
(iii) Other financial liabilities	20	10,973.37	-
(b) Other current liabilities	25	3,354.35	0.01
(c) Provisions	21	383.03	-
(d) Current tax liabilities (net)	9	90.59	-
Total current liabilities		27,499.93	0.26
Total liabilities		81,245.53	0.26
Total equity and liabilities		145,795.33	5.07
Significant accounting policies	3		
The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements.			

Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March 2019

₹ in Lakhs

	Note	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
I. Revenue from operations	26	59,911.39	-
II. Other income	27	1,269.50	-
III. Total income (I+II)		61,180.89	-
IV. Expenses			
Cost of materials consumed	28	29,806.74	-
Purchase of stock in trade	29	876.24	-
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock in trade	30	(4,210.18)	-
Employees benefits expense	31	8,075.65	-
Finance costs	32	2,463.24	-
Depreciation and amortisation expense	33	5,303.34	-
Other expenses	34	18,427.41	5.19
Total expenses (IV)		59,942.44	5.19
V. Profit before tax (III-IV)		1,238.45	(5.19)
Current tax		(409.41)	-
Deferred tax		2,718.40	-
VI. Tax expense	35	2,218.99	-
VII. Profit for the year (V-VI)		3,457.44	(5.19)
VIII. Other comprehensive income			
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:			
Remeasurements of defined benefit liability/(asset)		34.83	-
Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		(12.17)	-
Net other comprehensive income not to be reclassified subsequently to profit or loss		22.66	-
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:			
Exchange differences in translating financial statements of foreign operations		40.06	-
Net other comprehensive income to be reclassified subsequently to profit or loss		40.06	-
Other comprehensive income for the year (net of tax)		62.72	-
IX. Total comprehensive income for the year (VII+VIII)		3,520.16	(5.19)
X. Earnings per equity share	36		
[Face value of equity share ₹ 1 each (previous year ₹ 1 each)]			
- Basic (₹)		2.82	(0.52)
- Diluted (₹)		2.82	(0.52)
Significant accounting policies	3		
The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements			

Consolidated Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2019

₹ in Lakhs

a) Equity share capital

Particulars	Note	Amount
Balance as at 1 April 2017		-
Issue of equity share capital during the year	17	10.00
Balance as at 31 March 2018		10.00
Cancelled pursuant to scheme of arrangement (See Note 48)	17	(10.00)
Share Suspense account - Allotment of equity shares pursuant to scheme of arrangement (See Note 48)	17A	1,226.27
Balance as at 31 March 2019		**1,226.27**

b) Other equity

Particulars	Note	Reserves and surplus		Items of OCI		Total
		Capital reserve	Retained earnings	Remeasurements of defined benefit liability	Exchange differences on translation	
Balance as at 1 April 2017		-	-	-	-	-
Total comprehensive income for the year ended 31 March 2018						
Profit or loss		-	(5.19)	-	-	(5.19)
Total comprehensive income		-	(5.19)	-	-	(5.19)
Balance as at 31 March 2018		-	(5.19)	-	-	(5.19)
Balance as at 1 April 2018		-	(5.19)	-	-	(5.19)
Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)		59,808.56	-	-	-	59,808.56
Total comprehensive income for the year ended 31 March 2019						
Profit or loss		-	3,457.44	-	-	3,457.44
Other comprehensive income (net of tax)		-	-	22.66	40.06	62.72
Total comprehensive income		-	3,457.44	22.66	40.06	3,520.16
Balance as at 31 March 2019		59,808.56	3,452.25	22.66	40.06	63,323.53
Significant accounting policies	3					
The accompanying notes form an integral part of the consolidated financial statements						

Consolidated Statement of Cash Flows for the year ended 31 March 2019

₹ in Lakhs

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
A. Cash flows from operating activities		
Profit before Tax	1,238.45	(5.19)
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation expense	5,303.34	-
Finance costs	2,463.24	-
Provision for doubtful debts	84.78	-
Loss on sale/discard of property, plant and equipment	6.78	-
Interest income	(69.03)	-
Unrealised foreign exchange fluctuations (net)	(793.02)	-
Government grants - EPCG scheme (refer note 22)	(545.00)	-
	6,453.09	-
Operating cash flows before working capital changes	7,691.54	(5.19)
Working capital adjustments:		
(Increase)/decrease in trade and other receivables	(1,894.24)	-
(Increase)/decrease in inventories	(3,147.88)	-
Increase/(decrease) in trade and other payables	(546.81)	0.26
	(5,588.93)	0.26
Cash generated from operating activities	2,102.61	(4.93)
Income tax paid (net)	(408.82)	-
Net cash from operating activities	1,693.79	(4.93)
B. Cash flows from investing activities		
Acquisition of property, plant and equipment	(10,941.02)	-
Proceeds from sale of property, plant and equipment	7.40	-
Interest received	69.03	-
Net cash used in investing activities	(10,464.59)	-
C. Cash flows from financing activities		
Proceeds from issue of share capital	-	10.00
Proceeds from long term borrowings	13,275.59	-
Proceeds from short term borrowings (net)	1,429.19	-
Repayment of long term borrowings	(1,835.66)	-
Interest paid	(2,650.24)	-
Processing fees paid for long term borrowings	(12.65)	-
Net cash flow from financing activities	10,206.23	10.00
Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents	1,435.43	5.07
Cash and cash equivalents at 1 April 2018 (refer note 12)	5.07	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	516.09	-
Cash and cash equivalents at 31 March 2019 (refer note 12)	1,956.59	5.07

Notes:

i) Consolidated Statement of Cash Flows has been prepared under the indirect method as set out in Ind AS 7 specified under Section 133 of the Companies Act, 2013.

ii) Acquisition of property, plant and equipment includes movements of capital work-in-progress (including capital advances and liability for capital goods) during the year.

iii) Change in liabilities arising from financing activities:

Particulars	As on 31 March 2018	Adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	Cash flows	Fair value changes	As on 31 March 2019
Non-current Borrowings including current maturities (Note 19)	-	43,039.71	11,439.93	(369.96)	54,109.68
Current Borrowings (Note 19)	-	3,112.51	1,429.19	-	4,541.70

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019

1. **Reporting entity**

Greenpanel Industries Limited ('the Holding Company' or the 'Company') is a public company domiciled in India having its registered office situated at Makum Road, P.O. Tinsukia, Assam-786125, India. The Holding Company has been incorporated under the provisions of the Indian Companies Act. The Holding Company is primarily involved in manufacturing of plywood, medium density fibre boards (MDF) and allied products. The Holding Company has an overseas wholly owned subsidiary company Greenpanel Singapore Pte. Limited (formerly known as Greenply Trading Pte. Limited), incorporated in Singapore, is engaged into trading of Medium Density Fibreboards and allied products, collectively referred to as "the Group".

2. **Basis of preparation**

a. **Statement of compliance**

These consolidated financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('Act') and other relevant provisions of the Act.

The consolidated financial statements are authorised for issue by the Board of Directors of the Holding Company at their meeting held on 19 July 2019.

The details of the Company's accounting policies are included in note 3.

b. **Functional and presentation currency**

These consolidated financial statements are presented in Indian Rupees (₹), which is also the Holding Company's functional currency. All amounts have been rounded off to the nearest lakhs, unless otherwise indicated.

c. **Basis of measurement**

The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis, except for the following items:

Items	Measurement
Derivative financial instruments	Fair value
Certain financial assets and financial liabilities	Fair value
Net defined benefit (asset) / liability	Present value of defined benefit obligations

d. **Use of estimates and judgements**

In preparing these consolidated financial statements, management has made judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Management believes that the estimates used in the preparation of the consolidated financial statements are prudent and reasonable. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised prospectively.

Judgements

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements is included in note 35 - lease classification.

Assumptions and estimation uncertainties

Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a material adjustment in the consolidated financial statements for the every period ended is included in the following notes:

- Note 4 – useful life and residual value of property, plant and equipment;
- Note 31 – measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions;
- Note 35 – recognition of deferred tax assets;
- Note 37 – recognition and measurement of provisions and contingencies: key assumptions about the likelihood and magnitude of an outflow of resources;
- Note 42 – impairment of financial assets: key assumptions used in estimating recoverable cash flows.

e. **Measurement of fair values**

A number of the Group's accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, for both financial and non-financial assets and liabilities.

continued on next page...

epaper.jansatta.com

...continued from previous page

The Group has an established control framework with respect to the measurement of fair values. The management has overall responsibility for overseeing all significant fair value measurements and it regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then the management assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that these valuations meet the requirements of Ind AS, including the level in the fair value hierarchy in which the valuations should be classified.

Significant valuation issues are reported to the Holding Company's audit committee.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques as follows:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).

- Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses observable market data as far as possible. If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability fall into different levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

The Group recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period during which the change has occurred.

Further information about the assumptions made in measuring fair values is included in note 41.

f. Basis of consolidation

(i) Subsidiaries

These Consolidated financial statements are prepared on the following basis in accordance with Ind AS on 'Consolidated Financial Statements' (Ind AS - 110), specified under Section 133 of the Companies Act, 2013.

Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. The financial statements of subsidiary are included in the Consolidated financial statements from the date on which control commences until the date on which control ceases. Subsidiaries considered in the Consolidated financial statements are:

Name of the Company	Country of Incorporation	Percentage of Holding	
		Current year	Previous year
Greenpanel Singapore Pte. Limited	Singapore	100%	Nil

(ii) Loss of control

When the Group losses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and other components of equity. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value at the date the control is lost. Any resulting gain or loss is recognised in consolidated statement of profit or loss.

(iii) Transactions eliminated on consolidation

The financial statements of the Holding Company and its subsidiaries used in the consolidation procedures are drawn upto the same reporting date i.e 31 March 2019.

The financial statements of the Holding Company and its subsidiary companies are combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses.

Intra-group balances and transactions, and any unrealised income and expenses arising from intragroup transactions, are eliminated. Unrealised gains arising from transactions with subsidiaries are eliminated against the investment to the extent of the Group's interest in the investee. Unrealised losses are eliminated in the same way as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.

3. Significant accounting policies

a. Current and non-current classification

All assets and liabilities are classified as current or non-current as per the Group's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Act.

Assets

An asset is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

(i) it is expected to be realised in, or is intended for sale or consumption in the Group's normal operating cycle;

(ii) it is held primarily for the purpose of being traded;

(iii) it is expected to be realised within 12 months after the reporting date; or

(iv) it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date.

Current assets include current portion of non-current financial assets.

All other assets are classified as non-current.

Liabilities

A liability is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

(i) it is expected to be settled in the Group's normal operating cycle;

(ii) it is held primarily for the purpose of being traded;

(iii) it is due to be settled within 12 months after the reporting date; or

(iv) the Company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.

Current liabilities include current portion of non-current financial liabilities. All other liabilities are classified as non-current. Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

Operating cycle

For the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities, the Group has ascertained its normal operating cycle as twelve months. This is based on the nature of business and the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents.

b. (i) Foreign currency transactions

Transactions in foreign currencies are translated into the respective functional currency of the Group at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the functional currency at the exchange rate at the reporting date. Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair value in a foreign currency are translated into the functional currency at the exchange rate when the fair value was determined. Non-monetary assets and liabilities that are measured based on historical cost in a foreign currency are translated at the exchange rate at the date of the transaction.

Exchange differences are recognised in the Consolidated Statement of Profit and Loss in the period in which they arise, except exchange differences on long term foreign currency monetary items accounted for in accordance with exemption availed by the Company under Ind AS 101. The Group has exercised the option available to it under Para 46A of the Companies (Accounting Standards) (Second Amendment) Rules, 2011 in respect of accounting for fluctuations in foreign exchange relating to "Long Term Foreign Currency Monetary Items". On transition to Ind AS, aforesaid option is not available for loans availed after 1st April 2016.

(ii) Foreign operations

The assets and liabilities of foreign operations (subsidiaries) like fair value adjustments arising on acquisition, are translated into INR, the functional currency of the Group, at the exchange rates at the reporting date. The income and expenses of foreign operations are translated into INR at an average rate. The Group has elected not to apply Ind AS 103-Business Combinations retrospectively to past business combinations that occurred before the transition date of 1 April 2015. Consequently, the Group has kept the same classification for the past business combinations as in its previous GAAP financial statements. When a foreign operation is disposed off in its entirety or partially such that control, significant influence or joint control is lost, the cumulative amount of exchange differences related to that foreign operation recognized in Other Comprehensive Income (OCI) is reclassified to profit or loss as part of the gain or loss on disposal. If the Group disposes of part of its interest in a subsidiary but retains control, then the relevant proportion of the cumulative amount is re-allocated to Non-controlling Interest (NCI).

c. Financial instruments

(i) Recognition and initial measurement

Trade Receivables are initially recognised when they are originated. All financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Trade receivables are initially measured at transaction price. A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus, for an item not at fair value through profit and loss (FVTPL), transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.

(ii) Classification and subsequent measurement

Financial assets

On initial recognition, a financial asset is classified and measured at :

Amortised cost; or

- Fair value through Profit or Loss (FVTPL) or

- Fair value through Other Comprehensive Income (FVTOCI).

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except if and in the period the Group changes its business model for managing financial assets.

Financial assets at amortised cost

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

(a) the asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows; and

(b) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

The effective interest rate (EIR) method of amortisation is included in finance income in the Consolidated Statement of Profit and Loss. This category generally applies to long-term deposits and long-term trade receivables.

Financial assets at FVTPL

All financial assets which are not classified and measured at amortised cost or Fair value through other comprehensive income (FVOCI) as described above are measured at FVTPL. On initial recognition, the Group may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be measured at amortised cost or at FVOCI as at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise.

Financial assets: Assessment whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as a profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition.

In making the assessment, the Group considers:

- contingent events that would change the amount or timing of cash flows;

- terms that may adjust the contractual coupon rate, including variable interest rate features;

- prepayment and extension features; and

- terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse features).

A prepayment feature is consistent with the solely payments of principal and interest criterion if the prepayment amount substantially represents unpaid amounts of principal and interest on the principal amount outstanding, which may include reasonable additional compensation for early termination of the contract. Additionally, for a financial asset acquired at a significant discount or premium to its contractual par amount, a feature that permits or requires prepayment at an amount that substantially represents the contractual par amount plus accrued (but unpaid) contractual interest (which may also include reasonable additional compensation for early termination) is treated as consistent with this criterion if the fair value of the prepayment feature is insignificant at initial recognition.

Financial assets: Subsequent measurement

Financial assets at FVTPL: These assets are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, including any interest or dividend income, are recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss.

Financial assets at amortised cost: These assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. The amortised cost is reduced by impairment losses, if any. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment are recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss. Any gain or loss on derecognition is recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss.

Investments in subsidiaries are carried at cost in standalone financial statements.

Financial liabilities: Classification, subsequent measurement and gains and losses

Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or FVTPL.

Financial liabilities through FVTPL

A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, or it is a derivative or it is designated as such on initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and losses, including any interest expense, are recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Financial liabilities at amortised cost

Other financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss. Any gain or loss on derecognition is also recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss. Interest bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. For trade and other payables maturing within one year from the balance sheet date, the carrying amounts approximates fair value due to the short maturity of these instruments.

Financial guarantee liabilities

Financial guarantees issued by the Group are those contracts that require payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value net off transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

(iii) Derecognition

Financial assets

The Group derecognises a financial asset:

- when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or

- it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of ownership and does not retain control of the financial asset.

Financial liabilities

The Group derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, or expire. The Group also derecognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows under the modified terms are substantially different. In this case, a new financial liability based on the modified terms is recognised at fair value. The difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the new financial liability with modified terms is recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss.

(iv) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the balance sheet when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

(v) Derivative financial instruments

The Group holds derivative financial instruments, such as foreign currency forward contracts, interest rate swaps, to hedge its foreign currency and interest rate risk exposures. Derivatives are initially measured at fair value. Subsequent to initial recognition, derivatives are measured at fair value, and changes therein are recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

d. Property, plant and equipment

(i) Recognition and measurement

Items of property, plant and equipment are measured at cost, which includes capitalised borrowing costs, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

The cost of an item of property, plant and equipment comprises its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates, any directly attributable cost of bringing the item to its working condition for its intended use and estimated costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

The cost of a self-constructed item of property, plant and equipment comprises the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the item to working condition for its intended use, and estimated costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

Borrowing costs directly attributable to the acquisition or construction of those qualifying property, plant and equipment, which necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use, are capitalised. If significant parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, then they are accounted for as separate components of property, plant and equipment.

A fixed asset is eliminated from the financial statements on disposal or when no further benefit is expected from its use. Any gain or loss on disposal of an item of property, plant and equipment is recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss. Property, plant and equipment under construction are disclosed as Capital work-in-progress. Assets retired from active use and held for disposal are stated at the lower of their net book value and fair value less cost to sell and shown under "Current assets".

Foreign currency exchange differences on loans used for purchases of property, plant and equipment prior to 1 April 2016, are continued to be capitalised as per policy stated in note 3(b) above.

(ii) Subsequent expenditure

Subsequent expenditure is capitalised only if it is probable that the future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Ongoing repairs and maintenance are expensed as incurred.

(iii) Depreciation and amortisation

Depreciation and amortisation for the year is recognised in the Consolidated Statement of Profit and Loss. Depreciation is calculated on cost of items of property, plant and equipment less their estimated residual values over their estimated useful lives using the straight line method over the useful lives of assets, in the manner specified in Part C of Schedule II of the Act.

Assets acquired under finance lease are depreciated over the shorter of the lease term and their useful life unless it is reasonably certain that the Group will obtain ownership by the end of the lease term. Freehold land is not depreciated. Leasehold land (includes development cost) is amortised on a straight line basis over the period of respective lease, except leasehold land acquired on perpetual lease. Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year end and adjusted as appropriate.

The estimated useful lives of items of property, plant and equipment are as follows:

Asset	Useful life as per Schedule II
Buildings	3 to 60 years
Plant and equipments	15 to 25 years
Furniture and fixtures	10 years
Vehicles	8 to 10 years
Office equipments	3 to 15 years

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate. Depreciation on additions (disposal/deposals) is provided on a pro-rata basis i.e. from (upto) the date on which asset is ready for use (discarded/disposed off).

e. Intangible assets

(i) Recognition and measurement

Intangible assets are initially measured at cost and subsequently measured at cost less accumulated amortisation and any accumulated impairment losses.

(ii) Subsequent expenditure

Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure, including expenditure on internally generated goodwill and brands, is recognised in profit or loss as incurred.

(iii) Amortisation

Amortisation is calculated to write off the cost of intangible assets less their estimated residual values over their estimated useful lives using the straight-line method, and is included in depreciation and amortisation in Consolidated Statement of Profit and Loss.

The estimated useful lives are as follows:

- Computer software 5 years

Amortisation method, useful lives and residual values are reviewed at the end of each financial year and adjusted if appropriate.

f. Inventories

Inventories which comprise raw materials, work-in-progress, finished goods, packing materials, stores and spares are measured at the lower of cost and net realisable value.

The cost of inventories is ascertained on the 'weighted average' basis, and includes expenditure incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing them to their present location and condition. Excise duty was included in the valuation of closing inventory of finished goods, till the implementation of Goods and Services Tax.

Raw materials, components and other supplies held for use in the production of finished products are not written down below cost except in cases where material prices have declined and it is estimated that the cost of the finished products will exceed their net realisable value. The comparison of cost and net realisable value is made on an item-by-item basis.

The net realisable value of work-in-progress is determined with reference to the selling prices of related finished products.

In the case of manufactured inventories and work-in-progress, cost includes an appropriate share of fixed production overheads based on normal operating capacity.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Assessment of net realisable value is made at each subsequent reporting date. When the circumstances that previously caused inventories to be written down below cost no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realisable value because of changed economic circumstances, the amount of the write-down is reversed.

g. Impairment

(i) Impairment of financial instruments: financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. A financial asset is 'credit- impaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

The Group recognises loss allowances using the expected credit loss (ECL) model for the financial assets which are not fair valued through profit or loss. Loss allowance for trade receivable with no significant financing component is measured at an amount equal to lifetime of the ECL. For all other financial assets, expected credit losses are measured unless there has been a significant increase in credit risk from initial recognition in which case those are measured at lifetime of the ECL. The amount of expected credit losses (or reversal) that is required to adjust the loss allowance at the reporting date to the amount that is required to be recognised is recognised as an impairment gain or loss in Consolidated Statement of Profit and Loss.

In case of trade receivables, the Group follows the simplified approach permitted by Ind AS 109 Financial Instruments for recognition of impairment loss allowance. The application of simplified approach does not require the Group to track changes in credit risk. The Group calculates the expected credit losses on trade receivables using a provision matrix on the basis of its historical credit loss experience.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating expected credit losses, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including subsequent information. Loss allowances for financial assets measured at amortised cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.

The gross carrying amount of a financial asset is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery. This is generally the case when the Group determines that the debtor does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group's procedures for recovery of amounts due.

(ii) Impairment of non-financial assets

The Group's non-financial assets, other than inventories and deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated.

For impairment testing, assets that do not generate independent cash inflows are grouped together into cash-generating units (CGUs). Each CGU represents the smallest group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows of other assets or CGUs. The recoverable amount of a CGU (or an individual asset) is the higher of its value in use and its fair value less costs to sell. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the CGU (or the asset).

The Group's corporate assets (e.g. corporate office for providing support to various CGUs) do not generate independent cash inflows. To determine impairment of a corporate asset, recoverable amount is determined for the CGUs to which the corporate asset belongs. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its estimated recoverable amount. Impairment losses are recognised in the Consolidated Statement of Profit and Loss. Impairment loss recognised in respect of a CGU is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the other assets of the CGU (or group of CGUs) on a pro rata basis.

An impairment loss in respect of other assets for which impairment loss has been recognised in prior periods, the Group reviews at each reporting date whether there is any indication that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. Such a reversal is made only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment at least annually, and whenever there is an indication that the asset may be impaired.

h. Non-current assets or disposal group held for sale

Non-current assets, or disposal groups comprising assets and liabilities are classified as held for sale if it is highly probable that they will be recovered primarily through sale rather than through continuing use.

Such assets, or disposal groups, are generally measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell. Any resultant loss on a disposal group is allocated first to goodwill, and then to remaining assets and liabilities on pro rata basis, except that no loss is allocated to inventories, financial assets, deferred tax assets, employee benefit assets, and biological assets, which continue to be measured in accordance with the Group's other accounting policies. Losses on initial classification as held for sale and subsequent gains and losses on re-measurement are recognised in profit or loss.

Once classified as held-for-sale, intangible assets and property, plant and equipment are no longer amortised or depreciated.

i. Employee benefits

(i) Short-term employee benefits

Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the related service is provided. A liability is recognised for the amount expected to be paid e.g. under short-term cash bonus, if the Group has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee, and the amount of obligation can be estimated reliably.

(ii) Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions into Employees' Provident Fund established under The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. The Group makes specified monthly contributions under employee provident fund to Government administered provident fund scheme. Obligations for contributions to defined contribution plans are recognised as an employee benefit expense in Consolidated Statement of Profit and Loss in the periods during which the related services are rendered by employees. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in future payments is available.

(iii) Defined benefit plans

A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan. The Group's gratuity benefit scheme is a defined benefit plan. The Group's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods, discounting that amount and deducting the fair value of any plan assets. The calculation of defined benefit obligation is performed quarterly by an independent qualified actuary using the projected unit credit method. When the calculation results in a potential asset for the Group, the recognised asset is limited to the present value of economic benefits available in the form of any future refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan ('the asset ceiling'). In order to calculate the present value of economic benefits, consideration is given to any minimum funding requirements. The Group recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plan immediately in the Consolidated Statement of Profit and Loss.

Remeasurements of the net defined benefit liability, which comprise actuarial gains and losses, the return on plan assets (excluding interest) and the effect of the asset ceiling (if any, excluding interest), are recognised in Other comprehensive income (OCI). The Group determines the net interest expense (income) on the net defined benefit liability (asset) for the period by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at the beginning of the annual period to the then-net defined benefit liability (asset), taking into account any changes in the net defined benefit liability (asset) during the period as a result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other expenses related to defined benefit plans are recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service ('past service cost' or 'past service gain') or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in Consolidated Statement of Profit and Loss. The Group recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement occurs.

(iv) Other long-term employee benefits

The Group's net obligation in respect of long-term employee benefits other than post-employment benefits is the amount of future benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods; that benefit is discounted to determine its present value. Such benefits are in form of leave encashment that accrue to employees in return of their service. The calculation of other long term employee benefits is performed quarterly by an independent qualified actuary using the projected unit credit method. Remeasurements of the net defined benefit liability, which comprise actuarial gains and losses, the return on plan assets (excluding interest) and the effect of the asset ceiling (if any, excluding interest), are recognised in Other Comprehensive Income (OCI). Net interest expense and other expenses related to defined benefit plans are recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss.

(v) Termination benefits

Termination benefits are expensed at the earlier of when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits and when the Group recognises costs for a restructuring. If benefits are not expected to be settled wholly within 12 months of the reporting date, then they are discounted.

j. Provisions (other than for employee benefits)

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

Provisions are determined by discounting the expected future cash flows (representing the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the balance sheet date) at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability.

The unwinding of the discount is recognised as finance cost. Expected future operating losses are not provided for.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

k. Revenue

(i) Sale of goods

Effective 1 April 2018, the Group adopted Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers". The effect on adoption of Ind AS 115 was insignificant. The Group manufactures and sells in plywood and allied products, medium density fibreboard and allied products. Sales are recognised when control of the products has transferred, being when the products are delivered to the dealer, the dealer has full discretion over the channel and price to sell the products, and there is no unfulfilled obligation that could affect the dealer's acceptance of the products. Delivery occurs when the products have been shipped to the specific location, the risk of obsolescence and loss have been transferred to the dealer, and either the dealer has accepted the products in accordance with the sales contract, the acceptance provisions have lapsed, or the Group has objective evidence that all criteria for acceptance have been satisfied.

The products are often sold with retrospective volume discounts based on aggregate sales over a 12 months period, cash discount on payment within specified period, promotional gift on achieving specific targets, quality claims if claims made in the specified period and other promotional expenses such as tours and travel packages to dealer, etc. Revenue from these sales is recognised based on the price specified in the contract, net of the estimated volume discounts, cash discounts, quality claims and promotional expenses. Accumulated experience is used to estimate and provide for the discounts/claims/provisions, using the expected value method, and revenue is only recognised to the extent that it is highly probable that a significant reversal will not occur. A refund liability (netted off with trade receivables) is recognised for expected volume discount payables, expected cash discount payables and expected quality claims to dealers in relation to sale made until the end of reporting period. Provision (included in other current liabilities) is recognised for expected sales promotional expenses against the sales made until the end of reporting period. No element of financing is deemed present as the sales are made with a credit term of 30-90 days, which is consistent with market practice.

(ii) Rental income

Rental income is recognised as part of other income on a straight-line basis over the term of the lease except where the rentals are structured to increase in line with expected general inflation.

(iii) Insurance claim

Insurance claim due to uncertainty in realisation are accounted for on acceptance basis.

l. Government Grants

Grants from Government are recognised at their fair value where there is reasonable assurance that the grant will be received and the Company will comply with the conditions attached thereto.

Government grants related to revenue are recognised in the Consolidated Statement of Profit and Loss on a systematic and rational basis in the periods in which the Company recognises the related costs for which the grants are intended to compensate and are netted off with the related expenditure. If not related to a specific expenditure, it is taken as income and presented under "Other Income".

Government grants relating to property, plant and equipment are treated as deferred income and are credited to the statement of profit and loss on a systematic basis over the expected useful life of the related asset to match them with the costs for which they are intended to compensate and presented within other income.

m. Leases

(i) Determining whether an arrangement contains a lease

At inception of an arrangement, it is determined whether the arrangement is or contains a lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

At inception or on reassessment of the arrangement that contains a lease, the payments and other consideration required by such an arrangement are separated into those for the lease and those for other elements on the basis of their relative fair values. If it is concluded for a finance lease that it is impracticable to separate the payments reliably, then an asset and a liability are recognised at an amount equal to the fair value of the underlying asset. The liability is reduced as payments are made and an imputed finance cost on the liability is recognised using the incremental borrowing rate.

continued on next page...

...continued from previous page

(ii) Assets held under leases

Leases of property, plant and equipment that transfer to the Group substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. The leased assets are measured initially at an amount equal to the lower of their fair value and the present value of the minimum lease payments. Subsequent to initial recognition, the assets are accounted for in accordance with the accounting policy applicable to similar owned assets.

Assets held under leases that do not transfer to the Group substantially all the risks and rewards of ownership (i.e. operating leases) are not recognised in the Group's Balance Sheet.

(iii) Lease payments

Payments made under operating leases are generally recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the term of the lease unless such payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increases.

Lease incentives received are recognised as an integral part of the total lease expense over the term of the lease. Minimum lease payments made under finance leases are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability.

n. Recognition of dividend income, interest income or expense

Dividend income is recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss on the date on which the Group's right to receive payment is established.

Interest income or expense is recognised using the effective interest method. The 'effective interest rate' is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument to: the gross carrying amount of the financial asset; or- the amortised cost of the financial liability.

In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortised cost of the liability. However, for financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the financial asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts to the gross basis.

o. Income tax

Income tax expense comprises of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognised in the Consolidated Statement of Profit and Loss except to the extent that it relates to a business combination, or items recognised directly in equity or in OCI.

(i) Current tax

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years. The amount of current tax reflects the best estimate of the tax amount expected to be paid or received after considering the uncertainty, if any, related to income taxes. It is measured using tax rates (and tax laws) enacted or substantively enacted by the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are off set only if there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts, and it is intended to realise the asset and settle the liability on a net basis or simultaneously.

(ii) Deferred tax

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the corresponding amounts used for taxation purposes (tax basis). Deferred tax is also recognised in respect of carried forward tax losses and tax credits. Deferred tax is not recognised for:

- temporary differences arising on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction;

- temporary differences related to investments in subsidiaries, associates and joint arrangements to the extent that the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that they will not reverse in the foreseeable future; and

- taxable temporary differences arising on the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. The existence of unused tax losses is strong evidence that future taxable profit may not be available. Therefore, in case of a history of recent losses, the Group recognises a deferred tax asset only to the extent that it has sufficient taxable temporary differences or there is convincing other evidence that sufficient taxable profit will be available against which such deferred tax asset can be realised.

Deferred tax assets – unrecognised or recognised, are reviewed at each reporting date and are recognised/ reduced to the extent that it is probable/ no longer probable respectively that the related tax benefit will be realised.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to off set current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.

In case of tax payable as Minimum Alternative Tax (MAT) under the provisions of the Income-tax Act, 1961, the credit available under the Act in respect of MAT paid is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Group will pay normal income tax during the period for which the MAT credit can be carried forward for set-off against the normal tax liability. MAT credit recognised as an asset is reviewed at each balance sheet date and written down to the extent the aforesaid convincing evidence no longer exists.

p. Borrowing costs

Borrowing costs are interest and other costs (including exchange differences relating to foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs) incurred in connection with the borrowing of funds. Borrowing costs directly attributable to acquisition or construction of an asset which necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use are capitalised as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

Where there is an unrealised exchange loss which is treated as an adjustment to interest and subsequently there is a realised or unrealised gain in respect of the settlement or translation of the same borrowing, the gain to the extent of the loss previously recognised as an adjustment is recognised as an adjustment to interest.

q. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognised as a deduction from equity, net of any tax effects.

r. Dividends

Final dividends on shares are recorded as a liability on the date of approval by the shareholders and interim dividends are recorded as a liability on the date of declaration by the Board of Directors of the Group.

s. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash and cash-on-deposit with banks. The Group considers all highly liquid investments with a remaining maturity at the date of purchase of three months or less and that are readily convertible to known amounts of cash to be cash equivalents.

t. Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit for the period is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Group are segregated.

u. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

v. Operating segment

An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Group's other components, and for which discrete financial information is available. All operating segments' operating results are reviewed regularly by the Chief Operating Decision Maker (CODM) to make decisions about resources to be allocated to the segments and assess their performance. The CODM consists of the Executive Chairman, Managing Director & CEO and Chief Financial Officer.

The Group has currently two reportable segments namely:

i) Plywood and allied products, and

ii) Medium density fibreboards and allied products

w. Determination of fair values

Fair values have been determined for measurement and disclosure purposes based on the following methods. Where applicable, further information about the assumptions made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.

(i) Non-derivative financial assets

Non-derivative financial assets are initially measured at fair value. If the financial asset is not subsequently accounted for at fair value through profit or loss, then the initial measurement includes directly attributable transaction costs. These are measured at amortised cost or at FVTPL. Investments in quoted equity instruments are measured at FVTPL.

(ii) Trade and other receivables

The fair values of trade and other receivables are estimated at the present value of future cash flows, discounted at the market rate of interest at the measurement date. Short-term receivables with no stated interest rate are measured at the original invoice amount if the effect of discounting is immaterial. Fair value is determined at initial recognition and, for disclosure purposes, at each annual reporting date.

(iii) Derivative financial liabilities

The Group uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts and interest rate swaps to hedge its foreign currency risks and interest rate risks. Such derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value.

(iv) Other non-derivative financial liabilities

Other non-derivative financial liabilities are measured at fair value, at initial recognition and for disclosure purposes, at each annual reporting date. Fair value is calculated based on the present value of future principal and interest cash flows, discounted at the market rate of interest at the measurement date.

3A. Standards issued but not yet effective

Ind AS 116, Leases

The Holding Company is required to adopt Ind AS 116, Leases from 1 April 2019. Ind AS 116 introduces a single, on-balance sheet lease accounting model for lessees. A lessee recognises a right-of-use asset representing its right to use the underlying asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items. Lessor accounting remains similar to the current standard – i.e. lessors continue to classify leases as finance or operating leases. It replaces existing leases guidance, Ind AS 17, Leases.

The Holding Company has completed an initial assessment of the potential impact on its financial statements but has not yet completed its detailed assessment. The quantitative impact of adoption of Ind AS 116 on the financial statements in the period of initial application is not reasonably estimable as at present.

The Holding Company will recognise new assets and liabilities for its operating leases of land, vehicles and office premises facilities (see Note 38). The nature of expenses related to those leases will now change because the Holding Company will recognise a depreciation charge for right-of-use assets and interest expense on lease liabilities.

Previously, the Holding Company recognised operating lease expense on a straight-line basis over the term of the lease, and recognised assets and liabilities only to the extent that there was a timing difference between actual lease payments and the expense recognised.

On preliminary assessment, for leases other than short-term leases and leases of low value assets, the Holding Company will recognise a right-of-use asset and a corresponding lease liability with the cumulative effect of applying the standard by adjusting retained earnings net of taxes. There will be consequent reclassification in the cash flow categories in the statement of cash flows.

Transition

The Holding Company plans to apply Ind AS 116 initially on 1 April 2019, using the modified retrospective approach. Therefore, the cumulative effect of adopting Ind AS 116 will be recognised as an adjustment to the opening balance of retained earnings at 1 April 2019, with no restatement of comparative information.

The Holding Company plans to apply the practical expedient to grandfather the definition of a lease on transition. This means that it will apply Ind AS 116 to all contracts entered into before 1 April 2019 and identified as leases in accordance with Ind AS 17.

4. Property, plant and equipment

See accounting policy in note 3(d) and (g)

(a) Reconciliation of carrying amount

	Freehold land	Buildings	Plant and equipment	Furniture and fixtures	Vehicles	Office equipment	Total
Cost (Gross carrying amount)							
Balance at 1 April 2017	-	-	-	-	-	-	-
Additions	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/ discard	-	-	-	-	-	-	-
Exchange differences on translation of foreign operations	-	-	-	-	-	-	-
Balance at 31 March 2018	-	-	-	-	-	-	-
Balance at 1 April 2018	-	-	-	-	-	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	4,792.75	6,078.97	41,536.25	1,358.31	4,307.00	944.19	59,017.47
Additions	741.14	6,213.75	72,422.59	1,156.74	322.54	330.88	81,187.65
Disposals/ discard	-	-	(32.39)	-	(14.40)	(17.95)	(64.65)
Exchange differences on translation of foreign operations	-	-	-	12.30	144.83	2.52	159.65
Balance at 31 March 2019	5,533.89	12,292.72	113,926.45	2,527.35	4,759.97	1,259.64	140,300.02
Accumulated depreciation							
Balance at 1 April 2017	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation for the year	-	-	-	-	-	-	-
Adjustments/ disposals	-	-	-	-	-	-	-
Exchange differences on translation of foreign operations	-	-	-	-	-	-	-
Balance at 31 March 2018	-	-	-	-	-	-	-
Balance at 1 April 2018	-	-	-	-	-	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	-	1,868.65	17,465.48	529.78	1,008.59	517.90	21,390.40
Depreciation for the year	-	390.82	4,026.25	203.51	476.41	161.60	5,258.59
Adjustments/ disposals	-	(0.00)	(21.79)	-	(12.22)	(14.36)	(48.47)
Exchange differences on translation of foreign operations	-	-	-	2.41	19.17	0.42	22.00
Balance at 31 March 2019	-	2,259.47	21,469.94	735.70	1,491.85	665.56	26,622.52
Carrying amounts (net)							
At 31 March 2018	-	-	-	-	-	-	-
At 31 March 2019	5,533.89	10,033.25	92,456.51	1,791.65	3,268.12	594.08	113,677.50

(b) Security

As at 31 March 2019, properties with a carrying amount of ₹ **1,11,458.48** lakhs (31 March 2018: ₹ Nil) are subject to first charge to secured borrowings (see Note 19).

5. Capital work-in-progress

See accounting policy in note 3(d) and (g)

	31 March 2019	31 March 2018
At the beginning of the year	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	73,348.65	
Additions during the year	2,486.86	-
Capitalised during the year	75,376.18	-
At the end of the year	379.33	-
Capital work-in-progress includes:		
Expenditure incurred during construction period on new manufacturing facility of the group		
At the beginning of the year	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	7,050.14	-
Additions during the year:		
Finance costs	517.26	-
Employees benefits expense	281.78	-
Legal and professional fees	230.22	-
Power & fuel expense	821.30	-
Miscellaneous expenses	187.91	-
	2,044.47	-
Less: Capitalised during the year	9,100.61	-
At the end of the year	-	-

Notes:

(a) At 31 March 2019, general borrowing costs capitalised during the year amounted to ₹ **114.03** lakhs (31 March 2018: ₹ Nil), with a capitalisation rate of **9.00%**.

(b) As at 31 March 2019, properties under capital work-in-progress with a carrying amount of ₹ **379.33** lakhs (31 March 2018: ₹ Nil) are subject to first charge to secured borrowings (see Note 19).

6. Other intangible assets

See accounting policy in note 3(e) and (g)

(a) Reconciliation of carrying amount

	Computer software	Technical knowhow	Total
Cost (Gross carrying amount)			
Balance at 1 April 2017	-	-	-
Additions	-	-	-
Disposals/write-off	-	-	-
Balance at 31 March 2018	-	-	-
Balance at 1 April 2018	-	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	222.01	-	222.01
Additions	-	-	-
Disposals/write-off	-	-	-
Balance at 31 March 2019	222.01	-	222.01
Accumulated amortisation			
Balance at 1 April 2017	-	-	-
Amortisation for the year	-	-	-
Adjustments/ disposals	-	-	-
Balance at 31 March 2018	-	-	-
Balance at 1 April 2018	-	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	104.88	-	104.88
Amortisation for the year	44.75	-	44.75
Adjustments/ disposals	-	-	-
Balance at 31 March 2019	149.63	-	149.63
Carrying amounts (net)			
At 31 March 2018	-	-	-
At 31 March 2019	72.38	-	72.38

8. Loans

(Unsecured, considered good)

	31 March 2019	31 March 2018
Non-current		
Security deposits	1,201.69	-
Loan to employees	32.00	-
	1,233.69	-
Current		
Loan to employees	32.32	-
	1,266.01	-

9. Current tax liabilities

See accounting policy in note 3(o)

	31 March 2019	31 March 2018
Income tax liabilities	90.59	-

10. Inventories

(Valued at the lower of cost and net realisable value)

See accounting policy in note 3(f)

	31 March 2019	31 March 2018
Raw materials	3,695.02	-
(including in transit ₹ **376.82** lakhs (31 March 2018 ₹ Nil))		
Work-in-progress	2,423.13	-
Finished goods	5,418.79	-
(including in transit ₹ **1,336.32** lakhs (31 March 2018 ₹ Nil))		
Stores and spares	1,909.42	-
	13,446.36	-

Total carrying amount of inventories is pledged as securities against borrowings, refer note 19.

The write-down of inventories to net realisable value during the year amounting to ₹ **Nil** (31 March 2018: ₹ Nil). These are recognised as expenses during the respective period and included in changes in inventories of stock in trade.

11. Trade receivables

	31 March 2019	31 March 2018
Current		
Unsecured		
- Considered good	4,561.86	-
- Credit Impaired	326.38	-
	4,888.24	-
Less: Loss for allowances		
- Credit Impaired	326.38	-
Net trade receivables	4,561.86	-
Of the above		
Trade receivables from related parties	1,211.27	-

Notes:

(a) No trade or other receivables are due from directors or other officers of the group either severally or jointly with any other person. Nor any trade or other receivables are due from firms or private companies respectively in which any director is a partner, a director or a member.

(b) Information about the group's exposure to credit and currency risks, and loss allowances related to trade receivables are disclosed in note 42. Provision as disclosed above is on case to case basis as identified by the management.

(c) For terms and conditions of trade receivables owing from related parties, see note 39.(d) For receivables secured against borrowings, see note 19.

12. Cash and cash equivalents

See accounting policy in note 3(s)

	31 March 2019	31 March 2018
Cash on hand	19.97	0.23
Cheques in hand	-	-
Balances with banks		
- On current accounts	936.62	4.84
- On deposit accounts (with original maturities up to 3 months)	1,000.00	-
	1,956.59	5.07

13. Other bank balances

	31 March 2019	31 March 2018
Bank deposits due to mature after 3 months of original maturities but within 12 months of the reporting date*	28.54	-

*Pledged/lodged with various government authorities as security

14. Other non-current assets

	31 March 2019	31 March 2018
(Unsecured, considered good)		
Capital advances	207.98	-
Others		
Unmatured finance charges	136.24	-
Leasehold land prepayments	1,225.51	-
Deposits against demand under appeal and/or under dispute	14.70	-
Amount due from sales tax authorities	69.04	-
	1,653.47	-

15. Other financial assets

	31 March 2019	31 March 2018
Current		
Government grants receivable	2,892.73	-
Export incentive receivable	18.95	-
Insurance claim receivable	3.79	-
Interest Receivable	3.22	-
	2,918.69	-

16. Other current assets

	31 March 2019	31 March 2018
(Unsecured, considered good)		
To parties other than related parties		
Advances for supplies	286.19	-
Advances to employees	15.65	-
Others		
Prepaid expenses	672.61	-
Unmatured finance charges	77.26	-
Leasehold land prepayments	16.31	-
Balances with goods and service tax authorities	4,754.19	-
Income tax refundable	-	-
	5,824.21	

17. Equity share capital

See accounting policy in note 3(q)

	31 March 2019	31 March 2018
Authorised		
150,000,000 (31 March 2018: 10,000,000) equity shares of ₹ 1 each*	1,500.00	100.00
* Increase in authorised capital is pursuant to scheme of arrangement		
Issued, subscribed and fully paid-up		
Nil (31 March 2018: 1,000,000) equity shares of ₹ 1 each	-	10.00

(a) Reconciliation of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting year

	31 March 2019		31 March 2018	
	Number	Amount	Number	Amount
At the commencement of the year	1,000,000	10.00	-	-
Add: Issued during the year	-	-	1,000,000	10.00
Less: Cancelled pursuant to scheme of arrangement (See Note 48)	1,000,000	10.00	-	-
At the end of the year	-	-	1,000,000	10.00

(b) Rights, preferences and restrictions attached to equity shares

The Holding Company has a single class of equity shares with par value of ₹ 1 per share. Accordingly, all equity shares rank equally with regard to dividends and share in the Holding Company's residual assets on winding up. The equity shareholders are entitled to receive dividend as declared by the Holding Company from time to time. The voting rights of an equity shareholder on a poll (not on show of hands) are in proportion to its share of the paid-up equity capital of the Holding Company. Voting rights cannot be exercised in respect of shares on which any call or other sums presently payable has not been paid. Failure to pay any amount called up on shares may lead to their forfeiture. On winding up of the Holding Company, the holders of equity shares will be entitled to receive the residual assets of the Holding Company, remaining after distribution of all preferential amounts, in proportion to the number of equity shares held.

(c) Particulars of shareholders holding more than 5% shares of fully paid up equity shares

	31 March 2019		31 March 2018	
Equity shares of ₹ 1 each	Number	%	Number	%
Greenply Industries Limited	-	-	1,000,000	100.00%

(d) The Holding Company has not reserved any shares for issue under options and contracts/commitments for the sale of shares/ disinvestment.

(e) The Holding Company for the period of five years immediately preceding the reporting date has not:

(i) Allotted any class of shares as fully paid pursuant to contract(s) without payment being received in cash.

(ii) Allotted fully paid up shares by way of bonus shares.

(iii) Bought back any class of shares.

17A. Equity share capital suspense

Equity share capital suspense	1,226.27	-

Note: 12,26,27,395 (31 March 2018: Nil) equity shares of Rs. 1 each, fully paid, to be issued pursuant to scheme of arrangement of Greenply Industries Limited with the Holding Company. (See Note 48)

18. Other equity

	31 March 2019	31 March 2018
Capital reserve		
At the commencement of the year	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	59,808.56	-
	59,808.56	-
Retained earnings		
At the commencement of the year	(5.19)	-
Add: Profit for the year	3,457.44	(5.19)
	3,452.25	(5.19)
Other comprehensive income (OCI)		
At the commencement of the year		
Exchange differences in translating financial statements of foreign operations	40.06	-
Remeasurements of the net defined benefit plans	22.66	-
	62.72	-
	63,323.53	(5.19)

(a) Description, nature and purpose of reserve: (i) Capital reserve: The capital reserve is created on account of the net assets transferred pursuant to the scheme of amangement. (ii) Retained earnings: It comprises of accumulated profit (loss) of the Group. (iii) Other comprehensive income (OCI): It comprises of remeasurements of the net defined benefit plans on actuarial valuation of gratuity and exchange differences in translating financial statements of foreign operations.

continued on next page...

epaper.jansatta.com

...continued from previous page

(b) Disaggregation of changes in items of OCI

	1 March 2019	31 March 2018
Retained earnings		
Exchange differences in translating financial statements of foreign operations	40.06	-
Remeasurements of defined benefit liability/ (asset)	22.66	-
	62.72	-

19. Borrowings

See accounting policy in note 3(b), (c) and (p)

	31 March 2019	31 March 2018
Non-current borrowings		
Secured		
Term loans		
From banks		
Foreign currency loans	38,646.86	-
Rupee loans	13,479.19	-
	52,126.05	-
Less: Current maturities of long term borrowings (refer note 20)	7,663.70	-
	44,462.35	-
Loan against vehicles	1,983.63	-
Less: Current maturities of loan against vehicles (refer note 20)	479.45	-
	1,504.18	-
	45,966.53	-
Current borrowings		
Secured		
From banks		
Foreign currency loan - buyers credit	256.47	-
Foreign currency loan - Packing Credit	291.43	-
Rupee loans - repayable on demand	1,688.81	-
	2,236.71	-
Unsecured		
From banks		
Channel finance assurance facility	210.65	-
Foreign currency loan - bill discounting	159.68	-
Rupee loans - bill discounting	1,934.66	-
	2,304.99	-
	4,541.70	-

Information about the Group's exposure to credit and currency risks, and loss allowances related to borrowings are disclosed in note 42.

(A) Terms of repayment

Name of the lender	Interest rate	Repayment schedule	Year of maturity	31 March 2019	31 March 2018
(i) Foreign currency term loans					
Landesbank Baden-Wurttemberg [EUR 428.71 lakhs (31 March 2018: Nil)]	6 month Euribor +0.50%	Repayable at half yearly rest: 20 of EUR 21.64 lakhs	2028-29	32,611.19	-
Standard Chartered Bank [USD 110 lakhs (31 March 2018: Nil)]	3 month Libor +1.55%	Repayable at quarterly rest: 20 of USD 5.50 lakhs	2024-25	7,602.10	-
				40,213.29	-
Unamortised processing fees				(1,566.43)	-
				38,646.86	-
(ii) Rupee term loans					
HDFC Bank Limited	3 year MCLR	Repayable at quarterly rest: 20 of 400.00 lakhs and one time payment of 2000.00 lakhs	2024-25	10,000.00	-
Axis Bank Limited	3 year MCLR	Repayable at quarterly rest: 16 of 156.25 lakhs	2023-24	2,500.00	-
State Bank of India	1 year MCLR +0.75%	Repayable at quarterly rest: 4 of 126.00 lakhs	2019-20	504.00	-
State Bank of India	1 year MCLR +0.75%	Repayable at quarterly rest: 4 of 126.00 lakhs	2019-20	500.00	-
				13,504.00	
Unamortised processing fees				(24.81)	-
				13,479.19	-
Total				52,126.05	-

(B) Details of security

(a) Term loan from Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW) of ₹ 32,611.19 lakhs (31 March 2018: ₹ Nil) is secured by exclusive charge on Main Press Line of MDF plant at Chittoor, Andhra Pradesh along with any other movable fixed assets of the Holding Company, financed by Landesbank Baden-Wurttemberg. Vide letter dated June 14, 2019, the loan is to be further secured by:

i) Exclusive charge over main press line of MDF plant at Pantnagar (Uttarakhand)

ii) Corporate guarantee from Greenply Industries Limited in favor of LBBW of EURO 12.5 million;

iii) Debt Service Reserve Account in EURO/INR for one repayment instalment plus interest, pledged to LBBW

(b) Other term loans of ₹ 21,106.10 lakhs (31 March 2018: ₹ Nil) are secured by:

(i) First pari passu charge on immovable fixed assets of the Holding Company at Pantnagar (Uttarakhand) and Chittoor (Andhra Pradesh).

(ii) First pari passu charge on all movable fixed assets of the Holding Company except the main press line of MDF plant at Chittor (Andhra Pradesh) along with any other movable fixed assets exclusively charged to Landesbank Baden-Wurttemberg.

(iii) Second pari passu charge on all current assets of the Holding Company.

(iv) Due to stipulation from LBBW the security of Main press line of MDF plant at Pantnagar (Uttarakhand) will be excluded subsequently.*

(c) Secured Loan against vehicles and equipments are in respect of finance of vehicles, secured by hypothecation of the respective vehicles.

(d) Working capital loans of ₹ 1,688.81 lakhs (31 March 2018: ₹ Nil) are secured by:

(i) First pari passu charge on all current assets of the Holding Company.

(ii) Second pari passu charge on immovable fixed assets of the Holding Company at Pantnagar (Uttarakhand) and Chittoor (Andhra Pradesh).

(iii) Second pari passu charge on all movable fixed assets of the Holding Company except the main press line of MDF plant at Chittor (Andhra Pradesh) along with any other movable fixed assets exclusively charged to Landesbank Baden-Wurttemberg.

(iv) Due to stipulation from LBBW the security of Main press line of MDF plant at Pantnagar (Uttarakhand) will be excluded subsequently.

(e) Foreign currency loan - buyers credit of ₹ 256.47 lakhs (31 March 2018: ₹ Nil) is secured by letter of credit/letter of undertaking issued by banks.

Note: Refer Note 48 for details on scheme of arrangement

20. Other financial liabilities

	31 March 2019	31 March 2018
Non-current		
Security deposits from customers	1,253.00	-
Current		
Current maturities of long term borrowings (refer note 19)	7,663.70	-
Current maturities of loan against vehicles and equipments (refer note 19)	479.45	-
Interest accrued but not due on borrowings	106.27	-
Liability for capital goods	2,408.23	-
Employee benefits payable	315.72	-
	10,973.37	-

(a) There is no amount due and outstanding to be credited to Investor Education and Protection Fund as at 31 March 2019.

(b) Information about the Group's exposure to currency and liquidity risks related to the above financial liabilities is disclosed in note 42.

21. Provisions

See accounting policy in note 3(i) and (j)

	31 March 2019	31 March 2018
Non-current		
Provisions for employee benefits		
Net defined benefit liability - gratuity	459.26	-
Liability for compensated absences	331.56	-
	790.82	-
Current		
Provisions for employee benefits		
Net defined benefit liability - gratuity	225.62	-
Liability for compensated absences	157.41	-
	383.03	-

22. Other non-current liabilities

	31 March 2019	31 March 2018
Deferred income on Government grants	4,529.95	-

Government grants have been received for the import of certain items of property, plant and equipment under export promotion capital goods (EPCG) scheme of Government of India. The Holding Company has certain export obligations against such benefits availed which the Holding Company will fulfil within the required time period under the scheme. For contingencies attached to these grants, refer note 37.

23. Trade payables

	31 March 2019	31 March 2018
Dues to micro and small enterprises (Refer note 46)	0.81	-
Dues to other than micro and small enterprises	8,156.08	0.25
	8,156.89	0.25

Information about the Group's exposure to currency and liquidity risks related to trade payables is disclosed in note 42.

24. Derivatives

See accounting policy in note 3(c)(v)

	31 March 2019	31 March 2018
Current		
Foreign exchange forward contracts	12.74	-
Foreign exchange interest rate swaps	(23.13)	-
(Asset)/Liability	(10.39)	-

Information about the Group's exposure to interest rate and currency risks related to derivatives is disclosed in note 42.

25. Other current liabilities

	31 March 2019	31 March 2018
Statutory dues	652.92	0.01
Deferred income on Government grants	2,400.00	-
Advance from customers	301.43	-
	3,354.35	0.01

26. Revenue from operations

See accounting policy in note 3(k) and (l)

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Sale of products	58,262.47	-
Other operating revenue		
Government grants		
- Refund of goods and service tax and excise duty (refer note 47)	878.55	-
- Government grants - EPCG scheme (refer note 22)	545.00	-
Export incentives	84.02	-
Miscellaneous income	143.35	-
	1,648.92	-
	59,911.39	-

Reconciliation of revenue from sale of products with the contracted price

Contracted price	62,466.51	-
Less : Trade discounts, volume rebates etc.	(4,204.04)	-
Sale of products	58,262.47	-

Disaggregated revenue information

The disaggregation of the Group's revenue from contracts with customers as under:

Segment	Year ended 31 March 2019		
	Plywood and allied products	Medium Density Fibre Board and allied products	Total
Type of Goods:			
Finished goods	14,116.15	44,146.32	58,262.47
Sale of products (including excise duty) (A)	14,116.15	44,146.32	58,262.47
Revenue by geography:			
- India	14,112.82	37,268.16	51,380.98
- Outside India	3.33	6,878.16	6,881.49
Total revenue from contracts with customers	14,116.15	44,146.32	58,262.47

Segment	Year ended 31 March 2018		
	Plywood and allied products	Medium Density Fibre Board and allied products	Total
Type of Goods:			
Finished goods	-	-	-
Sale of products (including excise duty) (A)	-	-	-
Revenue by geography:			
- India	-	-	-
- Outside India	-	-	-
Total revenue from contracts with customers	-	-	-

The reconciliation of the revenue from contracts with customers and other operating revenue is given below:

Segment	Year ended 31 March 2019		
	Plywood and allied products	Medium Density Fibre Board and allied products	Total
Sale of goods (including excise duty):			
- External customers	14,116.15	44,146.32	58,262.47
- Inter-segment	-	-	-
Other Operating Revenue	34.12	1,614.80	1,648.92
	14,150.27	45,761.12	59,911.39
Inter-segment elimination	-	-	-
Less: Other Operating Revenue	(34.12)	(1,614.80)	(1,648.92)
Total revenue from contracts with customers	14,116.15	44,146.32	58,262.47

Segment	Year ended 31 March 2018		
	Plywood and allied products	Medium Density Fibre Board and allied products	Total
Sale of goods (including excise duty):			
- External customers	-	-	-
- Inter-segment	-	-	-
Other Operating Revenue	-	-	-
	-	-	-
Inter-segment elimination	-	-	-
Less: Other Operating Revenue	-	-	-
Total revenue from contracts with customers	-	-	-

a) The Group presented disaggregated revenue based on the type of goods sold to customers and location of customers. The Group's revenue is recognised for goods transferred at a point in time. The Group believes that the above disaggregation the best depicts how the nature, amount, timing and uncertainty of revenues and cash flows are affected by industry, market and other economic factors. Segment wise nature, amount, timing and uncertainty of revenues and cash flows are described below:

Nature of goods or services	The Group manufactures and sales, plywood and other plywood-related allied products such as veneer, compreg, doors, etc. Medium Density Fibre Board and allied products such as fibre board, plank, etc.
When revenue is recognised	**For Domestic Customer :** Revenue is typically recognised when the goods are delivered to the customer's warehouses. **For Export Customer :** Revenue is typically recognised when the goods are delivered to the port of shipment.
Significant payment terms	Payment is received as per the agreed payment terms with customer.
Obligations for returns and refunds, if any	Customers have the right to return the goods to the Group, if the customers are dissatisfied with the quality of product which is determined on a case to case basis by the Group.

b) For contract balances i.e. trade receivables refer Note 11.

c) The amount of revenue from contracts with customers recognised in the statement of profit and loss is the contracted price.

27. Other income

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Interest on fixed deposits with banks and others	69.03	-
Unspent liabilities no longer required written back	165.99	-
Foreign exchange fluctuations	1,021.85	-
Miscellaneous income	12.63	-
	1,269.50	-

28. Cost of materials consumed

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Inventory of raw materials at the beginning of the year	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)	4,651.15	
Add: Purchases	28,050.61	-
Less: Inventory of raw materials at the end of the year	(3,695.02)	-
	29,006.74	-

29. Purchase of stock in trade

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Purchase of traded goods	876.24	-
	876.24	-

30. Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock in trade

See accounting policy in note 3(f)

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Opening inventories		
Work-in-progress	-	-
Finished goods	-	-
	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 48)		
Work-in-progress	1,381.56	-
Finished goods	2,246.33	-
	3,627.89	-
Closing inventories		
Work-in-progress	2,423.13	-
Finished goods	5,418.79	-
	7,841.92	-
Effect of foreign exchange fluctuations	3.85	-
	(4,210.18)	

31. Employees benefits expense

See accounting policy in note 3(i)

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Salaries, wages, bonus, etc.	7,208.25	-
Contribution to provident and other funds	452.01	-
Expenses related to post-employment defined benefit plan	151.33	-
Expenses related to compensated absences	160.96	-
Staff welfare expenses	103.10	-
	8,075.65	-

Salaries, wages, bonus, etc. includes ₹ 627.75 lakhs (31 March 2018 ₹ Nil) relating to outsource manpower cost.

Notes:

(a) **Defined contribution plan:** Employee benefits in the form of provident fund is considered as defined contribution plan and the contributions to Employees' Provident Fund Organisation established under The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 is charged to the Statement of Profit and Loss of the year when the contributions to the respective funds are due.

(b) **Defined benefit plan:** Retirement benefits in the form of gratuity a considered as defined benefit obligations and is provided for on the basis of third party actuarial valuation, using the projected unit credit method, as at the date of the Balance Sheet. Every Employee who has completed five years or more of service is entitled to gratuity on terms not less favourable than the provisions of The Payment of Gratuity Act, 1972.

(c) Actuarial valuation of gratuity liability		
Defined benefit cost		
Current service cost	106.24	-
Interest expense on defined benefit obligation	45.08	-
Defined benefit cost in Statement of Profit and Loss	151.32	-
Remeasurements from financial assumptions	8.10	-
Remeasurements from experience adjustments	(42.92)	-
Defined benefit cost in Other Comprehensive Income (OCI)	(34.82)	-
Total defined benefit cost in Statement of Profit and Loss and OCI	116.50	-
Movement in defined benefit obligation		
Balance at the beginning of the year	602.65	-
Interest cost	106.24	-
Current service cost	45.08	-
Actuarial (gains)/ losses recognised in other comprehensive income	(34.82)	-
Benefits paid	(34.27)	-
Balance at the end of the year	684.88	-
Sensitivity analysis		
Salary escalation - Increase by 1%	737.65	-
Salary escalation - Decrease by 1%	639.20	-
Withdrawal rates - Increase by 1%	689.00	-
Withdrawal rates - Decrease by 1%	679.88	-
Discount rates - Increase by 1%	639.32	-
Discount rates - Decrease by 1%	737.84	-
Actuarial assumptions		
Mortality table	IALM 2006-2008	-
Discount rate (per annum)	7.70%	-
Rate of escalation in salary (per annum)	6.00%	-
Withdrawal rate	1% - 8%	-
Weighted average duration of defined benefit obligation (in years)	5.12	

(d) Amount incurred as expense for defined contribution to Provident Fund is ₹ 339.33 lakhs (31 March 2018 ₹ Nil)

32. Finance costs

See accounting policy in note 3(p)

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Interest expense on financial liabilities measured at amortised cost	2,326.39	-
Exchange difference regarded as an adjustment to borrowing cost	361.44	-
Other borrowing cost	272.67	-
Less: Finance cost capitalised	(517.26)	-
	2,443.24	-

33. Depreciation and amortisation expense

See accounting policy in note 3(d)(iii) and (e)(ii)

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Depreciation of property, plant and equipment	5,258.59	-
Amortisation of intangible assets	44.75	-
	5,303.34	-

34. Other expenses

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
Consumption of stores and spares	945.50	-
Power and fuel	6,747.53	-
Rent	717.18	-
Repairs to:		
- buildings	33.79	-
- plant and equipment	869.19	-
- others	487.57	-
Insurance	213.68	-
Rates and taxes	49.21	-
Travelling expenses	806.90	-
Freight and delivery expenses	3,450.20	-
Export expenses	901.07	-
Advertisement and sales promotion	1,107.49	-
Directors sitting fees	2.36	-
Payment to auditors (refer note 34 (i) below)	29.22	0.11
Expenditure on corporate social responsibility (refer note 34 (ii) below)	17.64	-
Loss on sale/discard of property, plant and equipment	8.78	-
Amortisation of leasehold land prepayments	16.31	-
Provision for doubtful debts	84.78	-
Miscellaneous expenses	1,938.96	5.08
	18,427.41	5.19

34(i) Payment to auditors

As auditors:		
- Statutory audit	28.32	0.11
- Tax audit	-	-
- Limited review of quarterly results	-	-
In other capacity		
- Certification fees	0.90	-
- Other services	-	-
Reimbursement of expenses	-	-
	29.22	0.11

35. Income tax

See accounting policy in note 3(o)

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
(a) Amount recognised in Profit and Loss		
Current tax	499.41	-
Earlier years tax	-	-
Income tax	499.41	-
Deferred tax	(2,218.99)	-
Mat credit	(499.41)	-
Deferred tax	(2,718.40)	-
Tax expense in Statement of Profit and Loss	(2,218.99)	-
Deferred tax in other comprehensive income	12.17	-
Tax expense in Total Comprehensive Income	(2,206.82)	-
(b) Reconciliation of effective tax rate for the year		
Profit before Tax	1,238.45	(5.19)
Applicable Income Tax rate	34.944%	34.608%
Computed tax expense	432.76	(1.80)
Additional deduction as per income tax	(2,997.17)	-
Non-deductible expenses for tax purposes	6.20	-
Deferred tax asset not recognised on business losses of subsidiary	333.83	-
Other differences	(84.61)	1.80
Tax expense in Statement of Profit and Loss	(2,218.99)	-
(c) Recognised deferred tax assets and liabilities:		
Property, plant and equipment and intangible assets	14,733.04	-
Provisions for employee benefits	(468.35)	-
Provision for doubtful debts	(121.76)	-
Other temporary differences	(9.69)	-
Unabsorbed depreciation carried forward	(12,429.43)	-
Minimum Alternate Tax (MAT) credit	(499.41)	-
Deferred tax liabilities	1,205.39	-
(d) Reconciliation of Deferred Tax Liability:		
Temporary difference on account of:		
Property, plant and equipment and intangible assets	10,293.38	-
Provisions for employee benefits	(42.20)	-
Provision for doubtful debts	(31.12)	-
Other temporary differences	(9.62)	-
Unabsorbed depreciation carried forward	(12,429.43)	-

continued on next page...

...continued from previous page

Minimum Alternate Tax (MAT) credit entitlement	(499.41)	-
Deferred tax in Statement of Profit and Loss	(2,718.40)	-
Temporary difference of liabilities in other comprehensive income	12.17	-
Deferred tax in Total Comprehensive Income	(2,706.23)	-
MAT credit utilisation in income tax for earlier years	-	-
Total Deferred tax	(2,706.23)	-

36. Earnings per share

Basic and diluted earnings per share

(i) Profit for the year, attributable to the equity shareholders	3,457.44	(5.19)
(ii) Weighted average number of equity share		
- Number of equity shares at the beginning of the year	1,000,000	-
- Number of equity shares allotted on 10 January 2018	-	1,000,000
- Number of shares in Share capital suspense	122,627,395	-
- Cancelled pursuant to scheme of arrangement (See Note 45)	1,000,000	-
- Number of equity shares at the end of the year	122,627,395	1,000,000
Weighted average number of equity shares	122,627,395	1,000,000
Basic and diluted earnings per share (₹) [(i)/(ii)]	2.82	(0.52)

37. Contingent liabilities and commitments

(to the extent not provided for)

	31 March 2019	31 March 2018
Contingent liabilities		
(a) Claims against the Group not acknowledged as debts:		
(i) Excise duty, sales tax and other indirect taxes in dispute	1,029.07	-

b) The Hon'ble Supreme Court of India ("SC") by their order dated February 28, 2019, in the case of Surya Roshani Limited & others v/s EPFO, set out the principles based on which allowances paid to the employees should be identified for inclusion in basic wages for the purposes of computation of Provident Fund contribution. Subsequently, a review petition against this decision has been filed and is pending before the SC for disposal. In view of the management, the liability for the period from date of the SC order to 31 March 2019 is not significant. Further, the pending decision on the subject review petition and directions from the EPFO, the impact for the past period, if any, is not ascertainable and consequently no effect has been given in the accounts.

c) The audited GST return for the year ended 31 March 2018 is pending for the filing as competent authority has extended the date of filing until 31 August 2019. The Holding company is in process of reconciling the data of GSTR 2A with GSTR 3B. In view of the management on final reconciliation, the impact will not be material.

Capital and other commitments		
(i) Estimated amount of export obligations to be fulfilled in respect of goods imported under Export Promotion Capital Goods scheme (EPCG)	43,943.10	-

Claim against the Group not acknowledged as debt:

Cash outflows for the above are determinable only on receipt of judgments pending at various forums/ authorities. The Group has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed as contingent liabilities where applicable, in its financial statements. The Group does not expect the outcome of these proceedings to have a materially adverse effect on its financial position.

38. Operating leases

See accounting policy in note 3(m)

The Group has taken certain commercial premises under cancellable operating leases. These lease agreements are normally renewed on expiry. Lease payments recognised in Consolidated Statement of Profit and Loss with respect to operating leases ₹ 715.16 lakhs (31 March 2018: ₹ Nil) has been included as rent in note 34 'Other expenses'.

39. Related party disclosure

a) Other related parties with whom transactions have taken place during the year

Holding company:

i) Greenply Industries Limited (upto 31.03.2018, pursuant to scheme of arrangement)

Key Management Personnel (KMP)

i) Mr. Shiv Prakash Mittal, Director*

ii) Mr. Shobhan Mittal, Director*

iii) Mr. Mahesh Kumar Jiwarajka, Non-Executive Independent Director

iv) Mr. Sail Kumar Bhandari, Non-Executive Independent Director

v) Ms. Susmita Singha, Non-Executive Independent Director

* See Note 45.4 (f) , for details on KMP

Relatives of Key Management Personnel (KMP)

i) Mrs. Chitwan Mittal (Wife of Mr. Shobhan Mittal)

b) Enterprises controlled by Key Management Personnel or their relatives

i) Greenlam Industries Limited

ii) Greenply Industries Limited

c) Related party transactions

Name of the related party	Nature of transaction	31 March 2019	31 March 2018
Greenlam Industries Limited	Sale of products	546.14	-
	Purchase of products	137.36	-
Greenply Industries Limited	Sale of products	4,416.03	-
	Equity share capital received	-	10.00
Mr. Shiv Prakash Mittal	Remuneration	245.14	-
Mr. Shobhan Mittal	Remuneration	260.68	-
Mr. Mahesh Kumar Jiwarajka	Sitting Fees	1.00	-
Mr. Sail Kumar Bhandari	Sitting Fees	0.50	-
Ms. Susmita Singha	Sitting Fees	0.50	-
Mrs. Chitwan Mittal	Remuneration	28.23	-

d) Outstanding balances

Name of the related party	Nature of transaction	31 March 2019	31 March 2018
Greenlam Industries Limited	Sale of products	66.04	-
	Purchase of products	3.84	-
Greenply Industries Limited	Sale of products	1,145.23	-

e) Key Management Personnel compensation

Key management personnels compensation comprised of the following:

Nature of transaction	31 March 2019	31 March 2018
Short-term employee benefits	471.42	-
Other long-term benefits	34.40	-
Total compensation paid to key management personnel	505.82	-

As the future liability for gratuity and compensated entcashment is provided on an actuarial basis for the Holding Company as a whole, the amount pertaining to each key management personnel is not separately ascertainable and, therefore, not included above. Based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, all decisions relating to the remuneration of the KMP's are taken by the Board of Directors of the Holding Company, in accordance with shareholders' approval, wherever necessary.

f) Terms and conditions of transactions with related parties

Purchase from related parties are made in the ordinary course of business and on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions with other vendors. Outstanding balances at the year-end are unsecured and will be settled in cash and cash equivalents. The Group has not recorded any impairment of receivables relating to amounts owed by related parties. This assessment is undertaken in each financial year through examining the financial position of the related parties and the market in which the related party operates.

h) Details of loans, investments and guarantees covered under Section 186(4) of the Companies Act, 2013

(i) **Details of loans** Not Applicable

(ii) **Details of investments**

Particulars of investments as required under Section 186(4) of the Companies Act, 2013 have been disclosed in note 7.

(iii) **Details of guarantees** Not Applicable

40. Accounting classifications and fair values (Ind AS 107)

See accounting policy in note 3(c)

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts shown in the Standalone Balance Sheet are as follows:

	31 March 2019	31 March 2018
Financial assets at amortised cost		
Non-current		
Loans	1,233.69	-
Current		
Trade receivables	4,561.86	-
Cash and cash equivalents	1,956.59	5.07
Other bank balances	28.54	-
Loans	32.32	-
Other financial assets	2,918.69	-
	10,731.69	5.07
Financial assets at fair value through profit and loss		
Current		
Level 2		
Derivatives	10.39	-
	10.39	-
Total Financial Assets	10,742.08	5.07
Financial liabilities at amortised cost		
Non-current		
Borrowings	45,966.53	-
Other financial liabilities	1,253.00	-
Current		
Borrowings	4,541.70	-
Other financial liabilities	10,973.37	
Trade payables	8,156.89	0.25
	70,891.49	0.25

41. Fair value measurement

The fair values of the financial assets and liabilities are included at the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in forced or liquidation sale.

The Group has established the following fair value hierarchy that categories the value into 3 levels. The inputs to valuation techniques used to measure fair value of financial instruments are:

Level 1: The hierarchy uses quoted prices in active markets for identical assets or liabilities. The fair value of all bonds which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price or dealer quotations as at the reporting date.

Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example traded bonds, over the counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on Group specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3 Financial assets and liabilities measured at fair value - recurring fair value measurements are as follows:

	31 March 2019	31 March 2018
Financial assets - Level 2		
Derivatives	10.39	-

The management assessed that trade receivables, cash and cash equivalent, other bank balances, trade payable, cash credits, borrowings and other financial assets and liabilities approximate their carrying amounts largely due to the short term maturities of these instruments.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair values: (a) The fair value of the quoted investments are based on market price at the respective reporting date. (b) The fair value of interest rate swaps is calculated as the present value of the estimated future cash flows based on observable yield curves based on report obtained from banking partners. (c) The fair value of forward foreign exchange contracts is calculated as the present value determined using forward exchange rates and interest rate curve of the respective currencies based on report obtained from banking partners.

42. Financial risk management

The Group has exposure to the following risks arising from financial instruments:

(i) Credit risk

(ii) Liquidity risk

(iii) Market risk

Risk management framework

The Group's principal financial liabilities, other than derivatives, comprises of borrowings, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Group operations. The Group's principal financial assets, other than derivatives include trade and other receivables, investments and cash and cash equivalents that derive directly from its operations.

The Group's activities expose it to a variety of financial risks, including market risk, credit risk and liquidity risk. The Group's primary risk management focus is to minimise potential adverse effects of market risk on its financial performance. The Group uses derivative financial instruments to mitigate foreign exchange related risk exposures. Foreign currency options contract are entered to hedge certain foreign currency risk exposures and interest rate swaps to hedge variable interest rate exposures. The Group's exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristic of each customer and the concentration of risk from the top few customers. The Group's risk management assessment and policies and processes are established to identify and analyse the risks faced by the Group, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor such risks and compliance with the same. Risk assessment and management policies and processes are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

This note presents information about the Group's exposure to each of the above risks, the Group's objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Group's management of capital. The sources of risks which the Group is exposed to and their management is given below:

Risk	Exposure Arising from	Measurement	Management
Credit risk	Trade receivables, Investments, Derivative financial instruments, Loans	Ageing analysis Credit rating	Diversification of mutual fund investments, Credit limit and credit worthiness monitoring, credit based approval process.
Liquidity risk	Borrowings and Other liabilities	Rolling cash flow forecasts	Adequate unused credit lines and borrowing facilities.
Market risk Foreign exchange risk	Committed commercial transaction, Financial asset and liabilities not denominated in INR	Cash flow forecasting Sensitivity analysis	Forward foreign exchange contracts.
Interest rate	Long term borrowings at variable rates	Sensitivity analysis Interest rate movements	Interest rate swaps

(i) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss of the Group if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Group receivables from customers and loans. The Group is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables) and from its financing/investing activities, including deposits with bank, foreign exchange transactions and financial guarantees. The Group has no significant concentration of credit risk with any counterparty. The carrying amount of financial assets represent the maximum credit risk exposure.

Trade receivable

The management has established a credit policy under which each new customer is analysed individually for creditworthiness before the Group's standard payment and delivery terms and conditions are offered. The Group's review includes external ratings, if they are available, financial statements, credit agency information, industry information and in some cases bank references.

Exposure to credit risks

The Group's exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. However management also considers the factors that may influence the credit risk of its customer base, including the default risk associated with the industry. Details of concentration: percentage of revenue generated from top customer and top five customers are stated below:

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Revenue from a top customer	6.38%	-
Revenue from top five customers	12.26%	-

Trade receivables are primarily unsecured and are derived from revenue earned from customers. Credit risk is managed through credit approvals, establishing credit limits and by continuously monitoring the creditworthiness of customers to which the Group grants credit terms in the normal course of business. As per simplified approach, the Group makes provision of expected credit loss on trade receivables using a provision matrix to mitigate the risk of default payments and makes appropriate provisions at each reporting date wherever is for longer period and involves higher risk. On account of adoption of Ind AS 109, the Group uses expected credit loss model to assess the impairment loss or gain. The Group uses a provision matrix to compute the credit loss allowance for trade receivables. The said provision has been netted off under trade receivables.

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Balance at the beginning	-	-
Add: Amount adjusted pursuant to Scheme of Arrangement (See Note 45)	229.45	-
Impairment loss recognised	96.90	-
Balance at the end	326.35	-

(ii) Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will not be able to settle or meet its obligations on time or at reasonable price. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and marketable securities and the availability of funding through an adequate amount of credit facilities to meet obligations when due. The Group's finance team is responsible for liquidity funding as well as settlement management. In addition, processes and policies related to such risks are overseen by senior management. Management monitors the Group's liquidity position through rolling forecasts on the basis of expected cash flows. The Group's approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Group's reputation.

Exposure to liquidity risk

The table below provides details regarding the remaining contractual maturities of financial liabilities at the reporting date based on contractual undiscounted payments.

31 March 2019	< 1 year	1 - 5 years	> 5 years	Total
Borrowings (including current maturities)*	14,258.99	31,067.64	18,056.64	63,383.27
Trade payables	8,156.89	-	-	8,156.89
Other financial liabilities	2,723.95	1,253.00	-	3,976.95
Derivatives	-	-	-	-
	25,139.83	32,320.64	18,056.64	75,517.11

31 March 2018	< 1 year	1 - 5 years	> 5 years	Total
Borrowings (including current maturities)*	-	-	-	-
Trade payables	-	-	-	-
Other financial liabilities	-	-	-	-
Derivatives	-	-	-	-
	-	-	-	-

* Including estimated interest

(iii) Market risk

Market risk is the risk of loss of future earnings, fair value or future cash flows that may result from a change in the price of a financial instrument . The value of a financial instrument may change as a result of changes in the interest rates, foreign currency exchange rates, commodity prices, equity prices and other market changes that effect market risk sensitive instruments. Market risk is attributable to all market risk sensitive financial instruments including investments and deposits, foreign currency receivables, payables and borrowings. The Group uses derivatives to manage market risks. All such transactions are carried out within the guidelines set by the management.

(a) Currency risk

Foreign currency risk is the risk impact related to fair value or future cash flows of an exposure in foreign currency, which fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the foreign currency borrowings, import of raw materials and spare parts, capital expenditure, exports of finished goods. The Group evaluates exchange rate exposure arising from foreign currency transactions. The Group follows established risk management policies and standard operating procedures. It uses derivative instruments like foreign currency swaps and forwards to hedge exposure to foreign currency risk.

Exposure to currency risk The Group's exposure to foreign currency at the end of the reporting period are as follows:

Particulars	Currency	31 March 2019 Amount in Foreign currency	31 March 2019 ₹ in Lakhs	31 March 2018 Amount in Foreign currency	31 March 2018 ₹ in Lakhs
- Hedged exposures					
Trade payables	EURO	218,797	169.60	-	-
	USD	177,416	122.61	-	-
			292.21		-
- Unhedged exposures					
Borrowings	EURO	42,071,469	32,611.19	-	-
	USD	11,000,000	7,602.10	-	-
			40,213.29		-
Borrowings - Packing credit	USD	421,692	291.43	-	-
Borrowings - Buyers credit	USD	371,102	256.47	-	-
Trade payables	EURO	1,198,493	927.45	-	-
	USD	549,536	379.78	-	-
			1,307.23		-
Trade receivables	USD	1,665,127	1,150.77	-	-

Sensitivity analysis

A reasonably possible strengthening (weakening) of the USD and EURO against Indian rupee at 31 March would have affected the measurement of financial instruments denominated in a foreign currency and affected equity and profit or loss by the amount shown below. This analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant and ignores any impact of forecast sales and purchases.

Particulars	Nature	Effect	31 March 2019	31 March 2018
USD (1% Movement)	Profit or loss	Strengthening	(76.02)	-
		Weakening	76.02	-
	Equity, net of tax	Strengthening	(49.06)	-
		Weakening	49.06	-
EUR (1% Movement)	Profit or loss	Strengthening	(337.08)	-
		Weakening	337.08	-
	Equity, net of tax	Strengthening	(220.42)	-
		Weakening	220.42	-

(b) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to the Group's short term borrowing with floating interest rates. For all long term borrowings with floating rates, the risk of variation in the interest rates in mitigated through interest rate swaps. The Group constantly monitors the credit markets and rebalances its financing strategies to achieve an optimal maturity profile and financing cost.

Exposure to interest rate risk

The interest rate profile of the Group's interest bearing financial instruments at the end of the reporting period are as follows:

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Fixed rate instruments		
Financial assets	-	-
Financial liabilities	-	-
	-	-
Effect of interest rate swaps	(7,602.10)	-
	(7,602.10)	-
Variable rate instruments		
Financial assets	-	-
Financial liabilities	(60,031.98)	-
	(60,031.98)	-
Effect of interest rate swaps	7,602.10	-
	(52,429.88)	-

Sensitivity analysis

Fixed rate instruments that are carried at amortised cost are not subject to interest rate risk for the purpose of sensitive analysis.

A reasonably possible change of 100 basis points in variable rate instruments at the reporting dates would have increased or decreased profit or loss by the amounts shown below:

Particulars	Nature	Effect	31 March 2019	31 March 2018
Variable rate instruments	Profit or loss	Strengthening	(600.32)	-
		Weakening	600.32	-
	Equity, net of tax	Strengthening	(392.56)	-
		Weakening	392.56	-
Interest rate swap	Profit or loss	Strengthening	76.02	-
		Weakening	(76.02)	-
	Equity, net of tax	Strengthening	49.71	-
		Weakening	(49.71)	-
Cash flow sensitivity (net)	Profit or loss	Strengthening	(524.30)	-
		Weakening	524.30	-
	Equity, net of tax	Strengthening	(342.85)	-
		Weakening	342.85	-

43. Capital management

The Group's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of the business. The management monitors the return on capital, as well as the level of dividends to equity shareholders. The Group's objective when managing capital are to: (a) to maximise shareholders value and provide benefits to other stakeholders and (b) maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. For the purpose of the Group's capital management, capital includes issued equity share capital and other equity reserves attributable to the equity holders. The Group monitors capital using debt-equity ratio, which is total debt less liquid investments divided by total equity.

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
Total debt (Bank and other borrowings)	58,651.38	-
Less: Cash and cash equivalents	1,956.59	5.07
Adjusted net debt	56,694.79	(5.07)
Equity	64,549.88	4.81
Debt to Equity (net)	0.88	(1.05)

In addition, the Group has financial covenants relating to the banking facilities that it has taken from all the lenders like interest service coverage ratio, Debt to EBITDA, current ratio etc. which is maintained by the Group.

44. Operating segments

A. Basis of segment

An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Group' s other components, and for which discrete financial information is available. All operating segments' operating results are reviewed regularly by the Group's Chief operating decision maker (CODM) to make decisions about resources to be allocated to the segments and assess their performance. The Group has two reportable segments, as described below, which is the Group's strategic business units. These business units are managed separately because they require different technology and marketing strategies. The following summary describes the operations in each of the Group's reportable segments.

Reportable segment	Operations
Plywood and allied products	Manufacturing
Medium Density Fibre Boards and allied products	Manufacturing

B. Information about reportable segments

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment profit (before tax), as included in the internal management reports that are reviewed by the Group's CEO. Segment profit is used to measure performance as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of certain segments relative to other entities that operate within these industries. Inter-segment pricing is determined on an arm's length basis.

Year ended 31 March 2019	Reportable segments			All other segments	Total
	Plywood and allied products	Medium Density Fibre Boards and allied products	Total Reportable segments		
Segment revenue:					
- External revenues					
a) Sales	14,116.15	44,146.32	58,262.47	-	58,262.47
b) Other operating income	34.12	1,614.80	1,648.92	-	1,648.92
- Inter-segment revenue	-	-	-	-	-
Total segment revenue	14,150.27	45,761.12	59,911.39	-	59,911.39
Segment profit/(loss) before income tax	2,041.32	4,937.09	6,978.41	-	6,978.41
Segment profit/(loss) before income tax includes:					
Interest revenue	-	-	-	-	-
Interest expense	-	-	-	-	-
Depreciation and amortisation	446.98	4,383.94	4,830.92	-	4,830.92
Tax expense	-	-	-	-	-
Other material non cash item (if any)	-	-	-	-	-
Segment assets	12,124.39	124,539.07	136,663.97	-	136,663.97
Segment liabilities	3,982.69	73,450.06	77,432.75	-	77,432.75

B. Information about reportable segments (continued)

Year ended 31 March 2018	Reportable segments			All other segments	Total
	Plywood and allied products	Medium Density Fibre Boards and allied products	Total Reportable segments		
Segment revenue:					
- External revenues					
a) Sales	-	-	-	-	-
b) Other operating income	-	-	-	-	-
- Inter-segment revenue			-		-
Total segment revenue	-	-	-	-	-
Segment profit/(loss) before income tax	-	-	-	-	-
Segment profit/(loss) before income tax includes:					
Interest revenue	-	-	-	-	-
Interest expense	-	-	-	-	-
Depreciation and amortisation	-	-	-	-	-
Tax expense	-	-	-	-	-
Other material non cash item (if any)	-	-	-	-	-
Segment assets	-	-	-	-	-
Segment assets include:					
Capital expenditure during the year	-	-	-	-	-
Segment liabilities	-	-	-	-	-

Property, plant and equipment are allocated based on location of the assets.

continued on next page...

पश्चिम बंगाल में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

कोलकाता, 16 अक्तूबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भांगोर इलाके में एक व्यक्ति पर हमला कर भागे व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि बकिउल्ला मुल्ला ने मंगलवार देर रात भांगोर के सतुलिया बाजार इलाके में मुनीरुल इस्लाम बिस्वास पर चाकू से हमला किया, जिसमें मुनीरुल गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि मशहूर मुनीरुल खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ मिला। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के एक समूह ने मुल्ला को पीटना शुरू कर दिया।

उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 16 अक्तूबर।

उत्तराखंड के बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए चार दशकों से प्रयास किए जा रहे थे। आमजन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब बांध बनने का रास्ता खुल गया है। 89 करोड़ रूपए प्रारंभिक कार्यों के लिए दिए जा चुके हैं।

बांध के बनने से तराई-भाबर और उसके आस-पास के क्षेत्रों को जहां सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं क्षेत्र की जमीन में पानी का जल स्तर भी बढ़ेगा।

...continued from previous page

C. Reconciliations of information on reportable segments to Ind AS measures

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
i. Revenues		
Total revenue for reportable segments	59,911.39	-
Revenue for other segments	-	-
Elimination of inter-segment revenue	-	-
Elimination of revenue of discontinued operation	-	-
Consolidated revenue	59,911.39	-
ii. Profit before tax		
Total profit before tax for reportable segments	6,978.41	-
Profit before tax for other segments	-	-
Elimination of inter-segment profits	-	-
Elimination of profit of discontinued operation	-	-
Unallocated amounts:		
Corporate expenses	(5,739.96)	-
Consolidated profit before tax	1,238.45	-
iii. Assets		
Total assets for reportable segments	136,663.97	-
Assets for other segments	-	-
Unallocated amounts	9,131.36	-
Consolidated total assets	145,795.33	-
iv. Liabilities		
Total liabilities for reportable segments	77,432.75	-
Liabilities for other segments	-	-
Unallocated amounts	3,812.78	-
Consolidated total liabilities	81,245.53	-

C. Reconciliations of information on reportable segments to Ind AS measures (continued)

v. Other material items

Particulars	Year ended 31 March 2019			Year ended 31 March 2018		
	Reportable segment total	Adjustments totals	Consolidated	Reportable segment total	Adjustments	Consolidated
Interest revenue	-		-			-
Interest expense	-	2,463.24	2,463.24	-	-	-
Depreciation and amortisation expense	4,830.92	472.42	5,303.34	-	-	-

D. Geographical information

Particulars	Within India		Outside India		Total	
	31 March 2019	31 March 2018	31 March 2019	31 March 2019	31 March 2018	31 March 2019
External revenue by location of customers	53,029.90	-	6,881.49	-	59,911.39	-
Carrying amount of segment assets by location of assets	142,620.79	-	3,174.54	-	145,795.33	-

E. Major customer

The Group does not receive 10% or more of its revenues from transactions with any single external customer.

45. Taxation

The Group has established a comprehensive system of maintenance of information and documents as required by the transfer pricing regulations under Sections 92-92F of the Income-Tax Act, 1961. Since the law requires existence of such information and documentation to be contemporaneous in nature, the Group continuously updates its documents for the international transactions entered into with the associated enterprises during the financial year. The management is of the opinion that its international transactions are at arm's length so that the aforesaid legislation will not have any impact on the financial statements, particularly on the amount of tax expense for the year and that of provision for taxation.

46. Dues to Micro enterprises and small enterprises

	31 March 2019	31 March 2018
(a) The amounts remaining unpaid to Micro and Small suppliers as at the end of each accounting year		
- Principal	0.81	-
- Interest	-	-
(b) The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year	-	-
(c) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year)but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006	-	-
(d) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
(e) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the MSMED Act, 2006	-	-

47. Government grant (Ind AS 20): Other operating revenue includes incentives against scheme of budgetary support under Goods and Services Tax Regime for the unit set-up in Rudrapur-MDF, Uttarakhand of ₹ 876.55 lakhs (31 March 2018 ₹ Nil)

48. Scheme of Arrangement

48.1 Pursuant to the Composite Scheme of Arrangement ('the scheme') between Greenply Industries Limited (Greenply), the Holding Company and their respective shareholders and creditors as approved by the Hon'ble National Law Company Tribunal (NCLT), Guwahati Bench, vide its order dated June 28, 2019, which became effective on July 1, 2019 on filing with the Registrar of Companies, all the assets and liabilities of the 'transferred business' of Greenply i.e. the MDF manufacturing unit situated at Roudhu Suramala, Chittoor (Andhra Pradesh), MDF manufacturing unit and Plywood and allied products manufacturing unit located in a common plot at Pantnagar (Uttarakhand), registered, marketing, branch and administrative office(s) located in India and its investment in wholly owned subsidiary viz. Greenpanel Singapore Pte. Ltd. (formally known as Greenply Trading Pte. Limited (registered in Singapore) excluding its investment of USD 37,50,000 (37,50,000 ordinary shares of USD 1 each) in Greenply Alkemet (Singapore) Pte. Ltd. (registered in Singapore)), have been transferred to and vested in the Holding Company at their respective book values on a going concern basis with effect from the appointed date (i.e. April 1, 2018). Accordingly, the Scheme of Arrangement has been given effect to in these accounts.

48.2 Assets and liabilities transferred pursuant to the scheme:

The whole of the assets and liabilities of the Demerged undertaking of Greenply became the assets and liabilities of the Holding Company and were recorded at their book values as appearing in the books of the Demerged Company with effect from the appointed date (i.e. April 1, 2018). The details of assets and liabilities transferred from Greenply are as under:

Particulars	Amount
Assets	
(1) Non-current assets	
(a) Property, plant and equipment	37,627.07
(b) Capital work-in-progress	73,348.65
(c) Other intangible assets	117.13
(d) Financial assets	
(i) Investments	10.00
(ii) Loans	1,194.27
(e) Other non-current assets	2,319.98
Total non-current assets	**114,617.10**
(2) Current assets	
(a) Inventories	10,295.48
(b) Financial assets	
(i) Trade receivables	5,064.97
(ii) Cash and cash equivalents	516.10
(iii) Other bank balances	33.65
(iv) Loans	81.44
(v) Derivatives	125.97
(vi) Other financial assets	1,501.66
(c) Other current assets	4,803.44
Total current assets	**22,425.91**
Total assets	**137,043.01**
Liabilities	
(1) Non-current liabilities	
(a) Financial liabilities	
(i) Borrowings	41,847.07
(ii) Other financial liabilities	1,057.53
(b) Provisions	786.77
(c) Deferred tax liabilities (net)	3,911.53
(d) Other non-current liabilities	4,991.70
Total non-current liabilities	**52,395.40**
(2) Current liabilities	
(a) Financial liabilities	
(i) Borrowings	3,112.51
(ii) Trade payables	8,714.79
(iii) Other financial liabilities	7,985.15
(b) Other current liabilities	3,603.65
(c) Provisions	196.69
Total current liabilities	**23,612.79**
Total liabilities	**76,008.19**

48.3 Equity and Reserves pursuant to the scheme:

Pursuant to the scheme, the difference between the book value of the assets and liabilities transferred from Greenply has been credited to the shareholders' fund of the Holding Company as under:

Particulars	Amount
Share Capital	1,226.27
Capital Reserve	59,808.56
Total	**61,034.83**

48.4 Other Matters:

a) The Holding Company shall issue and allot 12,26,27,395 equity shares of Re. 1 (Indian Rupee one only) to the shareholders of Greenply whose names appear in the register of members of Greenply as on the record date, 1 (one) equity share of Re. 1 (Indian Rupees one only) each, credited as fully paid up for every 1 (one) equity share of Re. 1 (Indian Rupees one only) each held by them in Greenply. Till the allotment, the same would appear in share suspense account. Since the effect of demerger has been given in the financials, 10,00,000 equity shares of Re. 1 each allotted to Greenply has been cancelled and the Holding Company has ceased to be subsidiary of Greenply.

b) The transactions between the appointed date upto the effective date as appearing in the books of accounts of Greenply have been deemed to have been made by the Holding Company.

c) All costs, charges and expenses including stamp duties arising out of or incurred so far in carrying out and implementing this Scheme and matters incidental thereto, have been borne by Greenply and the Holding Company in the ratio of 1:1.

d) The immovable assets of the Holding Company stands freed from all charges, mortgages and encumbrances relating to liabilities relating to Greenply. But, Greenply had created charges over its immovable assets (including those which now belong to the Holding Company) under the Companies Act, 2013 in respect of certain credit facilities taken from various banks for itself and for various undertakings of the Holding Company. As the legal ownership of the immovable assets have not yet been transferred to the Holding Company, Greenply continues to enjoy credit facilities by the subsisting charges, mortgages and encumbrances over such assets. Vice Versa, the Holding Company enjoys credit facilities by the subsisting charges, mortgages and encumbrances over immovable assets belonging to Greenply. Till creation/modification/satisfaction of Charges, as the case may be, in favour of the various banks/secured creditors of the respective Companies in terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the banks/secured creditors of the Holding Company shall continue to hold their respective charge over the immovable assets of Greenply.

e) Although, pursuant to the scheme of arrangement, the immovable properties belonging to the demerged undertakings of Greenply vest in and/or deemed to be transferred to and vested in the Holding Company, the mutation of title/assignment of leases thereof in the name of the Holding Company are yet to be made and recorded by the appropriate authorities. Notwithstanding the same, the Holding Company exercises all rights and privileges and pays ground rent, municipal taxes and fulfils all obligations, in relation to or applicable to such immovable properties.

f) Mr. Shiv Prakash Mittal and Mr. Shobhan Mittal, Directors of the company would be appointed as Executive Chairman and Managing Director & CEO respectively in the board meeting to be held on 19 July 2019. As such they have been included as Key Managerial Personnel (KMP), since they have a significant influence over the operating and financial decisions making roles. Hence, the remuneration paid to them during FY 2018-19 has been disclosed as related party transaction.

49. Distribution made and proposed dividend (Ind AS 1)

Proposed dividends on equity shares are subject to approval at the annual general meeting and are not recognised as a liability (including dividend distribution tax thereon) as at 31 March 2019. Since no dividend has been proposed in the current and previous year, financial figures with respect to the same has not been given.

50. The consolidated financial statements of the previous year was not required to be prepared since there was no entity for the purpose of consolidation.

51. The figures stated in the current year are not comparable with those of previous period for the reasons that (a) the figures for the previous period were since incorporation of the Holding Company on December 13, 2017 to March 31, 2018; and (b) in the current year, effect has been given to Scheme of Arrangement as approved by the National Company Law Tribunal. The figures for the previous period are re-classified/ re-arranged / re-grouped, wherever necessary so as to be in conformity with the figures of the current period's classification/disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors of Greenpanel Industries Limited
Sd/-
Shiv Prakash Mittal
Executive Chairman

Place: Kolkata
Date: October 14, 2019

Adbeans 292

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्किल कार्यालयः बुलन्दशहर
पताः यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203001
मो.: 9897912444, फोनः 05732-281724, ईमेलः cobsrsamd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत आम जनता के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना, अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाया नीचे वर्णित ऋणों की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 18.11.2019 को बिक्री की जायेगी। ज्ञात अधिभारों के साथ अचल सम्पत्ति का संबंधित विवरण नीचे वर्णित है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया 1) https://www.pnbindia.in, 2) https://www.pnbindia.biz, 3) https://eprocure.gov.in/epublish/app देखें।

ई-नीलामी की अनुसूची

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
14.11.2019 (गुरुवार) 12.00 बजे अप. से 16.00 बजे अप.	15.11.2019 (शुक्रवार) 16.00 बजे अप. तक	18.11.2019 (सोमवार) 12 बजे दोप. से 14.00 बजे अप.

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	सम्पत्ति के स्वामी/ मार्टगैजरों का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	गिरवी सम्पत्ति(यों) का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि
1.	मै. वीना वादिनी एडुकेशनल फाउण्डेशन, शाखाः खुर्जा बुलन्दशहर	श्री संजय कुमार गुप्ता एवं अन्य	1.5.2019 से देय आगे के ब्याज तथा चार्जेज के साथ रु. 35796106.00	सिकन्दराबाद से खुर्जा रोड, पुराना जीटी रोड, ग्राम धरौन, बुलन्दशहर, गाता नं. 79, खाता नं. 123 में भूमि, एरिया 3182 वर्ग मी. > गाता नं. 80 एम, खाता नं. 156, एरिया 3480 वर्ग मी में भूमि > गाता नं. 80 एम, खाता नं. 156 तथा गाता नं. 80 एम, खाता नं. 182, एरिया 3923 वर्ग मी. में भूमि > गाता नं. 80 एम, खाता नं. 156 तथा गाता नं. 80 एम, खाता नं. 182, एरिया-3923 वर्ग मी. में भूमि > गाता नं. 119, खाता नं. 188, एरिया-1900 वर्ग मी. में भूमि > गाता नं. 80 एम, खाता नं. 182, एरिया 2183 वर्ग मी. में भूमि, कुल क्षेत्रफल 18591 वर्ग मी.	रु. 55000000/- (रु. पांच करोड़ पचास लाख मात्र)	रु. 5500000/- (रु. पचपन लाख मात्र)	12.6.2019	5.9.19 (सांकेतिक कब्जा)
2.	मै. वीना वादिनी एडुकेशनल फाउण्डेशन, शाखाः खुर्जा बुलन्दशहर	श्री रोहित कुमार गुप्ता पुत्र कैलाश चन्द्र गुप्ता	1.5.2019 से देय आगे के ब्याज तथा चार्जेज के साथ रु. 35796106.00	होली ब्रहमनान, खुर्जा, पर.-तह.-खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, क्षेत्रफल 143.68 वर्ग मी. में स्थित आवासीय मकान सं. 223, चौहद्दीः पूर्व- श्री बेलीराम तथा श्री रविन्द्र कुमार का मकान, पश्चिम- गली 10' जिसके बाद श्री कैलाश चन्द गुप्ता, उत्तर- न्यू इंडिया प्रिन्टिंग प्रेस (श्री कैलाश चन्द गुप्ता) दक्षिणः श्रीमती कुसुम देवी एवं नरेन्द्र कुमार	रु. 2400000/- (रु. चौबीस लाख मात्र)	रु. 240000/- (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)	12.6.2019	5.9.19 (सांकेतिक कब्जा)
3.	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन बीओः खुर्जा, बुलन्दशहर	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन	1.5.19 से देय आगे के ब्याज एवं लागत के साथ रु. 24679334.00	सुभाष चन्द्र गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन (पंजीकृत ट्रस्ट) के नाम में शिकारपुर, खुर्जा रोड तथा गवन लिंक रोड के जंक्शन, ग्राम- कलाखुरी, तहसील खुर्जा, खेत नं. 28, 30 एवं 24 में स्थित भूमि एवं भवन, एरिया 24670 वर्ग मी.	रु. 60000000/- (रुपये छः करोड़ मात्र)	रु. 6000000/- (रुपये साठ लाख मात्र)	12.6.2019	5.9.19 (सांकेतिक कब्जा)
4.	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन बीओः खुर्जा, बुलन्दशहर	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन	1.5.19 से देय आगे के ब्याज एवं लागत के साथ रु. 24679334.00	''व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 17, श्रीराम कॉम्प्लैक्स-11, न्यू बस्ती शिवपुरी, खुर्जा जो श्री गौरव गर्ग, पुत्र अजय कुमार गर्ग के नाम में है; एरिया 11.92 वर्ग मी.	रु. 1000000/- (रुपये दस लाख मात्र)	रु. 100000/- (रुपये एक लाख मात्र)	12.6.2019	5.9.19 (सांकेतिक कब्जा)

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः

i. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर की जायेगी।
ii. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी भी गलती, गलत-विवरण अथवा खामियों के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
iii. प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
iv. नीलामी बिक्री पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/app पर ''ई-नीलामी के द्वारा ऑन लाइन'' होगी।
v. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/app देखें एवं/अथवा श्री रामजीत मीणा मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी (मोबाईल नं. 8171113351) से सम्पर्क करें।
vi. इच्छुक बोलीदाता को उपरोक्त तालिका में वर्णित तिथि तक ''प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा अधोलिखित खाता पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, खाता नं. 4568002100002378 (आईएफएससी कोड PUNB0456800) के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। यह ड्राफ्ट किसी को-ऑपेरिटव बैंक का नहीं होना चाहिये।
vii. ईएमडी के भुगतान के बाद बोलीदाता को अधोलिखित जमा करना होगाः 1. ईएमडी के भुगतान का प्रमाण (यदि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भेजा गया हो) अथवा मूल डिमांड ड्राफ्ट (* यदि भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा किया गया हो) 2. आईडी प्रुफ अर्थात् पैन कार्ड आदि की स्कैन की गई कॉपी, 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. क) बोलीदाता का नाम, ख) मोबाईल नं./सम्पर्क नं. ग) पता, घ) ई-मेल का पता, ङ) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड, यदि कोई हो, के लिये बोलीदाता के खाता का विवरण, 5. व्यक्तियों को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं को ई-बोली के लिये उपयुक्त मैंडेट भी जमा करना होगा। बोलीदाता को ई-मेल cobsrsamd@pnb.co.in के पते पर प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के पास ईमेल द्वारा इन दस्तावेजों को जमा करना होगा तथा साथ हीं ''खाता क्रम सं. आईपी में बोली'' के रूप में शीर्षांकित मुहरबंद लिफाफे में ऊपर वर्णित पते पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों (मूल डिमांड ड्राफ्ट) के स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा।
viii. इच्छुक बोलीदाता को श्री मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबा. नं. उ.प्र.-20001 से अग्रिम में लागिन आईडी तथा पास्वर्ड भी प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिये अनिवार्य है। यह लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल के पते पर भेजा जायेगा। यदि वह बोलीदाता को प्राप्त नहीं हो तो वे उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।
ix. केवल वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) के भुगतान की संतुष्ट प्रमाण रखने वाले बोलीदाता ही ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे।
x. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नीलामी को निलम्बित/रद्द/स्थगित करने/अवरुद्ध करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
xi. बोलीदाता रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो समापन का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
xii. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी तथा बोलीदाता उपरोक्त रूप में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। ऑन लाइन नीलामी की समाप्ति के बाद उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा वह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
xiii. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो, को ऊपर क्रम सं. vi में वर्णित खाता में नीलामी का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बोली/बिक्री राशि (जिसमें धरोहर राशि शामिल नहीं है) का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में शेष 25% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
xiv. सफल बोलीदाता द्वारा 75% शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बोली की स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी निर्धारित अवधि में शेष 75% राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी के किसी भाग के प्रति अपने दावे के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
xv. यदि बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व किसी भी समय ऋणधारक या गारन्टर/रों के द्वारा/उनकी ओर से सभी लागतों, चार्जेज तथा उनके द्वारा वहन किये गये खर्चे अथवा बैंक को यथा-स्वीकार्य उसके भाग के साथ बैंक के बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री रद्द कर दी जायेगी।
xvi. पंजीकरण चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक बकायों/एटैन्डेन्ट चार्जेज/अन्य बकायों का वहन क्रेता को ही करना होगा।
xvii. बिक्री प्रमाण पत्र बिक्री का रशीद उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
xviii. जिन बोलीदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन वे ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे श्री रामजीत मीणा, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मो. नं. 8171113351) से सम्पर्क कर सकते हैं।
xix. बैंक को ज्ञात अन्य कोई अधिकार-ज्ञात नहीं। ई-नीलामी की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभार अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी भी प्रकार के बकाये के लिये प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
xx. बोलीदाता उपयुक्त इन्टरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित कर लें। यह इन्टरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर अथवा ई-नीलामी के प्रभावित करने वाले तकनीकी कारणों/आकष्मिक कारणों से किसी भी व्यवधान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस को आयोजित की जायेगी।
xxi. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस को आयोजित की जायेगी।

''बैंक ने सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत डीएम, बुलन्दशहर के पास भौतिक कब्जे के लिये आवेदन दाखिल कर दिया है।

तिथिः 15.10.2019
स्थानः खुर्जा

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक बीओ.: खुर्जा, बुलन्दशहर

epaper.jansatta.com

पश्चिम बंगाल में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

कोलकाता, 16 अक्तूबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भांगोर इलाके में एक व्यक्ति पर हमला कर भागे व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि बकिउल्ला मुल्ला ने मंगलवार देर रात भांगोर के सतुलिया बाजार इलाके में मुनीरुल इस्लाम बिस्वास पर चाकू से हमला किया, जिसमें मुनीरुल गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि मशहूर मुनीरुल खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ मिला। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के एक समूह ने मुल्ला को पीटना शुरू कर दिया।

आरटीआइ कानून में संशोधन अहितकर : लोकुर

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन लोकुर ने बुधवार को कहा कि आरटीआइ कानून में किए गए संशोधन अहितकर हो सकते हैं। 'सतर्क नागरिक संगठन' (एसएनएस) द्वारा आरटीआइ कानून पर आयोजित एक परिचर्चा में लोकुर ने कहा कि संशोधन दो महीने पहले पारित किए जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने सूचना आयुक्तों के वेतन और कार्यकाल के लिए नियम नहीं बनाए हैं। कार्यक्रम में संगठन द्वारा सूचना आयोगों की कार्यप्रणाली पर जारी रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।

...continued from previous page

C. Reconciliations of information on reportable segments to Ind AS measures

	Year ended 31 March 2019	Year ended 31 March 2018
i. Revenues		
Total revenue for reportable segments	59,911.39	-
Revenue for other segments	-	-
Elimination of inter-segment revenue	-	-
Elimination of revenue of discontinued operation	-	-
Consolidated revenue	59,911.39	-
ii. Profit before tax		
Total profit before tax for reportable segments	6,978.41	-
Profit before tax for other segments	-	-
Elimination of inter-segment profits	-	-
Elimination of profit of discontinued operation	-	-
Unallocated amounts:		
Corporate expenses	(5,739.96)	-
Consolidated profit before tax	1,238.45	-
iii. Assets		
Total assets for reportable segments	136,663.97	-
Assets for other segments	-	-
Unallocated amounts	9,131.36	-
Consolidated total assets	145,795.33	-
iv. Liabilities		
Total liabilities for reportable segments	77,432.75	-
Liabilities for other segments	-	-
Unallocated amounts	3,812.78	-
Consolidated total liabilities	81,245.53	-

C. Reconciliations of information on reportable segments to Ind AS measures (continued)

v. Other material items

Particulars	Year ended 31 March 2019			Year ended 31 March 2018		
	Reportable segment total	Adjustments totals	Consolidated	Reportable segment total	Adjustments	Consolidated
Interest revenue	-		-			-
Interest expense	-	2,463.24	2,463.24	-	-	-
Depreciation and amortisation expense	4,830.92	472.42	5,303.34	-	-	-

D. Geographical information

Particulars	Within India		Outside India		Total	
	31 March 2019	31 March 2018	31 March 2019	31 March 2019	31 March 2018	31 March 2019
External revenue by location of customers	53,029.90	-	6,881.49	-	59,911.39	-
Carrying amount of segment assets by location of assets	142,620.79	-	3,174.54	-	145,795.33	-

E. Major customer

The Group does not receive 10% or more of its revenues from transactions with any single external customer.

45. Taxation

The Group has established a comprehensive system of maintenance of information and documents as required by the transfer pricing regulations under Sections 92-92F of the Income-Tax Act, 1961. Since the law requires existence of such information and documentation to be contemporaneous in nature, the Group continuously updates its documents for the international transactions entered into with the associated enterprises during the financial year. The management is of the opinion that its international transactions are at arm's length so that the aforesaid legislation will not have any impact on the financial statements, particularly on the amount of tax expense for the year and that of provision for taxation.

46. Dues to Micro enterprises and small enterprises

	31 March 2019	31 March 2018
(a) The amounts remaining unpaid to Micro and Small suppliers as at the end of each accounting year		
- Principal	0.81	-
- Interest	-	-
(b) The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year	-	-
(c) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006	-	-
(d) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
(e) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the MSMED Act, 2006	-	-

47. Government grant (Ind AS 20). Other operating revenue includes incentives against scheme of budgetary support under Goods and Services Tax Regime for the unit set-up in Rudrapur-MDF, Uttarakhand of ₹ 876.55 lakhs (31 March 2018 ₹ Nil)

48. Scheme of Arrangement

48.1 Pursuant to the Composite Scheme of Arrangement ('the scheme') between Greenply Industries Limited (Greenply), the Holding Company and their respective shareholders and creditors as approved by the Hon'ble National Law Company Tribunal (NCLT), Guwahati Bench, vide its order dated June 28, 2019, which became effective on July 1, 2019 on filing with the Registrar of Companies, all the assets and liabilities of the 'transferred business' of Greenply i.e. the MDF manufacturing unit situated at Roudhu Suramala, Chittoor (Andhra Pradesh), MDF manufacturing unit and Plywood and allied products manufacturing unit located in a common plot at Pantnagar (Uttarakhand), registered, marketing, branch and administrative office(s) located in India and its investment in wholly owned subsidiary viz. Greenpanel Singapore Pte. Ltd. formally known as Greenply Trading Pte. Limited (registered in Singapore) excluding its investment of USD 37,50,000 (37,50,000 ordinary shares of USD 1 each) in Greenply Akomal (Singapore) Pte. Ltd. (registered in Singapore), have been transferred to and vested in the Holding Company at their respective book values on a going concern basis with effect from the appointed date (i.e. April 1, 2018). Accordingly, the Scheme of Arrangement has been given effect to in these accounts.

48.2 Assets and liabilities transferred pursuant to the scheme:

The whole of the assets and liabilities of the Demerged undertaking of Greenply became the assets and liabilities of the Holding Company and were recorded at their book values as appearing in the books of the Demerged Company with effect from the appointed date (i.e. April 1, 2018). The details of assets and liabilities transferred from Greenply are as under:

Particulars	Amount
Assets	
(1) Non-current assets	
(a) Property, plant and equipment	37,627.07
(b) Capital work-in-progress	73,348.65
(c) Other intangible assets	117.13
(d) Financial assets	
(i) Investments	10.00
(ii) Loans	1,194.27
(e) Other non-current assets	2,319.98
Total non-current assets	**114,617.10**
(2) Current assets	
(a) Inventories	10,295.48
(b) Financial assets	
(i) Trade receivables	5,064.97
(ii) Cash and cash equivalents	516.10
(iii) Other bank balances	33.65
(iv) Loans	81.44
(v) Derivatives	125.07
(vi) Other financial assets	1,501.86
(c) Other current assets	4,803.44
Total current assets	**22,425.91**
Total assets	**137,043.01**
Liabilities	
(1) Non-current liabilities	
(a) Financial liabilities	
(i) Borrowings	41,647.07
(ii) Other financial liabilities	1,057.53
(b) Provisions	786.77
(c) Deferred tax liabilities (net)	3,911.53
(d) Other non-current liabilities	4,991.70
Total non-current liabilities	**52,395.40**
(2) Current liabilities	
(a) Financial liabilities	
(i) Borrowings	3,112.51
(ii) Trade payables	8,714.78
(iii) Other financial liabilities	7,985.15
(b) Other current liabilities	3,603.65
(c) Provisions	196.89
Total current liabilities	**23,612.78**
Total liabilities	**76,008.18**

48.3 Equity and Reserves pursuant to the scheme:

Pursuant to the scheme, the difference between the book value of the assets and liabilities transferred from Greenply has been credited to the shareholders' fund of the Holding Company as under:

Particulars	Amount
Share Capital	1,226.27
Capital Reserve	59,808.56
Total	**61,034.83**

48.4 Other Matters:

a) The Holding Company shall issue and allot 12,26,27,395 equity shares of Re. 1 (Indian Rupee one only) to the shareholders of Greenply whose names appear in the register of members of Greenply as on the record date, 1 (one) equity share of Re. 1 (Indian Rupees one only) each, credited as fully paid up for every 1 (one) equity share of Re. 1 (Indian Rupees one only) each held by them in Greenply. Till the allotment, the same would appear in share suspense account. Since the effect of demerger has been given in the financials, 10,00,000 equity shares of Re. 1 each allotted to Greenply has been cancelled and the Holding Company has ceased to be subsidiary of Greenply.

b) The transactions between the appointed date upto to the effective date as appearing in the books of accounts of Greenply have been deemed to have been made by the Holding Company.

c) All costs, charges and expenses including stamp duties arising out of or incurred so far in carrying out and implementing this Scheme and matters incidental thereto, have been borne by Greenply and the Holding Company in the ratio of 1:1.

d) The immovable assets of the Holding Company stands freed from all charges, mortgages and encumbrances relating to liabilities relating to Greenply. But, Greenply had created charges over its immovable assets (including those which now belong to the Holding Company) under the Companies Act, 2013 in respect of certain credit facilities taken from various banks for itself and for various undertakings of the Holding Company. As the legal ownership of the immovable assets have not yet been transferred to the Holding Company, Greenply continues to enjoy credit facilities by the subsisting charges, mortgages and encumbrances over such assets. Vice Versa, the Holding Company enjoys credit facilities by the subsisting charges, mortgages and encumbrances over immovable assets belonging to Greenply. Till creation/modification/satisfaction of Charges, as the case may be, in favour of the various banks/secured creditors of the respective Companies in terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the banks/secured creditors of the Holding Company shall continue to hold their respective charge over the immovable assets of Greenply.

e) Although, pursuant to the scheme of arrangement, the immovable properties belonging to the demerged undertakings of Greenply vest in and/or deemed to be transferred to and vested in the Holding Company, the mutation of title/assignment of leases thereof in the name of the Holding Company are yet to be made and recorded by the appropriate authorities. Notwithstanding the same, the Holding Company exercises all rights and privileges and pays ground rent, municipal taxes and fulfils all obligations, in relation to or applicable to such immovable properties.

f) Mr. Shiv Prakash Mittal and Mr. Shobhan Mittal, Directors of the company would be appointed as Executive Chairman and Managing Director & CEO respectively in the board meeting to be held on 19 July 2019. As such they have been included as Key Managerial Personnel (KMP), since they have a significant influence over the operating and financial decisions making roles. Hence, the remuneration paid to them during FY 2018-19 has been disclosed as related party transaction.

49. Distribution made and proposed dividend (Ind AS 1)

Proposed dividends on equity shares are subject to approval at the annual general meeting and are not recognised as a liability (including dividend distribution tax thereon) as at 31 March 2019. Since no dividend has been proposed in the current and previous year, financial figures with respect to the same has not been given.

50. The consolidated financial statements of the previous year was not required to be prepared since there was no entity for the purpose of consolidation.

51. The figures stated in the current year are not comparable with those of previous period for the reasons that (a) the figures for the previous period were since incorporation of the Holding Company on December 13, 2017 to March 31, 2018; and (b) in the current year, effect has been given to Scheme of Arrangement as approved by the National Company Law Tribunal. The figures for the previous period are re-classified/ re-arranged / re-grouped, wherever necessary so as to be in conformity with the figures of the current period's classification/disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors of Greenpanel Industries Limited

Sd/-

Shiv Prakash Mittal

Executive Chairman

Place: Kolkata

Date: October 14, 2019

Adbeptex 292

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्किल कार्यालयः बुलन्दशहर

पताः यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203001

मो.: 9897912444, फोनः 05732-281724, ईमेलः cobsrsamd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत आम जनता के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना, अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाया नीचे वर्णित ऋणों की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 18.11.2019 को बिक्री की जायेगी। ज्ञात अधिभारों के साथ अचल सम्पत्ति का संबंधित विवरण नीचे वर्णित है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया 1) https://www.pnbindia.in, 2) https://www.pnbindia.biz, 3) https://eprocure.gov.in/epublish/app देखें।

ई-नीलामी की अनुसूची

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
14.11.2019 (गुरुवार) 12.00 बजे अप. से 16.00 बजे अप.	15.11.2019 (शुक्रवार) 16.00 बजे अप. तक	18.11.2019 (सोमवार) 12 बजे दोप. से 14.00 बजे अप.

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	सम्पत्ति के स्वामी/ मार्टगैजरों का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	गिरवी सम्पत्ति(यों) का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि
1.	मै. वीना वादिनी एडुकेशनल फाउण्डेशन, शाखाः खुर्जा बुलन्दशहर	श्री संजय कुमार गुप्ता एवं अन्य	1.5.2019 से देय आगे के ब्याज तथा चार्जेज के साथ रु. 35796106.00	सिकन्दराबाद से खुर्जा रोड, पुराना जीटी रोड, ग्राम धरौन, बुलन्दशहर, गाता नं. 79, खाता नं. 123 में भूमि, एरिया 3182 वर्ग मी. > गाता नं. 80 एम, खाता नं. 156, एरिया 3480 वर्ग मी में भूमि > गाता नं. 80 एम, खाता नं. 156 तथा गाता नं. 80 एम, खाता नं. 182, एरिया 3923 वर्ग मी. में भूमि > गाता नं. 80 एम, खाता नं. 156 तथा गाता नं. 80 एम, खाता नं. 182, एरिया-3923 वर्ग मी. में भूमि > गाता नं. 119, खाता नं. 188, एरिया-1900 वर्ग मी. में भूमि > गाता नं. 80 एम, खाता नं. 182, एरिया 2183 वर्ग मी. में भूमि, कुल क्षेत्रफल 18591 वर्ग मी.	रु. 55000000/- (रु. पांच करोड़ पचास लाख मात्र)	रु. 5500000/- (रु. पचपन लाख मात्र)	12.6.2019	5.9.19 (सांकेतिक कब्जा)
2.	मै. वीना वादिनी एडुकेशनल फाउण्डेशन, शाखाः खुर्जा बुलन्दशहर	श्री रोहित कुमार गुप्ता पुत्र कैलाश चन्द्र गुप्ता	1.5.2019 से देय आगे के ब्याज तथा चार्जेज के साथ रु. 35796106.00	होली ब्रहमनान, खुर्जा, पर.-तह.-खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, क्षेत्रफल 143.68 वर्ग मी. में स्थित आवासीय मकान सं. 223, चौहद्दीः पूर्व- श्री बेलीराम तथा श्री रविन्द्र कुमार का मकान, पश्चिम- गली 10' जिसके बाद श्री कैलाश चन्द गुप्ता, उत्तर- न्यू इंडिया प्रिन्टिंग प्रेस (श्री कैलाश चन्द गुप्ता) दक्षिणः श्रीमती कुसुम देवी एवं नरेन्द्र कुमार	रु. 2400000/- (रु. चौबीस लाख मात्र)	रु. 240000/- (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)	12.6.2019	5.9.19 (सांकेतिक कब्जा)
3.	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन बीओः खुर्जा, बुलन्दशहर	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन	1.5.19 से देय आगे के ब्याज एवं लागत के साथ रु. 24679334.00	सुभाष चन्द्र गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन (पंजीकृत ट्रस्ट) के नाम में शिकारपुर, खुर्जा रोड तथा गवन लिंक रोड के जंक्शन, ग्राम- कलाखुरी, तहसील खुर्जा, खेत नं. 28, 30 एवं 24 में स्थित भूमि एवं भवन, एरिया 24670 वर्ग मी.	रु. 60000000/- (रुपये छः करोड़ मात्र)	रु. 6000000/- (रुपये साठ लाख मात्र)	12.6.2019	5.9.19 (सांकेतिक कब्जा)
4.	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन बीओः खुर्जा, बुलन्दशहर	मै. सुभाष चन्द गुप्ता अजय गर्ग फाउण्डेशन	1.5.19 से देय आगे के ब्याज एवं लागत के साथ रु. 24679334.00	''व्यावसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 17, श्रीराम कॉम्प्लैक्स-11, न्यू बस्ती शिवपुरी, खुर्जा जो श्री गौरव गर्ग, पुत्र अजय कुमार गर्ग के नाम में है; एरिया 11.92 वर्ग मी.	रु. 1000000/- (रुपये दस लाख मात्र)	रु. 100000/- (रुपये एक लाख मात्र)	12.6.2019	5.9.19 (सांकेतिक कब्जा)

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः

i. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर की जायेगी।

ii. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी भी गलती, गलत-विवरण अथवा खामियों के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।

iii. प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।

iv. नीलामी बिक्री पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/app पर ''ई-नीलामी के द्वारा ऑन लाइन'' होगी।

v. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/app देखें एवं/अथवा श्री रामजीत मीणा मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी (मोबाईल नं. 8171113351) से सम्पर्क करें।

vi. इच्छुक बोलीदाता को उपरोक्त तालिका में वर्णित तिथि तक ''प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा अधोलिखित खाता पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, खाता नं. 4568002100002378 (आईएफएससी कोड PUNB0456800) के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। यह ड्राफ्ट किसी को-ऑपेरिटव बैंक का नहीं होना चाहिये।

vii. ईएमडी के भुगतान के बाद बोलीदाता को अधोलिखित जमा करना होगाः 1. ईएमडी के भुगतान का प्रमाण (यदि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भेजा गया हो) अथवा मूल डिमांड ड्राफ्ट (* यदि भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा किया गया हो) 2. आईडी प्रुफ अर्थात् पैन कार्ड आदि की स्कैन की गई कॉपी, 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. क) बोलीदाता का नाम, ख) मोबाईल नं./सम्पर्क नं. ग) पता, घ) ई-मेल का पता, ङ) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड, यदि कोई हो, के लिये बोलीदाता के खाता का विवरण, 5. व्यक्तियों को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं को ई-बोली के लिये उपयुक्त मैंडेट भी जमा करना होगा। बोलीदाता को ई-मेल cobsrsamd@pnb.co.in के पते पर प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के पास ईमेल द्वारा इन दस्तावेजों को जमा करना होगा तथा साथ हीं ''खाता क्रम सं. आईपी में बोली'' के रूप में शीर्षांकित मुहरबंद लिफाफे में ऊपर वर्णित पते पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों (मूल डिमांड ड्राफ्ट) के स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा।

viii. इच्छुक बोलीदाता को श्री मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबा. नं. उ.प्र.-20001 से अग्रिम में लागिन आईडी तथा पास्वर्ड भी प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिये अनिवार्य है। यह लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल के पते पर भेजा जायेगा। यदि वह बोलीदाता को प्राप्त नहीं हो तो वे उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।

ix. केवल वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) के भुगतान की संतुष्ट प्रमाण रखने वाले बोलीदाता ही ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे।

x. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नीलामी को निलम्बित/रद्द/स्थगित करने/अवरुद्ध करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।

xi. बोलीदाता रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो समापन का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।

xii. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी तथा बोलीदाता उपरोक्त रूप में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। ऑन लाइन नीलामी की समाप्ति के बाद उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा वह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।

xiii. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो, को ऊपर क्रम सं. vi में वर्णित खाता में नीलामी का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बोली/बिक्री राशि (जिसमें धरोहर राशि शामिल नहीं है) का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में शेष 25% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।

xiv. सफल बोलीदाता द्वारा 75% शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बोली की स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी निर्धारित अवधि में शेष 75% राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी के किसी भाग के प्रति अपने दावे के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

xv. यदि बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व किसी भी समय ऋणधारक या गारन्टर/रों के द्वारा/उनकी ओर से सभी लागतों, चार्जेज तथा उनके द्वारा वहन किये गये खर्चे अथवा बैंक को यथा-स्वीकार्य उसके भाग के साथ बैंक के बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री रद्द कर दी जायेगी।

xvi. पंजीकरण चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक बकायों/एटैन्डेन्ट चार्जेज/अन्य बकायों का वहन क्रेता को ही करना होगा।

xvii. बिक्री प्रमाण पत्र बिक्री का रशीद उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें बोली जमा की गई हो।

xviii. जिन बोलीदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन वे ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे श्री रामजीत मीणा, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मो. नं. 8171113351) से सम्पर्क कर सकते हैं।

xix. बैंक को ज्ञात अन्य कोई अधिकार-ज्ञात नहीं। ई-नीलामी की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभार अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी भी प्रकार के बकाये के लिये प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।

xx. बोलीदाता उपयुक्त इन्टरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित कर लें। यह इन्टरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर अथवा ई-नीलामी के प्रभावित करने वाले तकनीकी कारणों/आकष्मिक कारणों से किसी भी व्यवधान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस को आयोजित की जायेगी।

xxi. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस को आयोजित की जायेगी।

''बैंक ने सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत डीएम, बुलन्दशहर के पास भौतिक कब्जे के लिये आवेदन दाखिल कर दिया है।

तिथिः 15.10.2019

स्थानः खुर्जा

प्राधिकृत अधिकारी,

पंजाब नेशनल बैंक बीओ.: खुर्जा, बुलन्दशहर

epaper.jansatta.com

पीएमसी बैंक घोटाला

तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे

मुंबई, 16 अक्तूबर (भाषा)।

मुंबई की एक अदालत ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में बुधवार को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राकेश वाधवन और उनके बेटे सारंग और बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को 23 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच बैंक के कई खाताधारक अदालत के बाहर प्रदर्शन करके अपना पैसा जल्द से जल्द वापस दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं।

पंजाब एंड महाराष्ट्र को - ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को बुधवार को महानगर मजिस्ट्रेट एसजी शेख के समक्ष पेश किया। बुधवार को तीनों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों को 23 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीएमसी बैंक में 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने के आरोप में वाधवन और उनके बेटे को तीन अक्तूबर और सिंह को पांच अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था।

इसी बीच, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) घोटाले की जांच के सिलसिले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया। जांच अधिकारियों की एक टीम ने पुलिस मुख्यालय में अरोड़ा से पूछताछ की। अरोड़ा बैंक की ऋण समिति के सदस्य थे।

एक अधिकारी ने कहा कि हम इस बैंक में ऋण जारी करने की प्रक्रिया का ब्योरा जानने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई पुलिस की यह एजंसी अब तक इस मामले में जमीन-जायदाद का करोबार करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी हाउसिंग डेपलमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि (एचडीआइएल) समूह के प्रवर्तकों राकेश और सारंग वाधवन, बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह और इसके पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

लगातार चौथे दिन शेयर बाजारों में तेजी, सूचकांक 93 अंक चढ़ा

मुंबई, 16 अक्तूबर (भाषा)।

मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच वित्त, ईंधन व आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी के चलते बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन मजबूती दर्ज की गई। बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक में 250 अंकों की उथल-पुथल रही। कारोबार समाप्त होने पर इसमें 92.90 अंक यानी 0.24 फीसद की तेजी रही और यह 38,598.99 अंक पर बंद हुआ।

एनएसई का निफ्टी भी 35.70 अंक यानी 0.31 फीसद की बढ़त के साथ 11,464.55 अंक पर बंद हुआ। ब्रोकरों ने कहा कि विप्रो और एसीसी जैसी कंपनियों के मजबूत परिणाम से निवेशकों की धारणा को बल मिला। बहरहाल, वृहद आर्थिक परिदृश्य नरम बना हुआ है।

सूचकांक की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, येस बैंक, एचडीएफसी, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, आइसीआइसीआइ बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3.57 फीसद तक की तेजी रही। हालांकि, हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, आईटीसी, पावरग्रिड, भारतीय स्टेट बैंक और टाटा मोटर्स के शेयरों में 2.73 फीसद तक की गिरावट रही। सैंकटम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा- वैश्विक बाजार स्थिर रहे हैं लेकिन भारतीय बाजार लगातार चौथे दिन मजबूत हुए। कंपनियों के तिमाही परिणाम का दौर उम्मीद से बेहतर शुरू हुआ है। नरमी की नकारात्मक धारणा रहने के बाद भी मांग को लेकर जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है और इसमें सुधार आ रहा है। अगर त्योहारी मौसम के शुरुआती आंकड़ों पर यकीन करें तो मांग उतनी बुरी स्थिति में नहीं है। बीएसई में तेल व गैस, रियल्टी, ईंधन, प्रौद्योगिकी, आइटी, दूरसंचार, वित्त और स्वास्थ्य व चिकित्सा में 1.20 फीसद तक की तेजी रही। विद्युत, यूटिलिटीज, धातु, पूंजीगत वस्तुएं और वाहन समूह में 1.06 फीसद तक की गिरावट रही। बीएसई मिडकैप 0.14 फीसद गिर गया जबकि स्मालकैप 0.21 फीसद बढ़त में रहा।

एशियाई बाजारों में हांग कांग का हैंग सेंग, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्की बढ़त में रहा। दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार कारोबार के दौरान गिरावट में चल रहे थे। रुपया 17 पैसे की बढ़त के साथ 71.37 रुपए प्रति डॉलर पर चल रहा था।

Proclamation Requiring Attendance of Defendant
(Order 5 Rule 20 of The Code of Civil Procedure)

In the Court of Sh. Nikhil Chopra, ADJ-02 (South), Room No.-606 Saket Court Complex, New Delhi.

CS (COMM) No. 139/2019
Syndicate Bank ... Plaintiff
vs
Nisha Bhandari & ANR. ..... Defendant

To
Ms. Nisha Bhandari (Defendant No. 1)
W/o Shri Rohit Bhandari
WZ-44/2, Street No. 16, Krishna Puri,
Tilak Nagar, New Delhi-110018

WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **17th** day of **October, 2019** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parties.

Given under my hand & the seal of the Court this **18.09.2019.**

Additional District Judge (Seal)

गोविंद सुगर मिल्स लिमिटेड
CIN: L15421DL1952PLC354222
पंजीकृत कार्यालय : बिरला मिल कॉम्पलेक्स, पोस्ट- बिरला लाइन्स, जी.टी. रोड, क्लॉक टावर के नजदीक, कमला नगर, उत्तरी दिल्ली- 110007
ई-मेल : ig.gsml@adventz.com
वेबसाइट : www.gobindsugar.com

सेबी (सूचीयन देयताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमन, 2015 के नियम 29 व 33 के साथ पठित नियम 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार 04 नवंबर, 2019 को होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही व छमाही हेतु कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिलेखन किया जाएगा।

सूचीयन विनियमन के नियम 46 के अनुसार यह सूचना कंपनी की वेबसाइट : www.gobindsugar.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट : www.msei.in पर भी उपलब्ध है।

वास्ते **गोविंद सुगर मिल्स लिमिटेड**
हस्ता/-
स्थान : गुरुग्राम **लक्ष्मण अग्रवाल**
दिनांक : 16.10.2019 **कंपनी सचिव**

प्रपत्र "ए"
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
मोड एडवरटाइजिंग ऐंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मोड एडवरटाइजिंग ऐंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	11-11-1993
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/कंपनी पंजीयन पहचान संख्या	U74899DL1993PTC058028
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	सी-40-44, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	15-10-2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	12-04-2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	सी.ए. मधु जुनेजा IBBI/IPA-001/IP-P00044/2017-18/10118
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है।	4704, अशोक एन्क्लेव, प्लॉट नंबर 85, सेक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-110075 (भारत) ई-मेल : madhujun84@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	4704, अशोक एन्क्लेव, प्लॉट नंबर 85, सेक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-110075 (भारत) ई-मेल : madeadirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	30-10-2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के खंड (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	कुछ नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अपेक्षित प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विधिमान्य ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र पर उपलब्ध है :	www.ibbi.gov.in/downloadforms.html तथा 4704, अशोक एन्क्लेव, प्लॉट नंबर 85, सेक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-110075

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 15-10-2019 को **मोड एडवरटाइजिंग ऐंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

मोड एडवरटाइजिंग ऐंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 30-10-2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष उपर **प्रविष्टि सं. 10** के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फार्मों अथवा साक्ष्य प्रमाण की प्रस्तुति दर्शनीय होगी।

तिथि : 17-10-2019
स्थान : नई दिल्ली
इसा./-
(सी.ए. मधु जुनेजा)

वसूली अधिकारी-II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. सं. 520/2018
बिक्री उद्घोषणा
बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स बिलियनेयर डायमंड्स प्रा. लिमिटेड
ऋण की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी#1 मैसर्स बिलियनेयर डायमंड्स प्रा. लिमिटेड, इसके निदेशक के माध्यम से 2695, गैस अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005
सीडी#2 श्री प्रदीप सोनी पुत्र श्री टी. एम. सुनार, फ्लैट एम.जी.-26, पीतमपुरा, नई दिल्ली -110088
इसके अलावा: पता जी / जेडू -83, सी. पीतमपुरा, नई दिल्ली -110088
इसके अलावा: 2695, गैस अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005
सीडी#3 श्रीमती किरण सोनी पत्नी श्री प्रदीप सोनी, फ्लैट एम.जी.-26, पीतमपुरा, नई दिल्ली -110088
इसके अलावा: पता जी / जेडू -83, सी. पीतमपुरा, नई दिल्ली -110088
इसके अलावा: 2695, गैस अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005

चूंकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा पारित वसूली प्रमाणपत्र 520/2018 दिनांक 04.01.2019 के अनुसार **रु 28,34,90,523.82/- (रुपए अट्ठाइस करोड़ चौंतीस लाख नब्बे हजार पांच सौ तेईस और पैसे बयासी मात्र)** की राशि आपके पास पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा जारी बोली वसूली प्रमाणपत्र ओए सं. 316/2016 के अनुसार बकाया है अर्थात **रु 28,33,40,523.82/- (रुपए अट्ठाइस करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार पांच सौ तेईस और पैसे बयासी मात्र)** के साथ 23.06.2016 की तिथि से रु. 1,50,000/- लागत के साथ वसूली की तिथि तक आगे ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से आज सभी शीर्षों से संयुक्त रूप से और अलग-अलग की वसूली करने का हकदार है।

2. और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित वसूली प्रमाणपत्र के साक्ष्य में अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के आदेश दिये हैं।

3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में **21.11.2019 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे** के बीच (यदि जरूरी हो, सम्पत्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा एक बोली **"ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली"** द्वारा **मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., एडमोन विहार, फेज-2, बिल्डिंग नंबर 301, गुरुग्राम, हरियाणा - 122015, सम्पर्क नंबर 7291981124/25/26 ई-मेल : support@bankeauctions.com सम्पर्क व्यक्ति : श्री विनोद चौहान मोबाइल नंबर 9513887931, ई-मेल : delhi@c1india.com** के द्वारा की जाएगी।

4. उपरोक्त नामित बोली के नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री जाएगी और कथित सम्पत्ति पर देनदारियां एवं दावे जिनके बारे में अब तक पता चला है उन्हें प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

5. अनुसूची में निर्दिष्टित सम्पत्ति के लॉट बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग की बिक्री पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। बिक्री को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि बिक्री आयोजित करने वाले अधिकारी को कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की कीमत सहित) की वसूली हो जाती है या अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी से पहले प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।

6. कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी त्रुटि बिक्री से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

7. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आगे की शर्तों का पालन करते हुए की जाएगी।

7.1 अनुसूची में निर्दिष्टित विवरण अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किये गये हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर जवाबदेय नहीं होगा।

7.2 आरक्षित मूल्य जिससे कम मूल्य पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी वह इस प्रकार है:

लॉट सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रु. में)
1.	मूतल और गण्डानाइन मंजिल और पहली मंजिल की संपत्ति प्राइवेट नंबर जी -12, ब्लॉक -1, देशबंधु गुप्ता रोड, अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	4,00,00,000/-	40,00,000/-

7.3 इच्छुक बोलीदाता जो वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II दिल्ली के कार्यालय में **19.11.2019 को सांय 4.00 बजे** तक पैन कार्ड, पहचान पत्र, पते का प्रमाण आदि और कम्पनी के मामले में कम्पनी के प्रतिनिधि/अटार्नी की पुष्टि के लिए कम्पनी के बोर्ड संकल्प द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या अन्य कोई दस्तावेज के साथ अपनी बोली, जो आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो जमा करेंगे, केवल उन्हें **21.11.2019 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे** के बीच आयोजित ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। व्यक्तिगत के मामले में, बोलीदाता स्वयं या अपने प्रधान व्यक्ति की ओर से बोली लगाने के संबंध में एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। बाद में बोलीदाता को एक प्राधिकार पत्र जमा करना होगा और असफल रहने पर बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जाएगी। यदि नीलामी खत्म होने के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है तो समाप्त अवधि स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित कर दी जाएगी।

7.4 बोली राशि रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) के गुणांक में बढ़ायी जाएगी।

7.5 असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद **कार्यालय वसूली अधिकारी- II, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएच, अर्थात बैंक ऑफ इण्डिया** से अपनी ईएमडी वापिस प्राप्त कर सकते हैं।

7.6 सफल/उच्चतम बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली/बिक्री की 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी को समायोजित करने के बाद, वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता **आर.सी. सं. 520/2018** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर तैयार करना होगा और **अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 04.00 बजे तक** जमा करनी होगी।

7.7 सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी बिक्री की तिथि से 15वें दिन के अन्दर या 15वें दिन अवकाश पड़ता है तो इसके बाद आने वाले पहले दिन वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता **आर.सी. सं. 520/2018** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ रजिस्ट्रार, डीआरटी-II दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2 प्रतिशत की दर से पार्सल शुल्क और रु. 1000/- से अधिक सकल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पार्सल शुल्क को जमा करना होगा (डाक द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने पर वह उपरोक्त अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)।

7.8. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे तथा मान्य होंगे।

8. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है"** तथा **"जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।

9. सीएच बैंक/सीएच वित्तीय संस्था को यहां ऊपर दिए विवरण की सत्यता की जांच तथा प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है।

10. अधोहस्ताक्षरी द्वारा निलामी अव्यवहारिक पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रस्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्ति की अनुसूची

क्र. सं.	बिक्री की जा रही सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण
1.	मूतल और गण्डानाइन मंजिल और पहली मंजिल की संपत्ति प्राइवेट नंबर जी -12, ब्लॉक -1, देशबंधु गुप्ता रोड, अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक 04.10.2019 को जारी किया गया।
(अविनाश चन्द)
वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

मास्टरकार्ड ने शुरू किया कैशलेस अभियान

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महेंद्र सिंह धोनी, कैट के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल व मास्टरकार्ड के दक्षिण-पूर्व एशिया के सह-अध्यक्ष आरी सरकार ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कैशलेस अभियान शुरू किया, जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
15 एनबीसीसी टॉवर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 011-26164817/26197769, टेलीफैक्स : 26171554
ई-मेल आईडी : recovery_del@mahabank.co.in

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 का वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (सरफाएशी अधिनियम) के तहत आस्तियों के विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

सरफैसी अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में तथा निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गिरवीकर्ताओं की प्रतिभूत आस्तियों के कब्जे के अनुसार सम्बद्ध कर्जदारों/गिरवीकर्ताओं, उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों, जैसी स्थिति हो, सहित जनसामान्य तथा सभी सम्बद्धों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे सूचीबद्ध सम्पत्तियों के क्रय हेतु ऑनलाइन संविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	कर्जदार/जमानती का नाम तथा पता	सम्पत्ति लॉट सं.	सम्पत्ति का विवरण	जमा धरोहर राशि-रु.	आरक्षित मूल्य-रु.
1.	1. मैसर्स शुभम स्टार्च केम. प्रा.लि., 59/17, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 साथ ही : 287-सी, एचएसआईडीसी, सेक्टर-59, फरीदाबाद, हरियाणा 2. श्री आनन्द अग्रवाल (जमानती), 414, सेक्टर-8, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 3. श्रीमती नीता अग्रवाल (जमानती) 414, सेक्टर-8, फरीदाबाद, हरियाणा-121006, 4. श्री आकाश अग्रवाल, 414, सेक्टर-8, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 5. श्री राकेश कुमार गुप्ता, मकान नं. 213, सेक्टर-7ए, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, 6. मैसर्स आकाश इण्टरनेशनल (एचयूएफ), 414, सेक्टर-8, फरीदाबाद, हरियाणा-121006, 7. मैसर्स तिरुपति इण्डस्ट्रियल केमिकल प्रा.लि., 287-सी, एचएसआईडीसी, सेक्टर-59, फरीदाबाद, हरियाणा 8. मैसर्स कार्तिक इण्डस्ट्रीज, 414, सेक्टर-8, फरीदाबाद, हरियाणा।	1.	प्लॉट सं. 414, सेक्टर-8, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा पर भूतल और निर्मित डेढ़ मंजिला आवासीय भवन जिसका क्षेत्रफल 258.33 वर्ग गज है और जो श्री आनन्द अग्रवाल पुत्र श्री एम.के. अग्रवाल के नाम पर है।	रु. 12.50 लाख सम्पत्ति हमारे भौतिक कब्जे में है ई-नीलामी की तिथि उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रु. 125.00 लाख 29.11.2019 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार
बकाया राशि (रु. में)-रु. 10,28,65,900/- (रुपये दस करोड़ अट्ठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ मात्र) और उस पर 04.07.2014 से भावी ब्याज, 04.07.2014 के पश्चात वसूली घटाकर, यदि कोई हो।					
2.	1. मैसर्स लॉटे इलेक्ट्रॉनिक्स लि. 1/24, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 साथ ही : प्लॉट सं. 35बी, उद्योग विहार इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा-201306 तथा 539-542, ग्राम किशनपुर, नालन्दा रोड, तहसील किच्चा, जिला, यू.एस. नगर, उत्तराखण्ड एवं डब्ल्यूबी-501/ए, 304 तीसरी मंजिल, रोशनी कॉम्पलेक्स, शिव मार्केट, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052. 2. मैसर्स कोर्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) लिमिटेड, 1/24, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 साथ ही : श्री यंग मैन यून, 4जी, मैरीगोल्ड मैंशन, ताईकूशिंग, हांगकांग 3. श्री यंग मैन यून पुत्र जिक यून प्लॉट नं. 501, टॉवर नं. 11, एनआरअई सिटी ग्रेटर नोएडा साथ ही : डी-35, सेक्टर-51, नोएडा-201301, 4. श्री किम येओंग सुंग, 10/एफ, बीएलके 47, 550555 विक्टोरिया रोड बैगुइयो विला पोक फू लाम000000 हांगकांग 5. श्री किल ह्वान ली 2/एफ, ब्लॉक 31, बैगुइयो विला 550 विक्टोरिया रोड पोकफुलाम 000000 हांगकांग	2.	खेत सं. 539, 540, 541 एवं 542, ग्राम किशनपुर, तहसील-किच्चा, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, कवर्ड एरिया-9183.281 वर्ग मी, प्लॉट एरिया-16753.99 वर्ग मी, मैसर्स लॉट्टे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. के नाम पर।	रु. 81.63 लाख सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है ई-नीलामी की तिथि उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रु. 816.28 लाख 29.11.2019 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार
बकाया राशि (रु. में)-रु. 14,78,46,488/- (रुपये चौदह करोड़ अठहत्तर लाख छियालीस हजार चार सौ अट्ठासी मात्र) और उस पर 11.01.2014 से भावी ब्याज, 11.01.2014 के पश्चात वसूली घटाकर, यदि कोई हो।					
3.	1. मैसर्स ऑर्बिट मेटल इण्डस्ट्रीज (प्रो. श्री संजय गुप्ता) लेन नं.-3, फेज-II, एसआईडीसीओ इण्डस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, बाड़ी ब्राह्मणा जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) (साथ ही) मैसर्स ऑर्बिट मेटल इण्डस्ट्रीज, 5-ए, महालक्ष्मी मार्केट, भगीरथ पैलेस, चाँदनी चौक, दिल्ली-06, 2. श्री संजय गुप्ता, 13ए/45, माल रोड, दिल्ली-54, 3. श्री तुला राम गुप्ता, 13ए/45, माल रोड, दिल्ली-54 (साथ ही) श्री तुला राम गुप्ता, दुकान, निजी नं. 11 एवं 11ए, भूतल, भवन सं.-1853 (अंश), बिस्सोमल कॉलोनी, नगर निगम वार्ड सं.-02, अब 'सूर्या बाजार', भगीरथ पैलेस, चाँदनी चौक, दिल्ली-06 के नाम से, मैसर्स ऑर्बिट मेटल इण्डस्ट्रीज, प्लॉट सं.-79 एसआईसीओपी, इण्डस्ट्रियल एस्टेट बीरपुर, जिला-साम्बा, जम्मू।	3.	दुकान (बड़ी) प्राइवेट सं.-11 एवं 11ए (टेरेस/रूफ राइट के बिना)। भवन सं.-1853 (अंश) के भूतल पर, बिस्सोमल कॉलोनी, नगर निगम वार्ड सं.-02 जो अब 'सूर्या बाजार', भगीरथ पैलेस, चाँदनी चौक, दिल्ली-06 के नाम से है पर स्थित (स्वामी का नाम-श्री तुला राम गुप्ता)	रु. 7.65 लाख सम्पत्ति हमारे भौतिक कब्जे में है ई-नीलामी की तिथि उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रु. 76.41 लाख 29.11.2019 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार
बकाया राशि (रु. में)-रु. 7,20,73,570.09/- (रुपये सात करोड़ बीस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ सत्तर एवं नौ पैसे मात्र) और उस पर 23.05.2018 से भावी ब्याज, 23.05.2018 के पश्चात वसूली घटाकर, यदि कोई हो।					
प्लॉट सं. 1 से 3 के लिए शाखा कार्यालय : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट शाखा शाखा 011-23389879, ई-मेल : bom1456@mahabank.co.in; recovery_del@mahabank.co.in, अधिकृत प्राधिकारी - श्री राधेश्याम बंसल, मोबाइल नं. : 9650566766					
4.	1. मैसर्स परिवर्तन बिल्डटेक प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 96, दूसरी मंजिल, साई एन्कलेव, सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-110075. कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 902, सेक्टर सं. 51, ग्राम समसपुर, गुरुग्राम, हरियाणा-122 001, 2. श्री परिवर्तन सिंह, प्लॉट सं. 902, सेक्टर सं. 51, ग्राम समसपुर, गुरुग्राम, हरियाणा-122 001, 3. श्री राजा भोज, 902, सेक्टर सं. 51, ग्राम समसपुर, गुरुग्राम, हरियाणा-122 001, 4. श्री धरमवीर सिंह, मकान नं. 23, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा-124 001, साथ ही : मकान नं. 1012बी, सेक्टर-1, रोहतक, हरियाणा, 5. श्रीमती परवीन दहिया, मकान नं. 23, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा-124 001. साथ ही : मकान नं. 1012बी, सेक्टर-1, रोहतक, हरियाणा, 6. श्री सिद्धान्त दहिया, मकान नं. 23, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा-124 001	4.	फ्रीहोल्ड प्लॉट मकान नं. 22, सेक्टर-1, रोहतक पर आवासीय सम्पत्ति, क्षेत्रफल 420 वर्ग मी, श्री धरमवीर सिंह दहिया तथा श्रीमती परवीन दहिया के नाम पर।	रु. 29.00 लाख सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है ई-नीलामी की तिथि उस तिथि को ई-नीलामी का समय	रु. 290.00 लाख 29.11.2019 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक (भा.मा.स.) प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार
		5.	फ्रीहोल्ड प्लॉट मकान नं. 23, सेक्टर-1, रोहतक पर आवासीय सम्पत्ति, क्षेत्रफल 420 वर्ग मी, श्री धरमवीर सिंह दहिया तथा श्रीमती परवीन दहिया के नाम पर।	रु. 30.40 लाख सम्पत्

मेक्सिको में हुए हमलों में 28 लोगों की मौत

मोरेलिया (मेक्सिको), 16 अक्तूबर (एएफपी)।

मेक्सिको में शक्तिशाली ड्रग माफिया द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या और गोलीबारी की अन्य घटना में 15 व्यक्तियों की मौत के बीच राष्ट्रपति एंदरेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हिंसक अपराध से लड़ने की अपनी रणनीति का बचाव किया।

मिशोआकन राज्य की राजधानी मोरेलिया में सोमवार के हमले में मारे गए 13 पुलिस अधिकारियों के सामूहिक अंतिम संस्कार के दौरान उनके परिजन रोते दिखे जबकि उनमें से कुछ ने हाथों में उन बच्चों को पकड़ रखा था जिनके पिता की इस गोलीबारी में मौत हो गई थी।मंगलवार को इस दक्षिणी राज्य में सशस्त्र असैनिकों के समूह ने सुरक्षाबलों पर हमला किया जिसमें 14 आम नागरिकों और एक सैनिक की मौत हो गई।

अमेरिकी सदन में 'हांगकांग लोकतंत्र अधिनियम' पास

वाशिंगटन, 16 अक्तूबर (एएफपी)।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की मांग वाले एक विधेयक को पास कर दिया, जिसका उद्देश्य उस अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। इस कदम पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

'हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम' को अब सीनेट में पेश किया जाएगा, जहां से पारित होने के बाद यह कानून बन जाएगा। विधेयक को कांग्रेस में द्विदलीय समर्थन मिला जो दुर्लभ बात है।

यह कानून हांगकांग-अमेरिका के विशेष व्यापारिक दर्जे को समाप्त कर देगा जब तक कि विदेश विभाग सालाना यह प्रमाणित नहीं कर देता कि शहर के अधिकारी मानवाधिकारों और कानून व्यवस्था का सम्मान कर रहे हैं।

इस विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति को उन लोगों की पहचान करने और उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है जो हांगकांग में स्वायत्तता और मानवाधिकारों के गंभीर हनन के लिए जिम्मेदार हैं। चीन ने इस विधेयक के पारित होने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने एक बयान में कहा, 'हांगकांग के सामने कथित मानवाधिकार और लोकतंत्र का मुद्दे बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि जल्द से जल्द हिंसा को रोकने, व्यवस्था को बहाल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का मुद्दा है।' गेंग ने कहा कि अमेरिका को इस मामले में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए। उन्होंने आगाह भी किया कि चीन प्रस्तावित हांगकांग विधेयक से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगा।

मंगलवार को सदन के पटल पर विधेयक पेश करने वाले इसके प्रमुख प्रस्तावक रिपब्लिकन सांसद क्रिस स्मिथ ने कहा, 'आज हम चीनी राष्ट्रपति और हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लाम से आग्रह कर रहे हैं कि वे ईमानदारी से सरकार के इन वादों का सम्मान करें कि हांगकांग के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा होगी।'

अफगानिस्तान में बम विस्फोट में तीन मरे, 27 घायल

जलालाबाद, 16 अक्तबूर (एएफपी)।

पूर्वी अफगानिस्तान में पुलिस मुख्यालय के पास एक ट्रक में विस्फोट होने से बुधवार को तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 20 बच्चे घायल हो गए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने बताया कि बुधवार सुबह पूर्वी लगमान प्रांत के अलीशिंग जिले में यह हमला हुआ। हमले में दो सुरक्षाकर्मियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने हमले की पुष्टि करते हुए इसके लिए तालिबान को दोषी ठहराया है।

लगमान प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता असदुल्लाह दौलतज़ाई ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की इमारत के पास हुए बम विस्फोट की चपेट में आकर नजदीक का एक मदरसा भी क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट में लगभग 20 छात्र और सात लोग घायल हो गए। तालिबान ने मीडिया को भेजे गए अपने बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है और दर्जन भर सुरक्षा बलों की मौत का दावा किया है।

संयुक्त राष्ट्र बाल निधि के अनुसार अफगानिस्तान में स्कूलों पर हो रहे हमलों की संख्या 2017 से तीन गुनी हो गई है। 2018 के अंत तक 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस समय अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के प्रथम दौर के नतीजों का इंतजार है।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा

शुद्धि-पत्र

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित ई-निविदा सं0-04F/2019-20 का पी0आर0 सं0 -218863 Minor Irrigation (2019-20) D को संशोधित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है :-

वेबसाइट में ई-निविदा प्रकाशन की तिथि	ई-निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	अभिलेख प्राप्ति की तिथि	ई-निविदा खोलने की तिथि
1	2	3	4
15/10/2019 के स्थान पर 25/10/2019	22/10/2019 के स्थान पर 06/11/2019	23/10/2019 के स्थान पर 07/11/2019 02:00 P.M	24/10/2019 के स्थान पर 08/11/2019 03:00 P.M

अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा।

P.R.219903 Minor Irrigation(19-20):D

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

www.bankofbaroda.in

विज्ञापन और मीडिया रिलीज एजेंसी को पैनल में शामिल करना

बैंक ऑफ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय, मुम्बई अपनी मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशन संबंधी कार्यों के लिए बैंक की एजेंसी के रूप में -5-(पांच) विज्ञापन एजेंसी और -1- (एक) मीडिया रिलीज एजेंसी (एजेंसियां) को पैनल में शामिल किए जाने हेतु पात्र विज्ञापन एजेंसियों से मुहरबंद आवेदन आमंत्रित करता है।

इच्छुक एजेंसियां इस कार्य के स्वरूप एवं सभी नियम व शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in के निविदा खंड में स्थित निविदा दस्तावेज को डाउनलोड कर सकती हैं और निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन केवल दिए गए पते पर व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकती हैं।

आवश्यकता में परिवर्तन सहित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र होने पर इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जारी किया जाएगा।

उपर्युक्त आवश्यकता की अंतिम तिथि दिनांक 08.11.2019 अपराह्न 2:30 बजे तक या इससे पूर्व जमा किया जा सकता है।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17.10.2019

महाप्रबंधक - मुख्य समन्वयक (मार्केटिंग, पीआर एवं धन संचय प्रबंधन)

झारखण्ड सरकार क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, अग्रिम योजना, पथ निर्माण विभाग, राँची

अति अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट सूचना

ई-निविदा प्रसंग सं0 :-RCD/FSD /AP/ RAN/30/19-20

दिनांक: 16.10.2019

1.	कार्य का नाम	विभागीय भूमिकृष्ण पदाधों से चुनकम जिला अन्तर्गत जामा तुगलीबाद से बुरवा भाया लक्ष्मीपुर पुपराना कोसकी पथ का डी0 पी0 आर0 करना
2.	अनुमानित लंबाई	18.00 कि0मी0
3.	कार्य समाप्ति की अवधि	60 दिन
4.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	23/10/2019 12.30 बजे दिन तक
5.	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय	17/10/2019, 05.00 बजे अपराह्न
6.	निविदा आमंत्रित करनेवाले का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल अग्रिम योजना, पथ निर्माण विभाग, राँची।
7.	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का दूरभाष नं0	94315-91027
8.	ई-प्रोक्योरमेंट सेल को हेल्पलाईन नं0	0651-2401010

अतिरिक्त जानकारी के लिए वेबसाईट पर देखें :-http://jharkhandtenders.gov.in

बूंद - बूंद नहीं घटनेंगी तो बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता, क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, अग्रिम योजना, क्षेत्र पथ निर्माण विभाग, राँची

PR 219953 (Road)19-20#D

फॉर्म-बी सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और शोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों, 2016 का विनियम 12)

एसआरएस लिमिटेड के हितधारकों के ध्यान हेतु

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	एसआरएस लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण की तिथि	29.08.2000
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणी पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/ सीमित दायित्व पहचान नंबर	L74999HR2000PLC040183
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय व प्रधान कार्यालय (यदि हो) का पता	एसआरएस मल्टीप्लैक्स, दूसरा तल, सिटी सेंटर, सैक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा-121007
6.	दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया की समापन तिथि	14.10.2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिसमापन प्रारम्भ का तारीख	15.10.2019
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का नाम व पंजीकरण संख्या	अशोक कुमार गुल्ला IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-2018/10174
9.	परिसमापक का पता और इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	आरबीएसए रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइजर्स एलएलपी, दूसरा तल, आइएपीएल हाऊस, 23, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 इ-मेल आइडीः ashok.gulla@rbsa.in
10.	परिसमापक के साथ संप्रेषण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पता और इ-मेल	आरबीएसए रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइजर्स एलएलपी, दूसरा तल, आइएपीएल हाऊस, 23, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 इ-मेल आइडीः ip.srs@rbsa.in
11.	दावो को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	14.11.2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 12(2) के अनुसार, कंपनी के हितधारक परिसमापन की शुरुआती तिथि को कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के दौरान उन द्वारा अपने दावे या अपने अपडेट दावों को प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित दावा प्रपत्र www.ibbi.gov.in पर और एसआरएस लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.srsparivar.com पर भी उपलब्ध हैं।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच ने दिनांक 15.10.2019 को एसआरएस लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

एसआरएस लिमिटेड के हितधारकों को मद संख्या 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर परिसमापक को 14.11.2019 को या उससे पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

दिनांकः 15.10.2019
स्थानः नई दिल्ली

ह./- अशोक कुमार गुल्ला,
एसआरएस लिमिटेड का परिसमापक

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

दिल्ली सरकार
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिविल-7
राणा प्रताप बाग दिल्ली 110007

निविदा आमंत्रण सूचना

अधिशासी अभियन्ता, सी-7 डीयूएसआईबी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007 द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए प्रतिशत दर बोली (ऑनलाइन) दो लिफाफा प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के लिए पुनः आमंत्रित की जाती है।

एनआईटी न.: 78/ईईसी-7/डीयूएसआईबी/2019-20
कार्य का नामः SC / ST बस्तियों का सुधार।
उप शीर्षकः संगम पार्क AC-18 मॉडल टाउन पर ब्लॉक-सी के आंतरिक लेन पर RMC फुटपाथ प्रदान करना और बिछाना (पीआईडी नंबर 10410)
अनुमानित लागतः रु. 56,17,853.00
धरोहर राशिः रु. 1,12,400.00
निविदा मूल्य रु. 1000.00
समयावधिः 180 दिन
एनआईटी न.: 79/ईईसी-7/डीयूएसआईबी/2019-20
कार्य का नामः- MLA LAD फंड।
उप शीर्षकः ब्लॉक ए और सी 12 गज़ प्लॉट लाल बाग,, आजादपुर, एसी-18 के आसपास एप्रोच रोड/लिंक रोड पर अलग-अलग स्थान की सीसी फुटपाथ प्रदान करना और सुधारना। (पीआईडी नंबर 12089)
अनुमानित लागतः रु. 50,00,023.00
धरोहर राशिः रु. 1,00,250.00
निविदा मूल्य रु. 1,000.00
समयावधिः 180 दिन
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 21.10.2019 को अप 15:00 बजे तक
खोलने की तिथिः 21.10.2019 को 15:30 बजे के बाद

निविदा प्रपत्र एवं विवरण वेबसाइट http://govtprocurement. delhi.gov.in/ से प्राप्त किए जा सकते हैं।

हस्ता./-
राजेन्द्र बंसल
कार्यपालक अभियंता/सी-7
डीयूएसआईबी

DIP/Shabdarth/0856/19-20

प्रपत्र - जी

अभिस्वीकृति की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 30(2) (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण	
1. कार्पोरेट देनदार का नाम	आधार श्री इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	09-11-2013
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2013PTC260104
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 42 डी, ओखला – फेज रिजिस्ट्रार गार्डन दिल्ली – 110065 भारत
6. कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता प्रारम्भ की तिथि	11 जुलाई, 2019 (के जुलाई 2019 को आदेशपत्र द्वारा संशोधन प्राप्त हुआ)
7. अभिस्वीकृति की अभिव्यक्ति के प्रस्तुतन की तिथि	16-10-2019
8. व्यक्ति की शाखा अई/एएए के साथ संचालन अधिकारी की पहचान	ईमेल: cirp.aadhaarshrinfratech@gmail.com पर ईमेल भेजकर मांग की जा सकती है
9. वित्तीय ऋणदाताओं की समिति का गठन	IBBI की वेबसाइट (www.ibbi.gov.in) पर उपलब्ध है या ईमेल द्वारा मांगी जा सकती है cirp.aadhaarshrinfratech@gmail.com
10. अभिस्वीकृति की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	01-11-2019
11. संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	11-11-2019
12. अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	16-11-2019
13. समाधान समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	26-11-2019
14. संभावित समाधान आवेदकों के सुसंगत द्वारा मूल्यवान मेट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	16-11-2019
15. समाधान योजना, मूल्यवान मेट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अभिव्यक्ति प्रस्तुत हेतु अनुरोध प्राप्त करने की तिथि	समाधान योजना आईबीसी, 2016 की धारा 30(2) और 30(4) के अनुसार के अनुपालन के साथ, संशोधनों, विशेष लेनदारों की धमकी, बैंक खाते की पहचान और संचालन के अधिकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में समाधान प्राप्त, मूल्यवान मेट्रिक्स और मूल्यवान मेट्रिक्स के लिए अनुरोध पत्रों सहित, सभी पूर्व-योग्यता मानदंड और बोली के दस्तावेजों द्वारा अनुमोदित हैं।
16. समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	16-12-2019
17. समाधान आवेदकों को समाधान योजना देने की तिथि	IBBI संख्या 31 में प्रतिबंधित इनेबल आईबीसी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में या प्रतिबंधित पोर्ट पर सीलबंद कवर में भेजी जा सकती है।
18. निगमित प्रतिभूति के अनुपालन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	06-01-2020
19. समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	मनोहर लाल सिंघ IBBI/IPA-001/IP-P01460/2018-2019/12209
20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जिसके कार्य में नियोक्त है	मनोहर लाल सिंघ 254, पॉकेट जनरेटर, ई-1 फ्रीडम विहार नई दिल्ली – 110085 ईमेल: mls1969@gmail.com
21. पत्र और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	मनोहर लाल सिंघ समाधान पेशेवर – आधार श्री इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट ऋणदाताओं की समिति) एसआरएस लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस 8 / 28, तीसरी मंजिल, बसुंधरा, अंसल कॉर्पोरेट हाउस, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070 ईमेल: cirp.aadhaarshrinfratech@gmail.com
22. अभिस्वीकृति पेशेवर का अवधि के साथ पंजीकरण है	मनोहर लाल सिंघ समाधान पेशेवर – आधार श्री इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट ऋणदाताओं की समिति) एसआरएस लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस 8 / 28, तीसरी मंजिल, बसुंधरा, अंसल कॉर्पोरेट हाउस, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070 ईमेल: cirp.aadhaarshrinfratech@gmail.com
23. प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	17-10-2019

हस्ता/-
मनोहर लाल सिंघ
समाधान पेशेवर – आधार श्री इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड
एसआरएस मैल्टीप्लैक्स कॉर्पोरेट एसआरएस (आईबीसी)
कॉर्पोरेट ऑफिस 8 / 28, तीसरी मंजिल, बसुंधरा, अंसल कॉर्पोरेट हाउस, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070
फोन: 011-41488026/27

दिनांक: 16/10/2019
स्थान: नई दिल्ली

प्रतिशत दर ई-निविदा आमंत्रण

प्रैस सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक अभियंता (सी), डाक सिविल प्रभाग नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्यों के लिए ऑनलाइन प्रतिशत दर ई-निविदा (केलोनिवि-7) आमंत्रित है:

1) एनआईटी सं. एनआईटी/ ईईपीसीएनडी/ 2019-20/65 कार्य का नामः नई दिल्ली जीपीओ, नई दिल्ली-110001 में विविध सिविल कार्य। अनुमानित लागतः रु. 31,41,948/-, धरोहर राशिः रु. 62,839/- एवं पूर्णता समय- 60 (साठ) दिन

बोली जमा करने की अंतिम तिथि 28.10.2019 के 15.00 बजे तक है।

बोली प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाईट https://dopcivil/euniwizard.com से प्राप्त की जा सकती है।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मण्डल रेल प्रबन्धक / (विद्युत) / वाराणसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से 'खुली' निविदा आमंत्रित करते है।

क्रम सं.:-1, निविदा सूचना संख्या: ई-निविदा-एल-12-19-20, ई-निविदा का नाम: डम् शेड ओडिहार के अन्तर्गत विविध मदों की स्थापना से संबंधित विद्युतीय कार्य। अनुमानित लागत: ₹ 7,93,222.36, अमानत राशि: ₹ 15,900/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 2,000/-, कार्य समापन का समय: 90 दिन,

• निविदा समापन की तिथि एवं समय: निविदा बन्द होने की तिथि 06-11-2019 को 15:00 बजे। • निविदा खोलने की तिथि एवं समय: निविदा खुलने की तिथि 06-11-2019 को 15:30 बजे।

• इस ई-निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर देखें।

वरिष्ठ मण्डल विद्युत इन्जीनियर/ मुख्यालय/ विद्युत-71 वाराणसी

बोली सूचिका सम्बन्धित शिकायत हेतु मोब नं.: 09794845995 पर सम्पर्क करें

ईमेल में बोली/क्वोटेशन न भेजें।

प्रपत्र ए

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता कोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स एलडोराडो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1. कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स एलडोराडो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19.03.2010
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, 1956 रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U92412DL2010PTC208487
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	400, पीसी मल्होत्रा, रिजीयन डी-4 जिला केन्द्र, साकेत नई दिल्ली-110017
6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ तिथि	11.10.2019 (आदेश के जरिये 14.10.2019 को प्राप्त हुई)
7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	08.04.2020
8. अंतरिम समाधान पेशेवर/परिसमापक के रूप में नियोजित ऋण शोध अक्षमता प्रायोजनार का नाम और पंजीकरण संख्या	राजीव कुमार रामभाया पंजीकृत संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P01460/2018-19/12317
9. अंतरिम समाधान पेशेवर/परिसमापक का पता और ई-मेल, जिस के साथ वे पंजीकृत है।	फ्लैट नंबर 402, टॉवर नंबर बी-169, ओखला कंस्ट्रक्शन एन्क्लेव, ब्लॉक, नई दिल्ली-110065 ईमेल: rajeevramaiah@gmail.com
10. अंतरिम समाधान पेशेवर का पता, प्रयोजन हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	फ्लैट नंबर 402, टॉवर नंबर बी-169, ओखला कंस्ट्रक्शन एन्क्लेव, ब्लॉक, नई दिल्ली-110065 ईमेल: rajeevramaiah@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	25/10/2019
12. अंतरिम समाधान प्रायोजनार द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के खंड (ए) के तहत अभिलेखित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	नहीं
13. वित्तीय लेनदार के संबंध में लेनदारों के समिति की बैठक में मतदान करने हेतु निर्धारित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत कॉर्पोरेट व्यक्ति का विवरण भरा जाना है।	(क) वेबसाईट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

उपरोक्त सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को मैसर्स एलडोराडो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

मैसर्स एलडोराडो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावे एक सप्ताह 28 अक्टूबर 2019 के भीतर मुझे अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष प्रमाण सहित पेश करने का अनुरोध किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावे का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी भी गलत या भ्रामक प्रमाण पाए जाने की स्थिति में धारा 32 के तहत कार्यवाही है, अपेक्षित परिणाम के रूप में कार्य करने के लिए धारा 32 के तहत कार्यवाही की जा सकती है, अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभिलेखित वित्तीय लेनदारों की सूची (दोनों का सत्यापन) के निर्धारित प्रपत्र- अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार तैयार की है।

पत्र के साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रस्तुति संलग्न की जाए।

हस्ता/-
राजीव कुमार रामभाया
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 16 अक्टूबर 2019
स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P01460/ 2018-19/12317

कार्यालय नगर पालिका परिषद, पुवायां जनपद-शाहजहांपुर।

पत्रांकः 414/ न.पा.प.-पु./ निविदा सूचना/ 2019-20 दिनांकः 16 अक्तूबर, 2019

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों से अधोलिखित कार्य करवाने हेतु मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 24.10.2019 को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 23.10.2019 को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद, पुवायाँ शाहजहाँपुर से नकद राशि जमा करके क्रय किए जा सकते हैं। समस्त कार्यों की निविदाएं कार्यालय नगर पालिका परिषद, पुवायाँ शाहजहाँपुर में रखे टेण्डर बाक्स में दिनांक 24.10.2019 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक डाली जा सकेगी। सभी निविदाएं ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 24.10.2019 को सायं 05.00 बजे खोली जाएंगी।

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्यों का विवरण	आगणन की धनराशि	जमानत की धनराशि 2%	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6
1	10 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन।	458050.00	9161.00	30 दिन	513.00
2	10 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के रिवोर का कार्य।	376700.00	7534.00	30 दिन	422.00

1. निविदा के साथ 2 प्रतिशत जमानत धनराशि एन.एस.सी./ एफ.डी.आर./ जो अधिशासी अधिकारी के पक्ष में बन्धक हो अथवा नकद जमा किया जाना अनिवार्य है, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 8 प्रतिशत जमानत धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। जिसमें से 5 प्रतिशत जमानत धनराशि 5 वर्ष के लिए परफार्मेन्स गारंटी के रूप में जमा रहेगी।
2. निविदा के साथ रु.-100/- का स्टाम्प लगाना होगा तथा स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा।
3. समस्त कार्य निर्धारित मानक/ गुणवत्ता के अनुसार करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण अथवा आंशिक कटौती की जाएगी।
4. उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य शर्तें व जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

हस्ता./-
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, पुवायाँ
शाहजहाँपुर।

हस्ता./-
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, पुवायाँ
शाहजहाँपुर।

दिल्ली कृषि विपणन परिषद्

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोनः- 28524421 फैक्स- 011-28521871, ई-मेलः- ambdl@nic.in

-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित कार्य के लिये मद दर ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैः-

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत एवं धरोहर राशि (रु. में)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आई.डी. सं
1.	नई फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी गाजीपुर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पंप सेट्स डी.जी. सेट, पैनल, फीडर पिलर के लिये वास्तविक और अनुमोदित आई.एस.आई. चिह्नित बिजली की सामग्री की आपूर्ति करना	6,56,405/- 13,130/-	21.10.19 at 14.30 Hrs.	2019_DAMB_181829_1

निविदा के अन्य सभी विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

हस्ता./-
अधिशासी अभियंता (वि)
डी.ऐ.एम.बी.

DIP/Shabdarth/0854/19-20

झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) मुख्य अभियंता का कार्यालय 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 176/2019-20/RDD(RWA)/GUMLA दिनांक :- 15.10.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	शब्दों में	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	RDD(RWA)/ GUMLA/10/ 2019-20	आरडीसीडीए पथ (पुर्ती-कण्डा) से निजना सीमा टोली से कोना मांगा निजना तक पथ निर्माण कार्य (लं- 3.250 कि0मी0)	2,26,06,900.00	दो करोड़ छब्बीस लाख छः हजार नौ सौ रूपा मात्र	12 माह
2.	RDD(RWA)/ GUMLA/11/ 2019-20	पहाड़बैंगरा स्कूल मोड़ से लोहांगढ़ा नदी तक भाया पहाड़बैंगरा देग

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

प्रेस एरिया शाखा, 3 विंग हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया, नई दिल्ली शाखा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **03/07/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारों/गारंटरों: सुश्री मंजू नागर, श्री दुष्यन्त नागर, सुश्री सीमा नागर, एवं श्री सुनील नागर,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.1,49,26,291/– (एक करोड़ उनन्चास लाख छब्बीस हजार दो सौ इक्यानबे रुपये मात्र) 03.07.2019 को** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, **कर्जदार/गारंटर** तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 11 अक्टूबर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदारों/गारंटरों** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.1,49,26,291/– (एक करोड़ उनन्चास लाख छब्बीस हजार दो सौ इक्यानबे रुपये मात्र) 03.07.2019 को, और उस पर 03.07.2019 तक** के ब्याज एवं अन्य खर्चों के साथ, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग एवं हिस्से:
मकान नं.610, सेक्टर–17, फरीदाबाद–121002, सेल डीड नं.10774, निष्पादित 21.11.2013, क्षेत्र 500 वर्ग यार्ड। **मालिक: सुश्री मंजू नागर एवं सुश्री सीमा नागर जो गिरवी है**

उत्तर: अन्य सम्पत्ति — दक्षिण: रोड
पूर्व: मकान नं.609 — पश्चिम: मकान नं.611

स्थान: फरीदाबाद — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 11.10.2019 — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA

पंजी. कार्यालय: 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत) शाखा का पता: टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110055

आरपीएडी/कूरियर द्वारा

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

संदर्भ: टीसीएफएसएल/सरफैसी/36/12/10/2019 — 12.10.2019

सेवा में,
1. श्री तरुण कपूर
स्टर्लिंग मोटर कम्पनी के एकाकी प्रॉप्राईटर
डी–4, सेक्टर–8, नोएडा, उत्तर प्रदेश
एवं
फ्लैट नं. 6 ए, टाटा अपार्टमेन्ट्स, 23, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
––ऋणधारक एवं प्रतभूति प्रदाता
2. श्रीमती पवन कपूर
फ्लैट नं. 6 ए, टाटा अपार्टमेन्ट्स, 23, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
3. श्री बी.एल. पास्सी
एन 93, पंचशील पार्क, नई दिल्ली 110017

1. हम, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड (टीसीएफएसएल) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में विधिवत पंजीकृत तथा निगमित हैं, हमारा पंजीकृत कार्यालय टावर ए, 11 वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 में है, एतदद्वारा आपको वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत निम्न सूचना सर्व कर रहे हैं।
2. आप, ऋणधारक ने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये टीसीएफएसएल से सम्पर्क किया तथा यह प्रतिनिधित्व किया कि आप वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं तथा अपनी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिये अच्छी स्थिति में हैं।
3. उस प्रतिनिधित्व तथा आप संबोध्य–व्यक्तियों द्वारा दी गई वारंटीज के आधार पर टीसी एफएसएल ने आप सं. 1 के स्वीकृति पत्र तिथि 31 दिसम्बर, 2015 जिसका संदर्भ सं. सीएफ/सीएफ–महिन्द्रा/डेल/1091155 हैं, के माध्यम से रु. 7,00,00,000/– (रुपये सात करोड़ मात्र) (''ऋण/सुविधा'') की साख सीमा के लिये चैनल फाइनांस फैसिलिटी स्वीकृत की जिसका समय–समय पर नवीकरण किया गये। जिसमें वृद्धि की गई तथा इस क्रम में अंतिम नवीकरण/वृद्धि स्वीकृति पत्र तिथि 18 अप्रैल, 2019 जिसका संदर्भ सं. सीएफ/सीएफ–महिन्द्रा/डेल/1990489 है, के माध्यम से की गई जिसके द्वारा यह फैसिलिटी बढ़ाकर रु. 14,00,00,000/– (रुपये चौदह करोड़ मात्र) कर दी गई।
4. उक्त स्वीकृति/तियों के अनुपालन में सुविधा/ओं के अंतर्गत हमने आपके द्वारा निर्देशित रूप से आप सं. 1 को उक्त राशि की प्रतिपूर्ति की सुविधा/ओं के अंतर्गत उक्त राशि की पुनर्अदायगी आप सं. 2, 3 एवं 4 द्वारा प्रत्याभूत है। सुविधा/ओं के अंतर्गत उक्त राशि की पुनर्अदायगी यहां अनुसूची क में निर्दिष्ट ऋणधारक की वर्तमान तथा आगे के स्टॉक्स पर हाइपोथेकेशन द्वारा प्रतिभूत है।
5. अवसर दिये जाने के वावजूद आप संबोध्य–व्यक्ति सं. 1 लगातार रूप से अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक करते रहे हैं तथा आप ने उक्त सुविधा/ओं के अंतर्गत टीसीएफएसएल के बकाये ऋण के निष्पादन की अनदेखी की है। उसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा अधिनियम की धारा 2 (0) में परिभाषित रूप से टीसीएफएसएल ने 4 सितम्बर, 2019 को आप संबोध्य व्यक्ति सं. 1 की खाता को गैर–प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
6. 1 अक्टूबर, 2019 को सुविधा के अंतर्गत आप पर बकाया तथा देय राशि रु. 16,27,99,931/– (रुपये सोलह करोड़ सत्ताईस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ इक्तीस मात्र) है जिसका विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। आप संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाये की सम्पूर्ण पुनर्अदायगी की तिथि अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा अतिरिक्त/दंड ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
7. टीएफसीएसएल ऊपर पैराग्राफ 6 में वर्णित बकाया राशि के लिये अधिनियम की धारा 2 (जेड डी) के अंतर्गत परिभाषित रूप में एक प्रतिभूत क्रेडीटर है। इस परिस्थिति में टीसीएफएसएल अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करता है तथा टीसीएफएसएल के पक्ष में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर आप संबोध्य सं. 4 द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित को प्रवर्तित करता है।
8. अतः हम, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी इस सूचना द्वारा आप से अपेक्षा करते हैं कि इस सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर टीसीएफएसएल के प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें जिसमें विफल रहने पर प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में हम अपने किसी अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न उपायों का अवलम्बन करेंगे।
9. जैसा कि आप जानते है, हमारी पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना आप हमारे हित के प्रतिकूल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को अंतरित करने अथवा टेनेन्सी या लाइसैंस या किसी अन्य अधिकारों के द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर किसी प्रकार के हितों अथवा अधिकारों का निर्माण करने अथवा किसी भी रूप में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय करने से वंचित हैं तथा यह उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) के अंतर्गत भी निषिद्ध है। यह भी ध्यान रहे कि अधिनियम की धारा 29 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन का प्रयास करता है तो उसे एक वर्ष तक की कैद अथवा दंड अथवा दोनों सजा हो सकती है।
10. पुनः कृपया ध्यान रहे कि यदि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आप अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करने में विफल रहते हैं तो हम, प्रतिभूत क्रेडीटर अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आगे, आप अधिनियम की धारा की उप–धारा 7 के अंतर्गत इस सिलसिले में हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री से हमारे सम्पूर्ण बकाये की वसूली नहीं होती है तो आप शेष राशि का हमें भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बने रहेगें तथा वसूली के लिये हम उपयुक्त कार्रवाई करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
11. यह सूचना हमारे अधिकारों, उपचारों तथा आशाओं जो ऋण वूसली अधिकरण/विधि न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण सहित किसी भी प्राधिकरण में उठायी जाने वाली लम्बित प्रक्रियाओं तथा साथ ही उपरोक्त देयता के संदर्भ में हमें प्रस्तुत की गई किसी अन्य प्रतिभूति से बकाये की वसूली करने के हमारे अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह–रहित जारी की जा रही है।
12. कृपया ध्यान रहे कि यह मांग सूचना टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको संबोधित की गई है। कृपया यह भी ध्यान रहे कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह रहित है तथा इसे हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के अधिकार सहित किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों की छूट के रूप में नहीं माना जायेगा।

आपका भवदीय

स्थान: दिल्ली — **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्वसेस लिमिटेड**
तिथि: 12 अक्टूबर, 2019 — **प्राधिकृत अधिकारी**

अनुसूची क

हाइपोथेकेटेड परिसम्पत्तियों का विवरण
बुक डेब्ट्स, रिसीवैबल्स का प्रकृति

किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी अथवा कॉर्पोरेट निकाय, ट्रस्ट, सोसायटी, एचयूएफ अथवा सरकारी विभाग या कार्यालय अथवा किसी म्यूनिसिपल अथवा स्थानीय अथवा सार्वजनिक अथवा अर्ध सरकारी निकाय या प्राधिकरण या उपक्रम द्वारा उसकी व्यावसायिक प्रक्रिया में जो अभी बकाया तथा देय हैं अथवा जो प्रतिभूति की अनवरतता के दौरान यहां के बाद किसी भी समय ऋणधारक के लिये देय तथा बकाया होंगे, उन बुक डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग मॅनी रिसीवैबल्स, दावे तथा बिल्स सहित वर्तमान तथा भविष्य की सभी चालू परिसम्पत्तियों पर एकाकी प्रभार।

स्टॉक्स की प्रकृति

वर्तमान तथा भविष्य के सभी व्यापार में भंडर जिसमें शामिल हैं कच्चे माल, तैयार सामग्री, निर्माण की प्रक्रिया में सामग्री, निर्धारित परिसम्पत्तियों, अन्य मर्केन्डाइज जो अभी अथवा किसी भी समय ऋणधारक के स्वामित्व की किसी भी तरह की चल सम्पत्तियाँ होंगी अथवा जो ऋणधारक के आधित्व में होगी अथवा ऋणधारक के फैक्ट्री अथवा परिसर में अथवा उसके कब्जे तथा आधिपत्य के किसी भी अन्य स्थान अथवा किसी अन्य परिसर अथवा जगह में होगी, पर एकाकी प्रभार।

परिशिष्ट

ऑटोमोबिल स्टर्लिंग की 01 अक्टूबर, 2019 को कुल बकाया राशि

डीलर का नाम	6001639	स्टर्लिंग मोटर्स क.
विवरण	राशि 1	राशि
मूलधन	139909298	
सामान्य ब्याज	8795518	
दंड ब्याज	5488638	
कुल		15,41,93,454
लम्बित टीडीएस		1998477
फोरक्लोजर चार्जेज	5600000	
जीएसटी @ 18%	10,08,000	
जीएसटी @ 18%		6608000
कुल		162799931

PUNJAB & SIND BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

आंचलिक कार्यालय: जालंधर

आदेश — **दिनांक: 14.10.2019**

श्री [illegible] सिंह, निवासी [illegible] (KR3633) को 25.05.2018 से 24.09.2018 और 14.09.2018 से [illegible] में [illegible] के लिए दिनांक 18.03.2019 को [illegible] किया गया था।
[illegible] 10.05.2019 के [illegible] 23.08.2019 को [illegible] के लिए [illegible] 24 के साथ पठित [illegible] 5(1), 5(3), 15(1) के अनुसार [illegible] और [illegible] ने उन्हें अपने सिद्ध [illegible] का दोषी ठहराया है।
[illegible] श्री [illegible] (KR3633) [illegible] "[illegible]" [illegible] 5(1) [illegible] 24 [illegible] 1993 [illegible] 24 [illegible] 1993 [illegible] 24 [illegible] 1993

खबर कोना

कोलकाता में बुधवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) के दफ्तर पहुंचे सौरव गांगुली।

साल्टलेक पर माहौल के अनुरूप नहीं था भारत का प्रदर्शन : छेत्री

कोलकाता, 16 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ ड्रा रहे फीफा विश्व कप क्वालीफायर मैच में टीम का प्रदर्शन साल्ट लेक स्टेडियम के जबर्दस्त माहौल के सामने कुछ नहीं था । आखिरी मिनटों पर आदिल खान के गोल ने भारत को अपने से निचली रैंकिग वाली टीम से हारने से बचाया। भारत की जीत की आस लेकर आए दर्शकों को हालांकि इस प्रदर्शन से काफी निराशा हुई। छेत्री ने ट्वीट किया, 'हम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सके जैसा साल्ट लेक स्टेडियम पर माहौल था। ड्रेसिंग रूम में इसे लेकर काफी निराशा है।'उन्होंने कहा कि टीम मौकों का फायदा नहीं उठा सकी और डिफेंस का प्रदर्शन भी लचर था।

स्वीडन से ड्रा खेलकर स्पेन ने यूरो 2020 के लिए क्वालीफाई किया

पेरिस, 16 अक्तूबर (एएफपी)।

रौद्रिगो मोरेनो के आखिरी मिनटों में किए गए बराबरी के गोल की मदद से स्पेन ने स्वीडन से ड्रा खेलकर यूरो कप 2020 फुटबाल के लिए क्वालीफाई कर लिया जबकि आयरलैंड को स्विटजरलैंड ने 2-0 से मात दी। स्पेन अगले साल जून में होने वाली यूरो चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाली छठी टीम बन गई। रौद्रिगो ने इंजुरी टाइम में बराबरी का गोल करके स्कोर 1-1 किया। स्पेन ग्रुप एफ में शीर्ष पर है जबकि स्वीडन उससे पांच और रोमानिया छह अंक पीछे है। रोमानिया ने नार्वे से 1-1 से ड्रा खेला । ग्रुप डी में स्विटजरलैंड ने आयरलैंड को 2-0 से हराकर अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वह आयरलैंड और डेनमार्क से एक अंक पीछे है जबकि उसके दो मैच बाकी हैं। आयरलैंड को अपना आखिरी मैच 18 नवंबर को डेनमार्क से खेलना है। अन्य मैचों में बोस्निया हर्जेगोविना को यूनान ने 2-1 से हराया जबकि इस्राइल ने लाटविया को 3-1 से मात दी।

मेस्सी को लगातार तीसरी बार 'गोल्डन शू'

सिलोना, 16 अक्तूबर (एएफपी)।

सिलोना के कप्तान लियोनल मेस्सी ने यूरोपीय लीग सर्वाधिक गोल करने के लिए छठी बार 'गोल्डन शू' हासिल किया। मेस्सी ने लगातार तीसरे साल यह पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने इस साल 36 गोल किए जो उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी पेरिस सेंट जर्मेन के कायलियान एमबापे से तीन गोल अधिक हैं। मेस्सी के बेटों थियगो और माटियो ने अपने पिता को ट्रॉफी सौंपी। मेस्सी ने यह ट्रॉफी अपने परिवार और साथी खिलाड़ियों को समर्पित की।

टी10 से ओलंपिक का हिस्सा बन सकता है क्रिकेट : रसेल

अबु धाबी, 16 अक्तूबर (भाषा)।

वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने बुधवार को कहा कि टी10 प्रारूप से क्रिकेट को ओलंपिक का हिस्सा बनाने में मदद मिल सकती है । टी20 क्रिकेट के बेहद कामयाब बल्लेबाज रसेल अबुधाबी टी10 टूर्नामेंट में नादर्न वारियर्स का हिस्सा होंगे। इस लीग का तीसरा सत्र 14 से 24 नवंबर तक खेला जाएगा। यह पूछने पर कि क्या टी10 प्रारूप से क्रिकेट को ओलंपिक में जगह मिल सकती है, उन्होंने हां में जवाब दिया।

आस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में भारत

जोहोर बाहरू (मलेशिया), 16 अक्तूबर (भाषा)।

भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने बुधवार को आस्ट्रेलिया को 5-1 से हराकर नौवें सुल्तान ऑफ जोहोर कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत की ओर से शिलानंद लाकड़ा (26वें और 29वें मिनट) ने दो जबकि दिलप्रीत सिंह (44वें मिनट), गुरसाहिबजीत सिंह (48वें मिनट) और मनदीप मोर (50वें मिनट) ने एक-एक गोल दागा।

भारत को आस्ट्रेलिया की गलती से पहले ही मिनट में गोल करने का मौका मिला लेकिन रोबर्ट मैकलिनान ने तेजी दिखाते हुए गुरसाहिबजीत को सही कोण हासिल नहीं करने दिया और फिर गेंद को बाहर कर दिया। इसके बाद पूरे क्वार्टर में अधिकांश समय मिडफील्ड में खेल देखने को मिला। आस्ट्रेलिया को आठवें मिनट में पहला पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन टीम इसे गोल में नहीं बदल सकी।

भारत ने दूसरे क्वार्टर में गोलकीपर प्रशांत चौहान को मैदान पर उतारा। आस्ट्रेलिया ने इस बीच अच्छा मूव बनाया और माइकल फ्रांसिस के शॉट को सैम मैककुलो ने गोल की तरफ घुमाया लेकिन चौहान ने इस हमले को नाकाम कर दिया। भारत को दूसरे क्वार्टर में अपना पहला पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन गुरसाहिबजीत से गोल में तब्दील करने में नाकाम रहे।

भारत ने इसके बाद लाकड़ा के गोल की बदौलत बढ़त बनाई। दिलप्रीत के शानदार पास से आस्ट्रेलिया डिफेंस छिटक गया जिसका फायदा उठाते हुए लाकड़ा ने गेंद को गोल में पहुंचा दिया।

दूसरे क्वार्टर के अंत में चौहान ने आस्ट्रेलिया के एक और प्रयास को नाकाम किया। दिलप्रीत और लाकड़ा की जोड़ी ने इसके बाद एक बार फिर शानदार मूव बनाया और लाकड़ा ने एक और गोल दागते हुए भारत को मध्यांतर से पहले 2-0 की बढ़त दिला दी। भारत ने दो गोल की बढ़त के बाद अंतिम दो क्वार्टर में दबाव बनाए रखा और तीन और गोल दागे।

आस्ट्रेलिया ने भी इस दौरान एक गोल किया। भारत अपने अंतिम राउंड रोबिन मैच में शुक्रवार को ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगा।

सुल्तान जोहोर कप

भारत की ओर से शिलानंद लाकड़ा (26वें और 29वें मिनट) ने दो जबकि दिलप्रीत सिंह (44वें मिनट), गुरसाहिबजीत सिंह (48वें मिनट) और मनदीप मोर (50वें मिनट) ने एक-एक गोल दागा।

आस्ट्रेलिया को आठवें मिनट में पहला पेनल्टी कार्नर मिला

भारत अपने अंतिम राउंड रोबिन मैच में शुक्रवार को ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगा।

सबसे कम उम्र में 200 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने मुंबई के यशस्वी

बंगलुरू, 16 अक्तूबर (भाषा)।

मुंबई के यशस्वी जायसवाल ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ने का रिकार्ड अपने नाम कर लिया है। विजय हजारे सत्र में पदार्पण कर रहे 17 साल के यशस्वी ने झारखंड के खिलाफ 154 गेंद में 203 रन बनाए जिसमें 12 छक्के और 17 चौके शामिल हैं।

मुंबई ने 359 रन का स्कोर खड़ा किया। जायसवाल ने इससे पहले केरल के खिलाफ 113 और गोवा के खिलाफ 122 रन बनाए हैं। लिस्ट ए में दोहरा शतक जमाने वाले वह नौवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पिछले सप्ताह केरल के संजू सैमसन ने गोवा के खिलाफ नाबाद 212 रन बनाए थे।

आदिवासी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ऋत्विक भट्टाचार्य

चेन्नई, 16 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियन ऋत्विक भट्टाचार्य मुंबई के समीप अपनी अकादमी में आदिवासी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पांच बार के राष्ट्रीय चैंपियन ऋत्विक की अकादमी मुंबई से लगभग 70 किमी दूर मोकाशी गांव में है। अकादमी में ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे गुरुवार से चेन्नई में शुरू हो रही जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।

ऋत्विक की स्क्वाश टैंपल एवं रीयल ट्रेनिंग में मोकाशी गांव और इसके आसपास के 150 से अधिक बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह पहली बार होगा जब आदिवासी परिवारों से संबंध रखने वाले कुछ प्रशिक्षु विमान में सफर करेंगे और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। गांव के कई बच्चे पिछले साल की तरह जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इस खेल से जुड़ने वाले गांव के शुरुआती बच्चों में शामिल बिजाली दरवाड़ा ने इस साल राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे।

स्मिथ, वार्नर 'द हंड्रेड' के सबसे महंगे खिलाड़ियों में

लंदन, 16 अक्तूबर (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर जुलाई में होने वाली 'द हंड्रेड लीग' के शुरुआती ड्राफ्ट में सबसे महंगे खिलाड़ियों में से हैं। स्मिथ और वार्नर की रिजर्व कीमत 125000 पाउंड है। आस्ट्रेलिया के ही मिशेल स्टार्क, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल , श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा भी इसी श्रेणी में हैं ।

बांग्लादेश के साकिब अल हसन, पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को एक लाख पाउंड की रिजर्व राशि के वर्ग में रखा गया है। पहली नीलामी रविवार को होगी ।

स्टीवन स्मिथ

डेविड वार्नर

पुरुष वर्ग में 239 विदेशी खिलाड़ियों समेत 570 खिलाड़ी शामिल होंगे । आठ टीमें 100 गेंद के पहले टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी जो 17 जुलाई से 16 अगस्त के बीच खेला जाएगा।

'कोच बनकर खिलाड़ियों पर दबाव कम करना सीखा'

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (भाषा)।

दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने कहा कि उनके लिए कोचिंग के पिछले अनुभवों की सबसे बड़ी सीख खिलाड़ियों पर से दबाव कम करना और उन्हें सहज रखने में मदद करना था। कुंबले ने चैंपियन्स ट्राफी 2017 के फाइनल के बाद कप्तान विराट कोहली के साथ 'अस्थिर संबंधों' के कारण भारतीय कोच पद से त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि टीम ने उनके रहते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था।

48 वर्षीय पूर्व कप्तान फिर से कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस बार वह आइपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब से क्रिकेट संचालन निदेशक के रूप में जुड़े हैं। वह इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर और मुंबई इंडियंस के लिए मेंटर की भूमिका निभा चुके हैं।

48 वर्षीय पूर्व कप्तान फिर से कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह किंग्स इलेवन पंजाब से क्रिकेट संचालन निदेशक के रूप में जुड़े हैं।

कुंबले ने बुधवार को कहा, 'आरसीबी के साथ हम खिताब नहीं जीत पाए लेकिन दो अवसरों पर हम खिताब के करीब पहुंचे थे। मुंबई के साथ मैं जो तीन वर्ष रहा उनमें हमें सफलताएं मिली। यह अनुभव शानदार रहा। इससे निश्चित तौर पर (कोच के रूप में) मदद मिलती है।' उन्होंने कहा, 'आखिर में यह सब क्रिकेट खेल को लेकर है। अगर आप इसका इस तरह से सरलीकरण कर देते हैं तो काम आसान हो जाता है। जिस क्षण आप परिणाम, जीत, ट्राफी को महत्व देना शुरू करते तो आप खिलाड़ियों पर अधिक दबाव बना देते हो। इसलिए मैंने यह सीख ली कि दबाव मुक्त रहो और खिलाड़ियों को सहज रखने में मदद करो। जब वे सहज होकर खेलते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं।'

किंग्स इलेवन पंजाब कभी आइपीएल खिताब नहीं जीत पाया है। कुंबले खिताब का सूखा खत्म करने के उद्देश्य से टीम से जुड़े हैं। वह टीम में अधिक अनुभवी खिलाड़ियों को रखना चाहते हैं और दिसंबर में होने वाली आइपीएल नीलामी के लिए जल्द ही रणनीति तैयार करेंगे।

साइना डेनमार्क ओपन के पहले दौर में हारीं

ओडेन्से (डेनमार्क), 16 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय शटलर साइना नेहवाल को डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बुधवार को हार का मुंह देखना पड़ा। साइना पहले दौर में जापान की सयाका तकाहाशी से हार गईं।

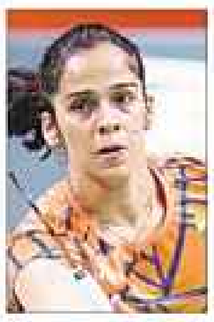

विश्व में आठवें नंबर की खिलाड़ी साइना महिला एकल में 37 मिनट तक चले मैच को 15-21, 21-23 से गंवा बैठी। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पिछली बार यहां उप विजेता रही थी।

साइना जनवरी में इंडोनेशिया मास्टर्स जीतने के बाद फिटनेस मामलों के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही है। वह चीन ओपन और कोरिया ओपन के भी पहले दौर में हार गई थीं। समीर वर्मा हालांकि पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे। उन्होंने जापान के केंटा सुनेयामा को 29 मिनट में 21-11, 21-11 से शिकस्त दी।

प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी की मिश्रित युगल जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी ने जर्मनी के मार्विन सिडेल और लिंडा एफलर को 21-16, 21-11 से पराजित किया। मिश्रित युगल में ही हालांकि सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा पहले दौर के मैच में कोर्ट पर उतरे जिससे वांग यी लियु और हुआंग डोंग पिंग की दूसरी वरीयता प्राप्त चीनी जोड़ी को वाकओवर मिल गया।

आइसीसी के नियम में बदलाव का स्वागत किया तेंदुलकर ने

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (भाषा)।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों में नॉकआउट चरण में फैसला बाउंड्री की गिनती के आधार पर करने के नियम को खत्म करने के आइसीसी के फैसले का स्वागत किया है। आइसीसी ने सोमवार को सुपर ओवर के नियम में बदलाव करने का फैसला किया। जुलाई में विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड को बाउंड्री की गिनती के आधार पर न्यूजीलैंड पर विजयी घोषित करने के फैसले का काफी विरोध हुआ था।

दुबई में बोर्ड की बैठक के बाद आइसीसी ने फैसला किया कि भविष्य में वैश्विक टूर्नामेंटों में सुपर ओवर में भी मैच टाई रहने पर फैसला आने तक सुपर ओवर जारी रखेंगे। तेंदुलकर ने ट्वीट किया, 'मुझे लगा कि यह अहम है क्योंकि एकदम कांटे की टक्कर होने पर नतीजे लाने का यही सही तरीका है।'

तमिलनाडु ने गुजरात को हराकर लगातार नौवीं जीत दर्ज की

जयपुर, 16 अक्तूबर (भाषा)।

तमिलनाडु ने विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप सी के अपने अंतिम मैच में गुजरात को 78 रन से हराकर 10 टीमों के ग्रुप में अपने सभी नौ मैच जीते। ग्रुप में 36 अंक के साथ शीर्ष पर रहे तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर रहे गुजरात (32 अंक) ने 20 अक्तूबर से बंगलुरु में होने वाले नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई किया।

गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

विजय हजारे ट्रॉफी

दिल्ली ने हरियाणा को हराया

वडोदरा, 16 अक्तूबर (भाषा)।

स्पिनरों की फिरकी के जादू के बाद अनुज रावत के नाबाद 56 रन की बदौलत दिल्ली ने बुधवार को विजय हजारे ट्राफी ग्रुप बी मैच में हरियाणा को सात विकेट से हराया। स्पिनरों मनन शर्मा (39 रन पर तीन विकेट) और नितीश राणा (19 रन पर दो विकेट) की बदौलत दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए हरियाणा को 45.3 ओवर में 172 रन पर समेट दिया।

NxtGen Infinite Datacenter presents

The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS

Indian Express Group

HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA

CALL FOR ENTRIES

The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.

AWARD CATEGORIES

- Agriculture
- Border Districts
- Child Development
- Community Involvement
- Education
- Energy
- Entrepreneurship
- Health
- Implementation of Central Schemes
- Inclusive Innovation
- Jammu & Kashmir District
- Left Wing Extremism Districts
- North East Districts
- Skill Development
- Social Welfare
- Technology Implementation
- Water Management
- Women Development

To apply visit eigawards.indianexpress.com

LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019

The Indian EXPRESS — JOURNALISM OF COURAGE —

IndianExpress.com/apps twitter.com/IndianExpress facebook.com/IndianExpress

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 333, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।